# वार्षिक रिपोंट Annual Report 2014-2015





भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA





## वार्षिक रिपोर्ट **2014–15** ANNUAL REPORT 2014-15

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA





## विषय सामग्री

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विहंगावलोकन	1
2.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं	3
3.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम एवं विनियम, 2011	7
4.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	8
5.	केन्द्रीय सलाहकार समिति (सी ए सी)	13
6.	वैज्ञानिक समिति	17
7.	वैज्ञानिक पैनल	19
	वर्ष 2014.15 के दौरान सम्पन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम	
8.	खाद्य मानकों का निर्धारण एवं इस संबंध में विनियमों को जारी करना	33
9.	उत्पाद अनुमोदन	37
10.	आयात प्रभाग	40
11.	प्रवर्तन–राज्यों⁄संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विनियम	42
12.	निगरानी गतिविधियाँ	49
13.	गुणवत्ता आश्वासन (प्रयोगशाला, प्रतिचयन तथा विश्लेषण)	50
14.	कोडेक्स गतिविधियाँ	51
15.	सूचना, शिक्षा तथा संचार (आइ ई सी)	56
16.	प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण	60
17.	भारत में व्यापार विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल, (सी आई टी डी), खाद्य संरक्षा एवं एस पी एस, तकनीकी विनियमावली और मानकीकरण तथा सीमा शुल्क में निकासी उपरांत लेखा परीक्षा (पी सी ए) सहायता	62
18.	वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए बजट	63
19.	राजभाषा हिंदी के बढ़तें चरण	64
20.	सूचना का अधिकार (आर टी आई) मामले	65
21.	वित्तीय विवरण	66



## CONTENTS

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Overview	1
2.	Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006	3
3.	Food Safety and Standards Rules and Regulations, 2011	7
4.	The Food Safety and Standards Authority of India	8
5.	Central Advisory Committee (CAC)	13
6.	Scientific Committee	17
7.	Scientific Panels	19
	Activities & Programmes undertaken during 2014-15	
8.	Setting of Food Standards and issue of Regulation thereon	33
9.	Product Approvals	37
10.	Imports of Food	40
11.	Enforcement - Regulation of Food Safety in States:	42
12.	Surveillance activities	49
13.	Quality Assurance (Laboratories, Sampling and Analysis)	50
14.	CODEX activities and International coordination	51
15.	Information, Education and Communication (IEC)	56
16.	Training and Capacity Building	60
17.	Capacity Building Initiative for Trade Development in India (CITD); Food Safety & SPS, Technical Regulations & Standardization & Support to Post Clearance Audit (PCA) in Customs	62
18.	Budget for the Financial Year 2014-15	63
19.	Rajbhasha	64
20.	RTI Matters	65
21.	Financial Statements	66

### अध्याय–1

## विहंगावलोकन

1.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात के विनियमन के लिए की गई है। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ एस एस) अधिनियम, 2006 खाद्य सुरक्षा और मानक नियमावली, 2011 तथा छह विनियमों की अधिसूचना होने के साथ 5 अगस्त 2011 से लागू हुआ।

> वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता के उद्देश्य को प्रोत्साहित करना जारी रखा।

- 1.2 पिछले वर्ष कुछ स्तरीय परिवर्तन हुए। तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दिलीप कुमार सामंतरे 26.08. 2014 को अपने कार्यकाल के पूरा होने पर पदमुक्त हुए। अपनी कार्यावधि के समापन होने पर श्री के चंद्रमौली, अध्यक्ष 23 जनवरी, 2015 को कार्यालय से पदभार मुक्त हुए। श्री युद्धवीर सिंह मलिक ने 20 अक्टूबर, 2014 को एफ एस एस ए आई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- 1.3 वैज्ञानिक समितियों और वैज्ञानिक पैनलों की खाद्य संरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक विचार–विमर्श करने हेतु क्रमशः 6 एवं 48 बैठकें हुईं।

खाद्य प्राधिकरण के सभी महत्वपूर्ण कार्य अर्था्त अनुज्ञापन, आयात, उत्पाद अनुमोदन न्यूनतम पब्लिक इंटरफेस के साथ वेब आधारित अनुप्रयोगों के जरिए किए जा रहे थे। एफ एस एस ए आई ने सितम्बर, 2014 में ऑनलाइन खाद्य उत्पादन प्रणाली (एफ पी ए एस) प्रारम्भ की जो वर्ष के अंत में विकसित अवस्था में पहुँच गई। खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रचालनात्मक सुगमता उपलब्ध कराने के लिए कुछ अतिरिक्त विशेषताओं के साथ खाद्य अनुज्ञापन पंजीकरण प्रणाली (एफ एल आर एस) भी शुरू की गई। वर्ष 2014–15 के दौरान 8 और राज्यों ने एफ एल आर एस का प्रयोग कर इसे आगे बढाया।

- 1.4 खाद्य संरक्षा को सशक्त प्रयोगशाला प्रणालियों के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कुल 82 एन ए बी एल प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाओं को खाद्य उत्पादों के विश्लेषण तथा परीक्षण के लिए अधिसूचित कर अपनी प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ किया है।
- 1.5 वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण ने 4640 केन्द्रीय अनुज्ञप्ति प्रदान की है और राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने 86056 अनुज्ञप्तियाँ जारी की हैं। इसके अलावा कुल 3,04,677 खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ बी ओ) को इस प्रणाली में पंजीकृत किया गया है। विमानपत्तनों, बंदरगाहों एवं पत्तनों के लिए अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 02 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई और 04 राज्यों संघ / राज्य क्षेत्रों में संचालन समितियां गठित की गई।
- 1.6 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2014–15 में पत्तनों पर अपनी मौजूदगी में आयातित खाद्य उत्पादों के कुल 63,238 नमूनों जिसमें 8.25 मीलियन

### **CHAPTER-1**



# Overview

1.1 The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has been established for laying down science based standards for articles of foods and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 was operationalized with the notification of Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Regulations w.e.f 5\* August 2011.

> The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) continued to work for promotion of the cause of availability of safe and wholesome food to the consumers during 2014-15.

- 1.2. The previous year saw a few changes at top level. The then CEO, Shri Dilip Kumar Samantaray relinquished the charge on 26.08.2014. On completion of his tenure, Shri K. Chandramouli, Chairperson, demitted office on 23<sup>a</sup> January, 2015. Shri Yudhvir Singh Malik joined as the Chief Executive Officer of FSSAI on 20<sup>a</sup> October, 2014.
- The Scientific Committee and Scientific Panels had 6 and 48 meetings respectively to extensively deliberate on various areas of Food Safety.

All the core functions of the Food Authority i.e. Licensing, Imports, Product Approvals were being undertaken through web based applications with minimal public interface. FSSAI launched the online Food Product Approval System (FPAS) in September 2014, which reached a steady state by the end of the year. Version 3 of the Food Licensing Registration System (FLRS) with a few additional features to provide operational ease to the Food Business Operators was also launched. Eight (08) more states have gone live during the year 2014-15 using the FLRS.

- 1.4. Food safety cannot be ensured without a robust laboratory system. Accordingly, FSSAI has further strengthened its lab infrastructure by notifying a total of 82 NABL accredited private labs for analysis and testing of food products.
- 1.5. In the year 2014-2015, the Authority has granted 4,640 central licenses and the State/UT Governments have issued 86,056 licenses. Further, a total of 3,04,677 Food Business Operators (FBOs) have been registered in the system. Additional Food Safety Commissioners for Airports, Seaports and ports were appointed. Appellate Tribunals were established in 02 States/ UTs and Steering Committee in 04 States/UTs.
- 1.6 A total of 63,238 samples of imported food products containing 8.25 million kilograms of imported food products, have been handled by





किलोग्राम आयातित खाद्य पदार्थ शामिल थे, को संभाला है। इस प्रक्रिया में 577 नमूनों (0.91%) जिनका वजन 126555.49 किलोग्राम था, को अनुरूप न होने/अस्वीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया गया क्योंकि ये एफ एस एस अधिनियम 2006 तथा एतद्धीन विनियमों में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते थे।

- 1.7 क्षेत्र स्तर पर खाद्य संरक्षा को केवल क्षमता निर्माण के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, इस प्रकार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नामोद्दिष्ट किए गए अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों और न्यायनिर्णयन अधिकारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा एतद्धीन बने नियमों एवं विनियमों से भलीभांति अवगत कराने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया है।
- बढते हुए वैश्वीकरण के साथ उपभोक्ताओं तक सुरक्षित 1.8 तथा गुणवत्ता वाले आहार की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वृहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पिछले वर्ष संपन्न कोडेक्स समिति की बैठक में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। भारत ने कोडेक्स समितियों में दो नए कार्य प्रस्ताव को भी रखा है। भारत 8 इलेक्ट्रॉनिक कार्य दलों का भी अग्रणी है और इसने 38 इलेक्ट्रॉनिक कार्य दलों (ई डब्ल्यू जी एस) में भागीदारी की है। कोडेक्स निकाय में और अधिक हितधारकों को शामिल करने के प्रयास में एफ एस एस ए आई राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क प्वाइंट ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस-सिद्धांत एवं प्रक्रिया विषय पर रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई सी टी), मुंबई में 12 सितम्बर, 2014 को इस श्रृंखला में तीसरी कार्यशाला का आयोजन किया। देश के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एक अति प्रशंसनीय उपलब्धि यह रही की भारत को एशिया की क्षेत्रीय समिति का समन्वयक मनोनीत किया गया है।
- 1.9 ''व्यवसाय को सरल करने" के उत्साह को सुदृढ़ करने के लिए प्राधिकरण ने देश में खाद्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने की पहल की है। प्रदर्शन तथा आस्वादन हेतु खाद्य वस्तुओं के आयात तथा 100% आयात / पुनः आयात के लिए आशयित आयातित खाद्य के सरलीकरण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए। खाद्य अनुज्ञाप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली (एफ एल आर एस) में "निर्यात करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों" की एक विशेष श्रेणी बनायी गयी है।
- 1.10 सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई ई सी) में कार्यनीति एवं दृष्टिकोण सम्मिलित है जो संगठनों, समुदायों तथा हितधारकों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्राधिकरण ने राज्य सरकारों की मदद से जागरूकता अभियानों को प्रारम्भ किया है और "जागो ग्राहक जागो" अभियानों को प्रारम्भ किया है और "जागो ग्राहक जागो" अभियान में उपभोक्ता मामले विभाग के साथ शामिल हुआ है। 12 जनवरी, 2015 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास राज्य संस्थान (डी डी यू एस आई आर डी), उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के 08 जिलों में जन संपर्क सक्रियता कार्यक्रम (एम सी ए पी) का उद्घाटन किया गया।
- 1.11 खाद्य प्राधिकरण के विभिन्न क्रिया कलापों से सम्बंधित सात (7) विनियमों को वर्ष 2014–15 में अधिसूचित किया गया।
- 1.12 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरे देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।



FSSAI during the year 2014-15 at the ports of its presence. In the process, 577 samples (0.91%), weighing 12655.49 kgs of food, have been issued non-conformance certificates/ rejections as these were not meeting the standards prescribed in FSS Act 2006 and the Regulations therein.

- 1.7. Food Safety at field level can only be ensured by Capacity Building, thus, FSSAI has conducted extensive training programmes for the Designated Officers, Food Safety Officers and the Adjudicating Officers to sensitize them about the Food Safety and Standards Act (FSS Act), 2006 and the Rules and Regulations made thereunder.
- 1.8. With increasing globalisation, there is a need for greater International Cooperation to ensure that safe and quality food reaches the consumers. The FSSAI has actively participated in the Codex Committee Meetings held during last year. India had also proposed two new work proposals in Codex Committees. India was also the leader of 8 electronic Working Groups (eWgs) and participated in 38 electronic Working Groups (eWgs). In an effort to bring in more stakeholders into the Codex fold, FSSAI, the National Codex Contact Point conducted the third workshop in the series on 12<sup>th</sup> September, 2014 at Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai, on the theme of Codex Alimentarius -Principles and Procedures. One of the creditable achievements in Codex Alimentarious Commission for the Country is that India has been named as Coordinator of Regional

Committee of Asia (CCASIA).

- 1.9. To strengthen the spirit of "Ease of Doing Business", the Authority has taken initiative in facilitating food trade in the country. Guidelines pertaining to Import of Food Articles for exhibition and tasting and facilitation for imported food meant for 100% export/ reexport were issued. In Food License and Registration System (FLRS), a special category of 'Exporting FBOs' has been created.
- 1.10. Information, Education and Communication (IEC) combines strategies and approaches that enable the organisations, communities and stakeholders to play a key role in achieving and sustaining their defined goals. The Authority has undertaken awareness campaigns with the help of State Governments and joined up with the Department of Consumers Affairs under the "Jago Grahak Jago" campaign. Mass Contact Activation Programme (MCAP) in 08 Districts of Uttar Pradesh was inaugurated on 12<sup>a</sup> January, 2015 at Din Dayal Upadhyay State Institute of Rural Development (DDU SIRD), Govt. of Uttar Pradesh.
- 1.11. Seven (7) Regulations were notified in the year 2014-15 pertaining to various activities of Food Authority.
- 1.12. The Food Safety and Standards Authority of India is making continuous efforts for effective implementation of the FSS Act throughout the country with active participation of the State/UT Governments.

### अध्याय–2

## खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएँ

- खाद्य से संबंधित कानूनों को एकल संविधि में समेकित 2.1 करने का कार्य कुछ समय, खासतौर से केंद्र सरकार के वर्ष 2002 के बजट भाषण में, इसके बारे में घोषणा किए जाने के बाद से जारी था। खाद्य को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों / आदेशों को समेकित करने का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया जिसने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक 2005 का परीक्षण किया जिसे संसद ने अंतिम रूप से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के रूप में अधिनियमित किया और महामहिम राष्ट्रपति से 23 अगस्त, 2005 को अनुमति मिलने के उपरांत इसे 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग ।।, खंड। में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम को विभिन्न हितधारकों के साथ विचार–विमर्श / परामर्श तथा अंतर्मंत्राालय समूह के साथ अनेक बार चर्चा / विचार–विमर्श करने व स्थायी संसदीय समिति की बैठकों और मंत्रालयों के समूह द्वारा अधिकारिक अनुमति के बाद तैयार किया गया। अंततोगत्वा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एफ एस एस अधिनियम, 2006 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में नामोददिष्ट किया गया।
- 2.2 इस विधायन के पारित होने से सितंबर, 2008 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई । इससे पूर्ण विनियामक व्यवस्था की अपेक्षा स्व—अनुपालन पर केन्द्रित एकल नियंत्रण ने बहुस्तरीय नियंत्रण व्यवस्था का स्थान ले लिया । भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की एक प्रमुख जिम्मेवारी विज्ञान आधारित खाद्य मानकों का विकास, जहां संभव हो कोडेक्स मानकों के साथ इसका सामंजस्य कर करना है । खाद्य मानकों को तैयार करने का कार्य एफ एस एस ए आई के अनेक वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समिति और प्राधिकरण

द्वारा अंतिम अनुमोदन करने के जरिए किया जाता है।

- 2.3 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में मानव उपभोग तथा इससे संबन्धित उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय तथा आयात का विनियम अधिकथित है। यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक (एफ बी ओ) के पास मौजूदा अनुज्ञापन / पंजीकरण किसी खाद्य कानून / आदेश के अधीन है जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निरस्त कर दिया गया है तो संबन्धित खाद्य व्यवसाय संचालक (संचालकों) को अपेक्षित अनुज्ञापन / पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर मौजूदा अनुज्ञापन / पंजीकरण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन अनुज्ञापन / पंजीकरण में संपरिवर्तित करना आवश्यक है।
- 2.4 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 कुल 12 अध्यायों में सुव्यवस्थित है।
- 2.4.1 अध्याय— । : प्रारंभिक :—

इस अध्याय में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ, संघ द्वारा नियंत्रण औचित्य की घोषणा तथा परिभाषाएँ शामिल हैं।

### **CHAPTER-2**

# <u> Issai</u>

## Salient Features of the Food Safety and Standards Act, 2006

- 2.1 The work on consolidation of laws relating to food into a single statute had been on the anvil for some time, especially after the Central Government declared its intention in this behalf in the Budget Speech of 2002. The work pertaining to consolidation of various Acts/ Orders governing food was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries, who piloted the Food Safety and Standards Bill. 2005 which was finally enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 by the Parliament and the same was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 1 on 24<sup>th</sup> August, 2006 after receiving assent of the President on 23<sup>ed</sup> August, 2006. The Act was prepared after extensive consultations with various stakeholders and after a series of discussions/ deliberations in the Inter-Ministerial Group and Standing Parliamentary Committee meetings and its clearance from the Group of Ministries. Finally, the Ministry of Health and Family Welfare was designated as the Administrative Ministry for the purposes of the FSS Act, 2006.
- 2.2 The passing of this legislation led to the establishment of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in September, 2008. It marks a shift from a multi-level to a single line of control with focus on self-compliance rather than a pure regulatory regime. It also introduced uniform licensing/ registration regime across the Centre and the States. One of the major

responsibilities of the FSSAI is the development of Science-based Food Standards by harmonising the same with Codex Standards, wherever possible. The setting of food standards is undertaken through a number of Scientific Panels and the Scientific Committee of the FSSAI and final approval by the Authority itself.

2.3 The Food Safety and Standards Act, 2006 envisages regulation of manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for consumers connected therewith. If a Food Business Operator (FBO) is holding existing license/ registration under any of the Food Law/ Order which has been repealed on the commencement of this Act, the concerned FBO(s) is required to get the existing license or registration converted into registration or license under the Food Safety and Standards Act by paying the required registration/licence fees.

### 2.4 The FSS Act, 2006 is organised through a total of 12 Chapters.

#### 2.4.1 Chapter-I: Preliminary

This section consists of the Short Title, extent and commencement, Declarartion as to expediency of control by the Union, and Definitions.





#### 2.4.2 अध्याय—।। : भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरणः—

इस अध्याय जिसमें धारा 4 से 17 शामिल है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा हटाने की निबंधन एवं शर्ते और उनके कार्यालय की अवधि तथा अन्य शर्ते, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के कार्य, केंद्रीय सलाहकर समिति का गठन और इसके कार्य, वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समिति का गठन और वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों के लिए प्रक्रिया उपबंधित है। इसके अलावा इस अध्याय में खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय तथा आयात को विनियमित व मॉनिटर करने के लिए खाद्य प्राधिकरण की बेठकों के संचालन की प्रक्रिया, इसकी बैठकों में कार्य संव्यवहार तथा सदस्यों द्वारा वोट देने की प्रक्रिया आदि का भी उपबंध है।

#### 2.4.3 अध्याय— III: खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्त

केवल धारा 18 वाले इस अध्याय में खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्तों से संबन्धित उपबंध, अधिनियम के अधीन विनियमों को बनाने या मानकों को विनिर्दिष्ट करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों तथा केंद्र सरकार, खाद्य प्राधिकरण, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन या कार्यान्वयन करते समय प्रशासन में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्राधिकरण जोखिम विश्लेषण, जोखिम आकलन, जोखिम प्रबंधन, जोखिम संचार, पारदर्शी जन परामर्श, उपभोक्ता हितों के संरक्षण आदि जैसे खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होंगे। यह खाद्य प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार समय–समय पर अन्य सामान्य सिद्धांतों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, यह अनुबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंध कृषक या मछुआरे या कृषि संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जलकृषि और कृषि में प्रयुक्त या उत्पादित प्रदायों या कृषक फार्म या मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं में उत्पादित उत्पादों पर लागू नहीं होंगे।

#### 2.4.4 अध्याय— ।∨: खाद्य वस्तुओं से संबन्धित सामान्य उपबंध

धारा 19 से 24 वाले इस अध्याय में अनुबंध किया गया है कि किसी भी खाद्य वस्तु में संदूषक, स्वाभाविक रूप से होने वाले जहरीला पदार्थ या जीव विष या हार्मोन या भारी धातुएं, कीटनाशी, पीड़कनाशी, पशु औषधि अवशेष, प्रतिजैविक अवशेष, विलायक अवशेष, औषधशास्त्रीय सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी गणना विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई मात्रा से अधिक नहीं होंगे । धारा 19 मानकों विनियमों के अधीन विहित खाद्य योजकों या प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों को छोड़कर अन्य खद्य योजकों या प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों के इस्तेमाल को निषेध करती है । धारा 22 में खाद्य की उन विभिन्न श्रेणियों पर प्रतिबंध है जो विनियमों के अधीन विहित मानकों के अनुसार नहीं हैं ।

धारा 23 में खाद्य को पैकेज करने तथा लेबल लगाने के विषय में उल्लेख है । धारा 24 भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाती है और अनुचित व्यापार व्यवहार को निषेध करती है। इसमें यह भी उपबंध है कि पैकबंद खाद्य उत्पादों को यथा विनिर्दिष्ट चिन्हित किया जाएगा और लेबल लगाया जाएगा । यह जनता को मानकों, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता या क्षमता की ऐसी गारंटी देने जो यथेष्ट या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित नहीं है, के संबंध में गुमराह करने के ध्येय से छलपूर्ण पद्धतियों के व्यवहार को निषेध करती है।

#### 2.4.5 अध्याय- v:आयात से संबन्धित उपबंध

इस अध्याय की एकमात्र धारा 25 में अधिदेश है कि खाद्य वस्तुओं के आयात अधिनियम के उपबंधों के अधीन होंगे । इसमें उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम या किसी कानून और एतदधीन बने विनियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में किसी खाद्य वस्तु का आयात नहीं करेगा । इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि केन्द्र सरकार निषेध करने, प्रतिबंध लगाने या विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम,1992 के अधीन खाद्य वस्तुओं के आयात को अन्यथा विनियमित करते समय इस अधिनियम के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करेगी।



#### 2.4.2 Chapter-II: Food Safety and Standards Authority of India

This Chapter, containing Sections 4 to 17, provides for establishment of the Food Safety and Standards Authority of India, terms and conditions of appointment and removal of Chairman and the members and their terms of office and other conditions, Officers and other employees of the Food Authority, Functions of the Chief Executive Officer, establishment of the Central Advisory Committee and its functions, establishment of Scientific Panels and the Scientific Committee and the procedure for the Scientific Committee and the Scientific Panels. The chapter further details the duties and functions of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food. It also provides for the procedures for conduct of meetings of the Food Authority, transaction of business at its meetings and procedure of voting by Members, etc.

#### 2.4.3 Chapter – III: General Principles of Food Safety

Comprising only Section 18, this chapter contains provisions on the general principles of Food Safety, factors to be taken into account while framing regulations or specifying the Standards under the Act, and the principles to be observed in administration of the Act by the Central Government, the Food Authority, the State Government and other agencies, while enforcing or implementing the provisions of the Act. The said authorities shall be guided by the general principles of Food Safety such as risk analysis, risk assessment, risk management, risk communication, transparent public consultation, protection of consumer interests, etc. It empowers the Food Authority to notify other general principles from time to time as per the requirements.

Further, it stipluates that the provisions of this Act shall not apply to any farmer, or fisherman or

farming operations or crops or livestock or aquaculture, and supplies used or produced in farming or products of crops produced by a farmer at farm level or a fisherman in his operations.

### 2.4.4 Chapter –IV: General provisions as to articles of food

Comprising of Sections 19 to 24, this chapter stipulates that no article of food shall contain contaminants, naturally occurring toxic substances or toxins or hormone or heavy metals insecticides, pesticides, veterinary drugs residues, antibiotic residues, solvent residues, pharmacological active substances and microbiological counts in excess of such quantities as may be specified by the regulations. Section 19 prohibits use of food additives or processing aids other than those prescribed under the Standards/ regulations. Section 22 places a restriction on various categories of food, which are not in accordance with the standards prescribed under the regulations.

Section 23 deals with the subject of packaging and labelling requirements of food. Section 24 places restrictions on misleading advertisements and prohibits use of unfair trade practices. It also provides that packaged food product shall be marked and labelled as specified. It prohibits deceptive practices to mislead the public regarding the standards, quality, quantity, usefulness or giving of any guarantee of the efficacy that is not based on an adequate or scientific justification thereof.

#### 2.4.5 Chapter-V: Provisions Relating to Import

Containing only Section 25, this chapter mandates that all import of articles of food are subject to the provisions of the Act. It provides that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise





#### 2.4.6 अध्याय– VI : खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष जिम्मेदारियाँ

यह अध्याय जिसमें धारा 26 से 28 शामिल हैं, खाद्य व्यवसाय संचालक के नियंत्रण में व्यवसाय के अंदर खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण तथा बिक्री की सभी अवस्थाओं में इस अधिनियम तथा एतदधीन बने नियमों तथा विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी जिम्मेदारियों का उपबंध करता है । धारा 27 में खाद्य वस्तुओं के निर्माताओं, वितरकों एवं विक्रेताओं के दायित्वों के बारे मे उल्लेख है यदि वे अधिनियम और एतदधीन बने नियमों और विनियमों की खाद्य संरक्षा अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं । धारा 28 में खाद्य प्रत्याहवान प्रक्रियाओं तथा अधिनियम तथा एतदधीन निर्मित विनियमों के उपबंधों के अनुपालन न होने के मामले में बाजार से खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा खाद्य वस्तु वापस लेने की जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की गई है ।

#### 2.4.7 अध्याय— vii: अधिनियम का प्रवर्तन

इस अध्याय में शामिल अधिनियम की धारा 29 से 42 तक में खाद्य प्राधिकरण तथा राज्य खाद्य प्राधिकरणों की जिम्मेदारियां सहित प्रवर्तन संबन्धित उपबंधों के बारे में चर्चा है । इन धाराओं में राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति, खाद्य व्यवसाय के अनुज्ञापन तथा पंजीकरण, सुधार सूचना, निषेध आदेशों, आपात निषेध सूचना एवं आदेशों, खाद्य विषाक्त होने की अधिसूचना, नामोद्दिष्ट अधिकारी, खाद्य संरक्षा अधिकारी की नियुक्ति , उनकी शक्तियों, दायित्वों, तलाशी, अभिग्रहण, अभियोजन तथा इसकी प्रक्रिया के लिए तथा क्रेता को खाद्य विश्लेषित करने संबंधी उपबंध हैं ।

#### 2.4.8 अध्याय- । आः खाद्य का विश्लेषण

इस अध्याय में शामिल धारा 43 से 47 तक में प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों तथा अभिनिर्देश खाद्य प्रोयशालाओं, खाद्य विश्लेषक, खाद्य विश्लेषक के कार्यों तथा खाद्य के नमूना लेने तथा विश्लेषण संबन्धित उपबंध हैं।

#### 2.4.9 अध्याय— IX: अपराध और दंड

यह अध्याय, जिसमें धारा 48 से 67 शामिल हैं, विक्रय किये जाने वाले ऐसे खाद्य पदार्थ जो मांग की गई प्रकृति या पदार्थ या गुणवत्ता के नहीं है, गलत ब्रांड के भोजन, भ्रामक विज्ञापनों, बाहरी तत्व वाले खाद्य, अस्वास्थ्यकर या गंदे प्रसंस्करण, मिलावट से संबन्धित विभिन्न अपराधों और दंड से संबन्धित है । इस अध्याय में असुरक्षित खाद्य, बरामद वस्तुओं में दखलंदाजी करने, गलत सूचना देने, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य में बाधा उत्पन करने या छद्म रूप धारण करने, बिना लाईसेंस के व्यापार करने हेतु दंड तथा उपभोक्ता के घायल या मृत्यु होने की दशा में मुआवजा संबंधी उपबंध हैं।

#### 2.4.10अध्याय— x : न्याय निर्णयन और खाद्य संरक्षा अपील अधिकरण

धारा 68 से 80 तक वाले इस अध्याय में राज्य सरकारों को जिला में न्यायनिर्णयन अधिकारी अधिसूचित करने का प्राधिकार है। यह अपराधों को संयोजित करने की शक्तियों, नामोद्दिष्ट अधिकारियों की शक्तियों, खाद्य संरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना तथा अधिकरण की प्रक्रियाओं और शक्तियों को परिभाषित करता है। यह अध्याय न्यायालयों की अधिकारिता को ऐसे मामलो मे वर्जित करता है जिसमें अधिनियम द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारी या अधिकरण को शक्तियाँ प्रदत हैं। इस अधिनियम में उपबंध है कि न्यायालय मामलों की सरसरी तौर पर विचारण कर सकता है। इस अधिनियम में खाद्य से संबन्धित अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों तथा लोक अभियोजकों का भी उपबंध है।

#### 2.4.11अध्याय— xI: वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

इस अध्याय में धारा 81 से 84 है जिसमें खाद्य प्राधिकरण से ऐसे वार्षिक बजट तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसमें खाद्य प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों तथा



regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act.

#### 2.4.6 Chapter– VI: Special Responsibilities as to Food Safety

This chapter, containing Sections 26 to 28, provides for the responsibilities of the food business operator to ensure that the articles of food satisfy the requirements of the Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control. Section 27 deals with the liabilities of the manufacturers, distributors and sellers of articles of food if they do not conform to the food safety requirements of the Act and the rules and regulations made thereunder. Section 28 spells out the Food Recall procedures and the responsibilities of a Food Business Operator to withdraw the Food from market in case the same is non-compliant with the provisions of the Act and the regulations framed thereunder.

#### 2.4.7 Chapter – VII: Enforcement of the Act

Sections 29 to 42 of the Act comprised in this Chapter deal with the enforcement related provisions including the responsibilities of the Food Authority and the State Food Authorities. Provisions for appointment of Commissioner of Food Safety of the State, licensing and registration of food business, improvement notices, prohibition orders, emergency prohibition notices and orders, notification of food poisoning, appointment of the Designated Officer, Food Safety Officer and their powers, liabilities, powers of search, seizure, prosecution and procedure thereof, and the provision for a purchaser to have the food analysed are contained in these sections.

#### 2.4.8 Chapter – VIII: Analysis of Food

Sections 43 to 47 included in this chapter contain

the provisions relating to recognition and accreditation of laboratories, research institutions and referral food laboratories, food analyst, functions of the food analyst and the provisions for sampling and analysis of food.

#### 2.4.9 Chapter - IX : Offences and Penalties

This chapter, consisting of Sections 48 to 67, deals with the various offences and penalties for selling food not of the nature or substance or quality demanded, sub-standard food, misbranded food, misleading advertisements, for food containing extraneous matter, for unhygienic or unsanitary processing, for possessing adulterant. The chapter contains provisions for punishment for unsafe food, for interfering with seized items, for false information, for obstructing or impersonating a Food Safety Officer, for carrying out a business without license and compensation in case of injury or death of consumer.

#### 2.4.10 Chapter – X: Adjudication and Food Safety Appellate Tribunal

Comprising of Sections 68 to 80, this chapter authorises the state governments to notify the adjudicating officer in the district. It defines the powers to compound offences, the powers of the designated officers, establishment of the Food Safety Appellate Tribunals and the procedures and powers of the Tribunal. The chapter bars the jurisdiction of courts in the matters in which the adjudicating officer or Tribunal is empowered by the act. The act provides that the courts can try the cases summarily. The act also provides for the special courts and public prosecutors for the offences related to the food.

### 2.4.11 Chapter –XI: Finance, Accounts, Audit and Reports

The Chapter contains Sections 81 to 84 requiring the Food Authority to prepare an Annual Budget showing the estimated receipts and expenditure





व्यय को दर्शाया गया हो । केंद्र सरकार इस राशि में से ऐसी राशि अनुदान करेगी जैसा कि उचित लगता हो । इसमें उपबंध है कि खाद्य प्राधिकरण समुचित लेखा तथा लेखाओं के विवरणों को बनाए रखेगा । खाद्य प्राधिकरण से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की जाती है जिसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा ।

#### 2.4.12 अध्याय— XII: विविध

धारा 85 से 101 तक के इस अध्याय में केंद्र सरकार को खाद्य प्राधिकरण, राज्य सरकारों को निदेश देने तथा रिपोर्ट तथा विवरणी प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है । इस अध्याय में खाद्य संबंधी अन्य सभी कानूनों के ऊपर इस अधिनियम के नियंत्रण प्रभाव का वर्णन है । यह केंद्र सरकार को नियम बनाने तथा खाद्य प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति देता है । इस अध्याय में राज्य सरकारों को नियम बनाने तथा परितोषिक की प्रक्रिया तथा अधिपरोपित दंड वसूली की प्रक्रिया निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है ।

#### अनुसूचियाँः

इस अधिनियम के अंत में दो अनुसूचियाँ हैं । प्रथम अनुसूची में पाँच अंचल है जिसमें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समूहीकृत किया गया है जबकि दूसरी अनुसूची में अधिनियम तथा विभिन्न आदेश हैं जिसे इस अधिनियम के लागू होने से निरस्त माना जाएगा ।



of the Food Authority. The Central Government shall make grants of such sum of money as it deems fit. It provides that the Food Authority shall maintain proper accounts and an annual statements of accounts. The Food Authority is required to prepare an Annual Report, which is to be laid before each House of Parliament.

#### 2.4.12 Chapter – XII : Miscellaneous

This chapter, containing Sections 85 to 101, empowers the Central Government to issue directions to Food Authority, State Governments and obtain reports and returns. The chapter gives overriding effect of this Act over all other food related laws. It empowers the Central Government to make rules and the Food Authority to make regulations. The chapter also gives State Governments powers to make rules and the procedure for rewards and the procedure for recovery of penalties imposed.

#### Schedules:

There are two Schedules given at the end of the Act. While the First Schedule contains the five zones into which all the States and UTs have been grouped, the Second Schedule contains the Act and various orders which stand repealed with the coming into force of this Act.

### अध्याय–3

## खाद्य सुरक्षा और मानक नियम एवं विनियम, 2011

- 3.1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 को अधिसूचित किया जो 5 अगस्त, 2011 से लागू हुआ।
- 3.2. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन एफ एस एस ए आई ने भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 2011 को निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित किया है और ये 5 अगस्त, 2011 से प्रवृत्त हुए;
  - (i) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का अनुज्ञापन तथा पंजीकरण) विनियम, 2011;
  - (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग तथा लेबलिंग)
    विनियम, 2011;
  - (iii) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानकों तथा खाद्य योजकों) विनियम, 2011;
  - (iv) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय सम्बंधित निषेध तथा प्रतिबन्ध) विनियम, 2011;

- (v) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीवविष तथा अवशेष) विनियम, 2011;
- (vi) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला तथा नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011;
- 3.3. इसके साथ–साथ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वर्णित अधिनियमन और आदेशों को 5.8.2011 से निरस्त माना गया।
- 3.4. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 5.8.2011 से परिचालनीय हुआ है। खाद्य विनियामक ढांचा अब सीमित 'खाद्य मिलावट को रोकने' की व्यवस्था से 'सुरक्षित और पौष्टिक' आहार व्यवस्था की ओर बढ़ गया है।
- 3.5. मौजूदा खाद्य मानकों की समीक्षा तथा कोडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय बेहतरीन प्रणालियों के साथ उनके सुमेलन का कार्य प्रारंभ किया गया है और जोखिम निर्धारण निकायों के रूप में वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समितियों के गठन के साथ वैज्ञानिक ढांचा भी तैयार हो गया है।

## **CHAPTER-3**



## Food Safety and Standards Rules and Regulations, 2011

- 3.1 The Central Government in the Ministry of Health & Family Welfare notified the Food Safety and Standards Rules, 2011, which came into effect from 5° August, 2011.
- 3.2 Under the Food Safety and Standards Act, 2006, the FSSAI has notified the following regulations in the Gazette of India on 1<sup>e</sup> August, 2011 and the same came into force from 5<sup>e</sup> August, 2011:-
  - Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011
  - (ii) Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011
  - (iii) Food safety and Standards (Food product Standards and Food Additives) Regulations, 2011
  - (iv) Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011

- (v) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011
- (vi) Food Safety and Standards (Laboratory and sampling analysis) Regulations, 2011
- 3.3 Simultaneously, the enactments and orders mentioned in the Second Schedule of the Act stood repealed w.e.f. 5.8.2011.
- 3.4 The Food Safety and Standards Act became operational with effect from 5.8.2011. The food regulatory framework has now moved from limited 'prevention of food adulteration' regime to 'safe and wholesome' food regime.
- 3.5 The exercise for review of existing Food Standards and their harmonization with Codex and other international best practices has been initiated and the Scientific framework put in place with the establishment of Scientific Panels and the Scientific Committee as the risk assessment bodies.

### अध्याय–4

## भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

- 4.1. जैसा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनयम, 2006 की धारा 4 के अंतर्गत उल्लिखित था, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन 2008 में किया गया। खाद्य संरक्षा तथा खाद्य मानकों से सम्बंधित सभी मामलों के लिए यह एक विनियामक निकाय है और यह बहु—स्तरीय, बहु—विभागीय नियंत्रण से हट कर एकल समादेश केंद्र बन गया है।
- 4.2. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) का प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली 110002 स्थित एफ डी ए भवन, कोटला रोड है।
- 4.3. एफ एस एस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण के एक अध्यक्ष होंगे तथा निम्नलिखित 22 (बाईस) सदस्य होंगे जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होंगी:--
- (क) भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर तक के सात सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और ये केंद्र सरकार के उन मंत्रालयों या विभागों के होंगे जो निम्नलिखित कार्यों से संबंध रखते हैं:-
  - i) कृषि
  - ii) वाणिज्य
  - iii) उपभोक्ता मामले
  - iv) खाद्य प्रसंस्करण
  - v) स्वास्थ्य
  - vi) विधायी कार्य
  - vii) लघु उद्योग
    और ये पदेन सदस्य होंगे.

- (ख) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक प्रतिनिधि लघु उद्योग से रहेगा;
- (ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि रहेंगे;
- (घ) तीन ख्याति प्राप्त खाद्य प्रौद्धोयोगिकीविद या वैज्ञानिक होंगे;
- (ड) चक्रानुक्रम से प्रत्येक तीन वर्षों में पांच सदस्यों की नियुक्ति होगी जिनमें से क्रमानुसार प्रत्येक उन क्षेत्रों से एक होंगे जैसा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है;
- (च) किसान संगठनों के प्रतिनिधि स्वरुप दो व्यक्ति होंगे;
- (छ) खुदरा विक्रेता संगठनों से एक प्रतिनिधि होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के वैधानिक प्रतिनिधि होंगे और ये ही प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी रहेंगे।

## CHAPTER-4



## The Food Safety and Standards Authority of India

- 4.1 The Food Safety and Standards Authority of India was set up in 2008 as envisaged under Section 4 of the Food Safety and Standards Act, 2006. It is the regulatory body for all matters relating to food safety and food standards and represents a shift from multi – level, multi departmental control to a single line of command.
- 4.2 Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is the Administrative Ministry of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The Chairperson and Chief Executive Officer of FSSAI are appointed by the Central Government. The Head office of the Authority is located in New Delhi at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002.
- 4.3 As per Section 5 of the FSS Act, The Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty two members out of which one – third shall be women, namely:-
  - (a) Seven members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to be appointed by the Central Government, to respectively represent the Ministry or Departments of the Central Government dealing with-
    - (i) Agriculture,
    - (ii) Commerce,

- (iii) Consumer Affairs,
- (iv) Food Processing,
- (v) Health,
- (vi) Legislative Affairs,
- (vii) Small Scale Industries,

who shall be Members ex officio.

- (b) Two representatives from the food industry of which one shall be from small scale industries;
- (c) Two representatives from consumer organizations;
- (d) Three eminent food technologists or scientists;
- (e) Five members to be appointed every three years, on rotation, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories;
- (f) Two persons to represent farmers' organizations;
- (g) One person to represent retailers' organizations.

The Chief Executive Officer (CEO) is the legal representative of the Food Authority and also the member secretary of the Food Authority.





- 4.4. खाद्य प्राधिकरण के दायित्व और कार्य अधिनियम की धारा
  16 में विहित हैं जो इस प्रकार हैं:--
- (1) खाद्य प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय तथा आयात को विनियमित और मानीटरिंग करे ताकि सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य सुनिश्चित हो सके।
- (2) उप धारा (1) के प्रावधानों पर बगैर प्रतिकूल प्रभाव डाले खाद्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा निम्नलिखित निर्दिष्ट कर सकता है;

- (क) खाद्य सामग्रियों के सम्बन्ध में मानक तथा दिशा—निर्देश तथा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विविध मानकों के प्रवर्तन हेतु समुचित प्रणाली निर्दिष्ट करना;
- (ख) खाद्य योजकों, फसल दूषकों, कीटनाशी अवशिष्ट, पशु औषधि अवशिष्टों, भारी खनिज, प्रसंस्करण सहायकों, माइको–टॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एवं औषधि विज्ञान सम्बन्धी सक्रिय पदार्थों के प्रयोग एवं खाद्य पदार्थों के प्रदीपन की सीमाएं;
- (ग) खाद्य व्यवसाय के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन से जुड़े प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन हेतु तंत्र तथा दिशा–निर्देश;
- (घ) भारत में आयात की गई किसी खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया और प्रवर्तन;
- (ङ) प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा—निर्देश;
- (च) नमूना लेने, विश्लेषण करने और प्रवर्तन विभागों के मध्य सूचना के विनियम की विधि;
- (छ) देश में इस अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन का सर्वेक्षण;
- (ज) स्वास्थ्य, पोषण, विशिष्ट आहार उपयोग पर दावों सहित खाद्य लेबलिंग मानक और खाद्य पदार्थों की खाद्यता श्रेणी प्रणाली;
- (झ) तरीके तथा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जोखिमों का विश्लेषण, आकलन, संप्रेषण तथा प्रबंधन किया जाएगा।
- (3) खाद्य प्राधिकरण यह भी करेगाः
  - (क) उन क्षेत्रों के लिए, जहाँ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को नियम एवं नीति बनाने के मामले में





- 4.4. The duties and functions of the Food Authority have been prescribed under Section 16 of the Act as under:-
- (1) It shall be the duty of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub section (1), the Food Authority may by regulations specify-

- the standards and guidelines in relation to articles of food and specifying an appropriate system for enforcing various standards notified under this Act;
- (b) the limits for use of food additives, crop contaminants, pesticide residues, residues of veterinary drugs, heavy metals, processing aids, myco – toxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food;
- (c) the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management systems for food businesses;
- (d) the procedure and the enforcement of quality control in relation to any article of food imported into India;
- (e) the procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories;
- (f) the method of sampling, analysis and exchange of information among enforcement authorities;
- (g) conduct survey of enforcement and administration of this Act in the country;
- (h) food labelling standards including claims on health, nutrition, special dietary uses and food category systems for foods; and
- the manner in which and the procedure subject to which risk analysis, risk assessment, risk communication and risk management shall be undertaken.
- (3) The Food Authority shall also
  - (a) provide scientific advice and technical support to the Central Government and the State Governments in matter of framing the policy and rules in areas





वैज्ञानिक सलाह तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना;

- (ख) विशेष तौर पर निम्नलिखित से सम्बंधित संगत वैज्ञानिक और तकनीकी डाटा की खोज, संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और संक्षेपणः—
  - खाद्य उपभोग और खाद्य उपभोग से सम्बंधित व्यक्तियों को होने वाली जोखिमें
  - ii) प्रभाव तथा जैविक जोखिमों की मौजूदगी
  - iii) खाद्य पदार्थों के संदूषक
  - iv) विविध संदूषकों के अवशिष्ट
  - v) उत्पन्न हो रहे जोखिमों की पहचान, और
  - vi) त्वरित सतर्कता प्रणाली लागू करना
- (ग) जोखिम–आकलन के विकास हेतु प्रोत्साहन समन्वयन तथा दिशा–निर्देश जारी करना, मानीटर तथा संचालित करना तथा खाद्य के स्वास्थ्यकर एवं पोषण जोखिमों के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के पास सन्देश प्रेषित करना;
- (घ) खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में संकट प्रबंधन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना और संकट प्रबंधन के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना और केंद्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में गठित संकट इकाई के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना;
- (ड) कार्य–कलापों के समन्वय, सूचनाओं के आदान–प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन, खाद्य प्राधिकरण के दायित्व वाले क्षेत्रों में कुशलता और सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के आदान–प्रदान द्वारा एक वैज्ञानिक सहयोग ढांचे को सुलभ बनाने के उद्देश्य से संगठनात्मक नेटवर्क प्रणाली तैयार करना;
- (च) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में प्रगति लाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना ताकि जन साधारण, उपभोक्ता, इच्छुक पार्टी और पंचायत के सभी स्तरों को त्वरित, विश्वसनीय, वस्तुपरक तथा समग्रता में सूचनाएं उपयुक्त तरीके तथा साधनों द्वारा प्राप्त हों;

- (ज) अपने क्षेत्र में या इससे बाहर, खाद्य सुरक्षा और मानकों में उन व्यक्तियों, जो खाद्य व्यवसाय में हैं या खाद्य व्यवसाय में, चाहे खाद्य व्यवसाय संचालक या कर्मचारी या अन्यथा शामिल होने के इच्छुक हैं, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना;
- (झ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य करना;
- (ट) खाद्य, स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानकों को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी के रूप में विकसित करने में योगदान करना;
- (ठ) विशिष्ट खाद्य सम्बंधित उपायों की समतुल्यता की मान्यता पर समझौते के विकास के लिए, जहाँ संगत और उपयुक्त हो, योगदान करना;
- (ड) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे खाद्य मानकों के समन्वय कार्य को प्रोत्साहित करना;
- (ढ) यह सुनिश्चित करते समय कि देश में अपनाया गया सुरक्षा स्तर कम नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के मध्य संगति को बढावा देना;
- (त) खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में जन—जागरूकता को प्रोत्साहित करना।
- खाद्य प्राधिकरण बगैर अनावश्यक विलम्ब के निम्नलिखित को सार्वजनिक करेगाः–



which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition;

- (b) search, collect, collate, analyse and summarise relevant scientific and technical data particularly relating to –
  - food consumption and the exposure of individuals to risks related to the consumption food;
  - (ii) incidence and prevalence of biological risk;
  - (iii) contaminants in food;
  - (iv) residues of various contaminants;
  - (v) identification of emerging risks; and
  - (vi) introduction of rapid alert system;
- (c) promote, co-ordinate and issue guidelines for the development of risk assessment methodologies and monitor and conduct and forward messages on the health and nutritional risks of food to the Central Government, State Governments and Commissioners of Food Safety;
- (d) provide scientific and technical advice and assistance to the Central Government and the State Governments in implementation of crisis management procedures with regard to food safety and to draw up a general plan for crisis management and work in close co-operation with the crisis unit set up by the Central Government in this regard;
- (e) establish a system of network of organizations with the aim to facilitate a scientific co-operation framework by the co-ordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, the exchange of expertise and best practices in the fields within the Food Authority's responsibility;

- (f) provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Government for improving co-operation with international organizations;
- (g) take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means;
- (h) provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food businesse operators or employees or otherwise;
- undertake any other task assigned to it by the Central Government to carry out the objects of this Act;
- (j) contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phyto-sanitary standards;
- (k) contribute, where relevant and appropriate to the development of agreement on recognition of the equivalence of specific food related measures;
- promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations;
- (m) promote consistency between international technical standards and domestic food standards while ensuring that the level of protection adopted in the country is not reduced; and
- (n) promote general awareness as to food safety and food standards,
- (4) The Food Authority shall make it public without undue delay-





- (क) अंगीकरण के तुरंत बाद वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की राय;
- (ख) खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्य तथा वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनेल के सदस्यों द्वारा की गई रूचि की वार्षिक घोषणा के साथ ही बैठक की कार्यसूची की मदों के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, की गई रूचि की घोषणाएं;
- (ग) अपने वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम; और
- (घ) अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।
- (5) खाद्य प्राधिकरण समय–समय पर खाद्य सुरक्षा और

मानकों के मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त को निदेश दे सकता है और वे इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय इसका पालन करने को बाध्य होंगे;

- (6) खाद्य प्राधिकरण प्राप्त हुई तृतीय पक्ष की जानकारी जिसके लिए गोपनीयता का अनुरोध किया गया हो और जिसे स्वीकार कर लिया गया हो, प्रकट नहीं करेगा या करने का कारण नहीं बनेगा सिवाय इसके कि जब ऐसी स्थिति हो कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सार्वजनिक करना आवश्यक हो;
- 4.5. वर्ष 2014–15 के दौरान खाद्य प्राधिकरण का संघटन निम्नलिखित थाः–

	खाद्य प्राधिकरण के सदस्य		
	अध्यक्ष		
	श्री के. चंद्रमौली (01.04.2014 से 23.01.2015) श्री बी.पी. शर्मा(04.02.2015 से 31.03.2015)		
	सदस्य सचिव (सी ई ओ)		
	श्री डी.के. सामन्तरे (01.04 से 26.08.2014) श्री युद्धवीर सिंह मलिक (20.10.2014 से 31.03.2015)		
	धारा 5 (1) (क) के तहत पदेन सदस्य		
1.	(i) ड. अरुण कुमार पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जुलाई 2014 तक		
	(ii) श्री आर.के.जैन, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नवम्बर 2014 तक, और		
	(iii) श्री के.एल.शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नवम्बर 2014 से		
2.	श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय		
3.	श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय		
4.	श्री मनोज परिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय		
5.	श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
6.	डॉ. रीता वशिष्ठ, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता, विधि और न्याय मंत्रालय		
7.	श्रीमती सुनीता छिब्बा, अपर विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय		



- (a) the opinions of the Scientific Committee and the Scientific Panel immediately after adoption;
- (b) the annual declarations of interest made by members of Food Authority, the Chief Executive Officer, members of the advisory Committee and members of the Scientific Committee and Scientific Panel, as well as the declarations of interest if any, made in relation to items on the agendas of meetings;
- (c) the results of its scientific studies; and
- (d) the annual report of its activities;

- (5) The Food Authority may from time to time give such directions, on matters relating to food safety and standards, to the Commissioner of Food Safety, who shall be bound by such directions while exercising his powers under this Act;
- (6) The Food Authority shall not disclose or cause to be disclosed to third parties confidential information that it receives for which confidential treatment has been requested and has been accepted, except for information which must be made public if circumstances so require, in order to protect public health.
- 4.5 The composition of the Food Authority during the year 2014-15 was as under:

	Members of the Food Authority
	Chairperson
	Shri K. Chandramouli (01.04.2014 to 23.01.2015) Sh. B. P. Sharma (04.02.2015 to 31.03.2015)
	Member Secretary (CEO)
	Shri D.K. Samantaray (01.04.2014 to 26.08.2014) Shri Yudhvir Singh Malik (20.10.2014 to 31.03.2015)
	Ex-officio members under section 5 (1) (a)
1	(i) Dr. Arun K. Panda, JS, Ministry of Health & Family Welfare till July, 2014;
	(ii) Sh. R.K. Jain, Additional Secretary, Ministry of Health & Family Welfare till November, 2014; and
	(iii) Sh. K.L. Sharma, JS, Ministry of Health & Family Welfare (November, 2014 onwards)
2	Shri Utpal Kumar Singh, JS, Ministry of Agriculture
3	Shri Asit Tripathy, JS, Ministry of Commerce
4	Shri Manoj Parida, JS, Ministry of Consumer Affairs
5	Smt. Anuradha Prasad, JS, Ministry of Food Processing Industries
6	Dr. Reeta Vasishta, JS & Legislative Counsel, Ministry of Law & Justice
7	Smt. Sunita Chhibba, Addl. Development Commissioner, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises





	सदस्य
8.	श्रीमती श्रेया पाण्डेय, अखिल भारतीय फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन
9.	श्रीमती मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इन्डियन इंडस्ट्री
10.	श्री थंग्लूरा, मिजोरम कंज्यूमर्स यूनियन
11.	श्री वासुदेव के. ठक्कर, वी.केयर राइट एंड ड्यूटी एन. जी. ओ.
12.	श्री अबुल कलाम, मदीना मन्वारे कैफे इस्टेट
13.	डॉ. ए. आर. शर्मा, राइसेला हेल्थ फूड्स लि.
14.	डॉ. गुरुदयाल सिंह टूटेजा, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्
15.	डॉ. ललिता रामकृष्ण गौडा, प्रोटीन रसायन तथा प्रौद्योगिकी विभाग
16.	प्रो. (डॉ.) ए.के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय डेयरी अनुसन्धान संस्थान
17.	श्री बालासुब्रमन्यम वी., प्रॉन फार्मर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया
18.	श्री सलीम ए. वेल्जी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, गोवा सरकार
19.	श्री विनीत चौधरी, हिमाचल प्रदेश सरकार
20.	श्री सुनील कुमार, छत्तीसगढ़ सरकार
21.	श्री पी.पी. वर्मा, असम सरकार
22.	श्री के.के. शर्मा, चंडीगढ़ प्रशासन



	Members
8	Smt. Shreya Pandey, All India Food Processors Association
9	Smt. Meetu Kapoor, Confederation of Indian Industry
10	Shri Thanglura, Mizoram Consumer's Union
11	Shri Vasudev. K. Thakkar, V. Care Right and Duty N.G.O
12	Shri Abulkalam, Madina Munvare Caffee Estate
13	Dr. A.R. Sharma, Ricela Health Foods Ltd.
14	Dr. Gurudayal Singh Toteja, Indian Council of Medical Research
15	Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Department of Protein Chemistry and Technology
16	Prof. (Dr.) A.K. Srivastava, National Dairy Research Institute
17	Shri. Balasubramaniam V., Prawn Farmers Federation of India
18	Shri. Salim A. Veljee, Directorate of Food & Drugs Administration, Govt. of Goa
19	Shri. Vineet Chawdhary, Govt. of Himachal Pradesh
20	Shri Sunil Kumar, Govt. of Chhattisgarh
21	Shri P.P. Verma, Govt. of Assam
22	Shri K.K. Sharma, Chandigarh Administration

### अध्याय—5

## केन्द्रीय सलाहकार समिति (सी ए सी)

- 5.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा।। में केन्द्रीय सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है तथा धारा 12 में इसके कार्यों का वर्णन किया गया है।
- 5.2 केन्द्रीय सलाहकार समिति में खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ता, संबन्धित अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों के प्रतिनिधि स्वरूप प्रत्येक से दो—दो सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त और वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। केन्द्रीय सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं।
- 5.3 केंद्र सरकार के संबधित मंत्रालय या विभाग यथा कृषि, पशुपालन और डेरी उद्योग, जीव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण तथा वन, खाद्य

प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, लघु उद्योग एवं खाद्य व जन वितरण से प्रतिनिधिगण को अथवा सरकारी संस्थानों या संगठनो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसानों को केन्द्रीय सलाहकार समिति के विचार–विमर्श में आमंत्रित होते हैं।

- 5.4 केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण तथा प्रवर्तन एजेंसियों एवं खाद्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनो के बीच आपसी निकटता सुनिश्चित करती है।
- 5.5 समिति का मूल अधिदेश प्राधिकरण को कार्य योजनाओं कार्य प्राथमिकताओं पर सलाह देना, संभावित जोखिमों का पता लगाना तथा ज्ञान का एकीकरण है।
- 5.6 रिपोर्ट वर्ष के दौरान केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची निम्नलिखित हैं।

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	स्थिति
1.	श्री दिलीप कुमार सामंतरे, अगस्त 2014 तक श्री वाई.एस. मलिक, मु.का.अ., एफ.एस.एस.ए.आई., 20, अक्टूबर, 2014 से	अध्यक्ष
2.	प्रो. (डॉ.) निर्मल कुमार गांगुली	पदेन सदस्य
क.	खाद्य सुरक्षा आयुक्त	
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
4.	आंध्र प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
5.	अरुणाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
5.	अरुणाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य

### CHAPTER-5

## **Central Advisory Committee (CAC)**

- 5.1 Section 11 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of the Central Advisory Committee (CAC) and Section 12 delineates the functions of the CAC.
- 5.2 The Central Advisory Committee consists of two members each to represent the interests of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories. In addition, all the Commissioners of Food Safety and the Chairperson of the Scientific Committee are ex-officio members. The Chief Executive Officer is the ex-officio Chairperson of the Central Advisory Committee.
- 5.3 The representatives of the concerned Ministries or Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Bio- technology, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Environment and Forests,

Food Processing Industries, Health, Panchayati Raj, Small Scale Industries and Food and Public Distribution or government institutes or organizations and government recognised farmers' are invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee.

- 5.4 The Central Advisory Committee ensures close cooperation between the Food Authority and the Enforcement Agencies and Organizations operating in the field of food.
- 5.5 The primary mandate of the Committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge.
- 5.6 The list of the members of the Central Advisory Committee during the year under Report is given below:

Sr. No.	Name of the Person	Position
1.	Sh. Dillip Kumar Samantaray till August, 2014 Sh. Y. S. Malik, CEO, FSSAI from 20 <sup>th</sup> October, 2014	Chairperson
2.	Prof. (Dr.) Nirmal Kumar Ganguly	Ex-officio Member
Α.	Food Safety Commissioners	
3	Commissioner of Food Safety for Andaman & Nicobar Islands	Member
4	Commissioner of Food Safety for Andhra Pradesh.	Member
5	Commissioner of Food Safety for Arunachal Pradesh	Member

7.    बिहार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      8.    चंडीगढ़ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      9.    छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      10.    वावर व नगर हवेती के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      11.    वमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      12.    दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      13.    गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      14.    गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      18.    डारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      21.    लह्यदीम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवस्य      25.    मेघात्य के खाद सुरक्षा आयुक्त    संवस्य	6.	असम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
9.    छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      10.    दादर व नगर हवेती के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      11.    दमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      12.    दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      13.    गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      14.    गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    करेत्ल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    महरा पुरे के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघलय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिजेरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागार्क के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य <td>7.</td> <td>बिहार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त</td> <td>सदस्य</td>	7.	बिहार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
10.    दादर व नगर हवेती के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      11.    दमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      12.    दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      13.    गोवा के खाद सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      14.    गुजरात के खाद सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      15.    हरियाणा के खाद सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व करमीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    शारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्षदीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    महराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिजोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागातँढ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	8.	चंडीगढ़ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
11.    दमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      12.    दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      13.    गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      14.    गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      16.    हिमावल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      18.    शारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      25.    मेपालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संवरस्य      30.    पंजाय के खाद सुरक्षा आयुक्त    <	9.	छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
12.    दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      13.    गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      14.    गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेदालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	10.	दादर व नगर हवेली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
13.    गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      14.    गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिजोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागातैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुधेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्था के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	11.	दमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
14.    गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मैघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिजोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुवेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्था में खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य   <	12.	दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
15.    हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      16.    हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुंडुयेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्था आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्रिक्त के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य <t< td=""><td>13.</td><td>गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त</td><td>सदस्य</td></t<>	13.	गोवा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
16.    हिमायल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिजोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुंचुरेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	14.	गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
17.    जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      29.    पुडुच्रेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      32.    सिंक्लिम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    संदस्य	15.	हरियाणा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
18.    झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालँड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	16.	हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
19.    कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालँड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	17.	जम्मू व कश्मीर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
20.    केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुयेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	18.	झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
21.    लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	19.	कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
22.    मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	20.	केरल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
23.    महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलगाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	21.	लक्ष्यद्वीप के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
24.    मणिपुर के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	22.		सदस्य
25.    मेघालय के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	23.		सदस्य
26.    मिज़ोरम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	24.		सदस्य
27.    नागालैंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	25.		सदस्य
28.    ओडिसा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	26.		सदस्य
29.    पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	27.		सदस्य
30.    पंजाब के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	28.		सदस्य
31.    राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      32.    सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      33.    तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य      34.    तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त    सदस्य	29.	पुडुचेरी के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
32.  सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त  सदस्य    33.  तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त  सदस्य    34.  तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त  सदस्य	30.		सदस्य
33.  तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त  सदस्य    34.  तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त  सदस्य	31.	राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
34. तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सदस्य	32.	सिक्किम के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
	33.	तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
35. त्रिपुरा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सदस्य	34.	तेलांगना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
	35.	त्रिपुरा के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य





6	Commissioner of Food Safety for Assam	Member
7	Commissioner of Food Safety for Bihar	Member
8	Commissioner of Food Safety for Chandigarh	Member
9	Commissioner of Food Safety for Chattisgarh	Member
10	Commissioner of Food Safety for Dadra & Nagar Haveli	Member
11	Commissioner of Food Safety for Daman & Diu	Member
12	Commissioner of Food Safety for Delhi	Member
13	Commissioner of Food Safety for Goa	Member
14	Commissioner of Food Safety for Gujarat	Member
15	Commissioner of Food Safety for Haryana	Member
16	Commissioner of Food Safety for Himachal Pradesh	Member
17	Commissioner of Food Safety for Jammu & Kashmir	Member
18	Commissioner of Food Safety for Jharkhand	Member
19	Commissioner of Food Safety for Karnataka	Member
20	Commissioner of Food Safety for Kerala	Member
21	Commissioner of Food Safety for Lakshwadeep	Member
22	Commissioner of Food Safety for Madhya Pradesh	Member
23	Commissioner of Food Safety for Mahrashtra	Member
24	Commissioner of Food Safety for Manipur	Member
25	Commissioner of Food Safety for Meghalya	Member
26	Commissioner of Food Safety for Mizoram	Member
27	Commissioner of Food Safety for Nagaland	Member
28	Commissioner of Food Safety for Odisha	Member
29	Commissioner of Food Safety for Puducherry	Member
30	Commissioner of Food Safety for Punjab	Member
31	Commissioner of Food Safety for Rajasthan	Member
32	Commissioner of Food Safety for Sikkim	Member
33	Commissioner of Food Safety for Tamil Nadu	Member
34	Commissioner of Food Safety for Telangana	Member
35	Commissioner of Food Safety for Tripura	Member





36.	उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
37.	उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
38.	पश्चिम बंगाल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त	सदस्य
ख.	खाद्य उद्योग	
39.	श्री अनर्व कुमार हाजरा द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग संघ की भारतीय इकाई (फिक्की) फ़ैडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
40.	श्री प्रदीप कार्डिया, द्वारा कार्डिया फूड प्रोडक्टस, 48 ⁄ ए, प्रवती इंडस्ट्रियल इस्टेट, आदिनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे, सतारा रोड, पुणे –411009	सदस्य
ग.	कृषि उद्योग	
41.	डॉ. जे. टोनपेंगयोंगडेंग वालिंग, ग्राम–संग्रास्तू, जिला–मोकोडुंग, नागालैंड	सदस्य
42.	श्री अरुण बलामती, 815, 7वां वनसंकरी, 3रा फेज, 3रा ब्लॉक, 3रा स्टेज, बंगलोर—560085	सदस्य
घ.	उपभोक्ता संगठन	
43.	श्री आर देसीकन, द्वारा कंसर्ट तथा भारतीय उपभोक्ता संघ, 2/228, चीनन डिकुपम रोड वेतुवानकेनी, चेन्नई	सदस्य
44.	श्रीमती केया घोष, द्वारा कनज़्यूमर यूनिटी एवं ट्रस्ट सोसाइटी, 3 सुरेन टैगौर रोड, गरियाहाट, कोलकाता–700019	सदस्य
ड.	अनुसंधान निकाय तथा खाद्य प्रयोगशाला	
45.	ड. एस पी वासी रेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विमटा लैब्स लिमिटेड 142, आई डी ए, फेज–2, चेरलापल्ली, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश	सदस्य
46.	प्रो. गोपाल नायक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरू	सदस्य
च.	आमंत्रित	
47.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली	आमंत्रित
48.	सचिव, कृषि सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	आमंत्रित
49.	सचिव, पशुपालन, डेरी तथा मत्स्य विभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।	आमंत्रित
50.	सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सी जी ओ कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।	आमंत्रित





36	Commissioner of Food Safety for Uttarakhand	Member
37	Commissioner of Food Safety for Uttar Pradesh	Member
38	Commissioner of Food Safety for West Bengal	Member
В.	Food Industry:	
39	Shri Arnab Kumar Hazra, C/O Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg, New Delhi	Member
40	Shri Pradeep Chordia, C/O Chordia Food Products, 48/A, Pravati Industrial Estate, Opp. Adinath Society, Pune Satara Road, Pune-411009	Member
C.	Agriculture Sector:	
41	Dr. J. Tonpangyongdang Walling, Village- Sungratsu, Distt. Mokokchung Nagaland	Member
42	Shri Arun Balamatti, 815, 7th Cross Banashankari, 3rd Phase, 3rd Block, 3rd Stage, Bangalore- 560085	Member
D.	Consumer Organisations:	
43	Shri R. Desiken, C/O Concert and Consumer Association of India, 2/228, Chinnan Dikuppam Road, Vettuvankeni ,Chennai	Member
44	Smt. Keya Ghosh, C/O Consumer Unity and Trust Society, 3 Suren Tagore Road, Gariahat, Kolkata- 700019	Member
Ε.	Research Bodies and Food Laboratories:	
45	Dr. S.P Vasireddi, Chairman and Managing Director, VIMTA Labs Limited, 142, IDA, Phase- 2, Cherlapally, Hyderabad,Andhra Pradesh	Member
46	Prof. Gopal Naik, Indian Institute of Management (IIM), Bangalore	Member
F.	Invitees	
47	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, government of India, Nirman Bhawan, New Delhi.	Invitee
48	Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.	Invitee
49	Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.	Invitee
50	Secretary, Department of Biotechnology, Ministry of Sciebnce & Technology, Government of India, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.	Invitee





51.	वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली	आमंत्रित
52.	सचिव (सी ए), उपभोक्ता मामला विभाग, उपभोक्ता मामला मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली	आमंत्रित
53.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।	आमंत्रित
54.	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।	आमंत्रित
55.	सचिव(पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	आमंत्रित
56.	सचिव, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, उद्योग भवन नई दिल्ली	आमंत्रित
57.	सचिव (एफ व पीडी ), खाद्य एवं जन वितरण विभाग, उपभोक्ता मामला, खाद्य तथा जन वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	आमंत्रित
58.	सचिव, महिला तथा बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	आमंत्रित





51	Commerce Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi.	Invitee
52	Secretary (CA), Department of consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.	Invitee
53	Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.	Invitee
54	Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Government of India, Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi.	Invitee
55	Secretary (PR), Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi.	Invitee
56	Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi.	Invitee
57	Secretary (F&PD), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.	Invitee
58	Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.	Invitee


## अध्याय–6

# वैज्ञानिक समिति

- 6.1 अधिनियम की धारा 14 में वैज्ञानिक समिति के गठन का प्रावधान है जिसमें वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष और किसी भी वैज्ञानिक पैनल के नहीं रहने वाले छह (6) स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं। इस समिति का दायित्व खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय प्रदान करना, वैज्ञानिक राय की एकरूपता सुनिष्टिचत करने हेतु आवश्यक सामान्य समन्वयन करना तथा वैज्ञानिक पैनल की कार्यपद्धति को सुमेलित करना है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आने वाले बहु–क्षेत्रीय मुद्दों तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आने वाले बहु–क्षेत्रीय मुद्दों तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आने वाले बहु–क्षेत्रीय मुद्दों तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में जाने वाले क्रु–क्षेत्रीय मुद्दों तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आने वाले बहु–क्षेत्रीय मुद्दों तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में आते कार्य–समूह गठित करती है। वैज्ञानिक समिति अपने अध्यक्ष को खुद चुनती है।
- 6.2 खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति गठित की है जिसकी संरचना आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित थीः

#### क्रम सं. सदस्य का नाम

- प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, सलाहकार, स्वास्थ्य अनुसंधान स्थानातरक स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली – अध्यक्ष
- डॉ. पी. जी. चेन्गापा (पूर्व कुलपति, यूएएस, बंगलोर) आई सी ए आर के राष्ट्रीय प्रोफेसर,, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, नगरभावी पोस्ट, बंगलुरु।
- डॉ. आई करुणासागर, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता, उत्पाद, व्यापार तथा विपणन सेवा एफएओ, सुब्बा मीना, जयनगर,1 मेन, कुलशेकर, मंगलौर,
- डॉ. एम. एस. मिथ्यान्था, स्वतंत्र परामर्शदाता सं. 1779, 6ठा मेन, राजाजीनगर–।। चरण, बंगलुरु,

- डॉ. के सी बंसल, समन्वयक, ट्रांसजेनिक विकास संबंधी आई सी ए आर नेटवर्क, पादप जैव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, आई ए आर आई, नई दिल्ली–110012.
- डॉ. जगदीश एस पाई, कार्यपालक निदेशक, भारतीय प्रोटीन खाद्य पोषण विकास संघ (पी एफ एन डी ए आई), महालक्ष्मी चेम्बर्स, 22 भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई।
- क्रियात्मक खाद्य, पौष्टिक, आहार उत्पाद एवं अन्य सामान्य उत्पाद पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष।
- नमूना विधि तथा विश्लेषण पैनल के वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- खाद्य योजक, महक, प्रसंस्करण सहायक एवं खाद्य संपर्क सामग्री के वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- 10. खाद्य श्रृंखला में दुग्धकारक के वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- 11. जैविक जोखिमों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष।

## CHAPTER-6



#### 6.1 Section 14 of the Act provides for constitution of the Scientific Committee comprising the Chairpersons of Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging to any of the Scientific Panels. This committee is responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, general coordination necessary to ensure consistency of scientific opinion and harmonisation of working methods of the Scientific Panels. The Scientific Committee shall provide opinions on multi sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panels and setting up working groups on issues which does not fall under Scientific Panels. The Scientific Committee chooses its own Chairperson.

6.2 The Food Authority has constituted the Scientific Committee, composition of which during the year under report was as under:

## Sr. Name of the Member No.

- 1 Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Adviser to Department of Health Research, Translational Health Science & Technology Institute, New Delhi.-Chairman
- 2 Dr. P.G. Chengappa, (Former Vice Chancellor, UAS, Bangalore), National Professor of ICAR, Institute for Social and Economic Change, Nagarbhavi Post, Bengaluru

## **Scientific Committee**

- 3 Dr. I. Karunasagar, Senior International Consultant, Products, Trade and Marketing Service, FAO, Subba Meena, Jayanagar I main, Kulashekar, Mangalore.
- 4 Dr. M.S. Mithyantha, Independent Consultant, No. 1779, 6<sup>a</sup> Main, Rajajinagar- II Stage, Bengaluru.
- 5 Dr. K.C. Bansal, Coordinator, ICAR Network on Transgenic Development, National Research Centre on Plant Biotechnology, IARI, New Delhi 110012.
- 6 Dr. Jagadish S. Pai, Executive Director, Protein Foods & Nutrition Development Association of India (PFNDAI), Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai.
- 7 Chairperson of the Scientific Panel on Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic products and other similar products.
- 8 Chairperson of the Scientific Panel on Methods of Sampling and Analysis.
- 9 Chairperson of the Scientific Panel on Food additives, Flavourings, Processing aids and Materials in contact with food.
- 10 Chairperson of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain.
- 11 Chairperson of the Scientific Panel on Biological Hazards.





- 12. कीटनाशक तथा एंटीबायोटिक अवशिष्ट पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष।
- लैबलिंग तथा दावा/विज्ञापन पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष।
- आनुवांशिक संशोधित जीवों और खाद्यों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष।
- मत्स्य एवं मत्स्यपालन संबंधी उत्पादों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष।



- 12 Chairperson of the Scientific Panel on Pesticides and Antibiotic Residues.
- 13 Chairperson of the Scientific Panel on Labelling and claims/ Advertisements.
- 14 Chairperson of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms and Foods.
- 15 Chairperson of the Scientific Panel on Fish and Fisheries Products.



## अध्याय–7

# वैज्ञानिक पैनल

- 7.1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 द्वारा विषय विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक पैनल का प्रावधान किया गया है जिसमें स्वतन्त्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं जो जोखिम आकलन इकाई के तौर पर काम करते हैं और अपने विचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।
- 7.2. नए सदस्य बनाकर या मौजूदा सदस्यों को हटाकर या पैनल का नाम बदलकर, जैसी भी स्थिति हो, वैज्ञानिक पैनलों का समय समय पर पुनर्गठन करने का अधिकार खाद्य प्राधिकरण को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक समिति की भांति, वैज्ञानिक समिति के सदस्यगण अपने में से किसी एक को वैज्ञानिक पैनल का अध्यक्ष चुनते हैं।
- 7.3. निम्नलिखित 9 (नौ) वैज्ञानिक पैनल गठित हैं जो रिपोर्ट की अवधि में सक्रिय हैं:
  - (क) क्रियात्मक खाद्य, पौष्टिक, आहारीय तथा अन्य समान उत्पादों का पैनल;
  - (ख) नमूना, विधि तथा विश्लेषण पैनल;
  - (ग) खाद्य योजक, महक, प्रसंस्करण सहायक एवं खाद्य संपर्क सामग्री का पैनल;
  - (घ) खाद्य श्रृंखला में संदूषकों का पैनल;
  - (ड) जैविक जोखिम का पैनल;
  - (च) कीटनाशक तथा एंटीबायोटिक अवशिष्ट का पैनल;
  - (छ) लेबलिंग तथा दावा / विज्ञापन का पैनल;
  - (ज) आनुवंशकीय संशोधित जीव और खाद्य का पैनल;
  - (झ) मत्स्य एवं मत्स्यपालन उत्पादों का पैनल;
- 7.4. उक्त 09 (नौ) वैज्ञानिक पैनल का गठन निम्नलिखित तौर पर था।

 (i) क्रियात्मक खाद्य, पौष्टिक, आहारीय तथा अन्य समान उत्पादों का पैनलः–

#### क्रम सदस्य का नाम

- सं.
- ड. वी. प्रकाश, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, सी एस आई आर , जे एस एस, तकनीकी संस्थान परिसर, मैसूर–570006 –अध्यक्ष
- ड. डी.बी. अनंत नारायण, विशेषज्ञ सदस्य, भारतीय औषधकोश आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (1101/927), आई.एफ.मेन, 2रा चरण, गिरिनगर, बेंगलुरु–560085
- सुश्री अनुजा अग्रवाल, आहार विज्ञानी, शिशु चिकित्सा विभाग, तृतीय तल, एकेडमिक ब्लाक (मेन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अंसारी नगर, नई दिल्ली–110029
- डॉ. बी.सी. घोष, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, होसुर रोड, अडूगोडी, बेंगलुरु–560030

## CHAPTER-7

- 7.1 Section 13 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of subject specific Scientific Panels, which consist of independent scientific experts to act as the risk assessment bodies and to give their considered scientific opinions.
- 7.2 The Food Authority has been empowered to reconstitute the Scientific Panels from time to time by adding new members or by omitting the existing members or by changing the name of the Panel, as the case may be. Further, as in the case of Scientific Committee, the members of a Scientific Panel choose one among them as Chairman of the Panel.
- 7.3 The following nine (9) Scientific Panels have been established, which remained functional during the year under report: -
  - (a) Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and Other Similar Products;
  - (b) Panel for Methods of Sampling and Analysis;
  - Panel for Food Additives, Flavorings, Processing Aids and Material in Contact with Food;
  - (d) Panel for Contaminants in the Food Chain;
  - (e) Panel for Biological Hazards;
  - (f) Panel for Pesticides and Antibiotic Residues;

## **Scientific Panels**

- (g) Panel for Labeling and Claims/ Advertisement
- (h) Panel for Genetically Modified Organisms and Foods.
- (i) Panel for Fish and Fisheries Products
- 7.4 The composition of the above 09 Scientifc Panels was as under:
- (i) Panel on Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and other similar products:

Sr. Name of the Member

- No.
- 1 Dr. V Prakash, Distinguished Scientist, CSIR, JSS Technical Institution Campus, Mysore – 570006. - Chairman
- Dr. DB Anantha Narayana, Expert Member, Indian Pharmacopiea Commission, Ministry of Health & Family Welfare (1101/927), 1 F Main, 2nd Satge, Girinagar, Bengaluru – 560085.
- 3 Ms. Anuja Agarwala, Dietician, Department of Paediatrics, 3<sup>rd</sup> Floor, Academic Block (main), All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Ansari Nagar, New Delhi – 110029.
- 4 Dr. BC Ghosh, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Hosur Road, Adugodi, Bengaluru–560030.





- डॉ. के. माधवन नायर, वैज्ञानिक 'ई' सूक्ष्म पौष्टिक समूह, जीव भौतिकी विभाग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आई सी एम आर), जामाई–ओस्मानिया, पोस्ट–तरनाका, हैदराबाद–500007
- श्री कुमार भाटिया, मुख्य परामर्शदाता (पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं विपणन), कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय, जी–3/जी, एम आई जी, डीडीएफ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली–110067
- डॉ. पी.डी. द्विवेदी, प्रधान वैज्ञानिक, कक्ष सं. 303, खाद्य विष विज्ञान प्रभाग, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान, पो.ओ. बॉक्स 80, एम.जी. रोड, लखनऊ–226001
- डॉ. पार्थ राय, सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की–247667
- डॉ. ए.जी. अप्पु राव, सी एस आई आर वैज्ञानिक, इमेरिट्स, मैसूर विश्वविद्यालय, 528, अनिकेथान रोड, कुवेम्पुनगर–570528
- 10. डॉ. वी.डी. सत्तिगिरी, पूर्व निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, सी एफ टी आर आई, सं. 7, V मेन, 1 क्रास, सी एफ टी आर आई ले आउट, बोगडी, 2रा चरण मैसूर–570026
- 11. डॉ. संध्या कुलश्रेष्ठ, परामर्शदाता, पी पी क्यू एंड एस निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, ई–472, ग्रेटर कैलाश, भाग–।।, नई दिल्ली–110048
- 12. डॉ. मनोरमा कनूरी, प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण) तथा प्रधान व कार्यक्रम निदेशक (खाद्य प्रौद्योगिकी) स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान केंद्र, खाद्य तथा पोषण एवं खाद्य प्रौद्योगिकी, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030
- डॉ. पी. गोस्वामी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट–785006
- 14. डॉ. सुमन कपूर, डीन, अनुसंधान एवं परामर्शक, बिड़ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कक्ष सं. ए–101, जीव विज्ञान विभाग, जवाहर नगर, शरमिरपेट, आर आर मंडल, हैदराबाद–500078
- 15. डॉ. वीरेंद्र के. बातीश, इमेरिट्स वैज्ञानिक, आण्विक जीव विज्ञान इकाई, डेरी जीव विज्ञान प्रभाग, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल–132001

(ii) नमूना विधि तथा विश्लेषण पैनलः

क्रम

सं.

 डॉ. सुशील कुमार सक्सेना, निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई आई सी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एन डी वाई एम सी ए, तृतीय तल, 1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001–अध्यक्ष

सदस्य का नाम

- डॉ. ललिता रामकृष्ण गौडा, मुख्य वैज्ञानिक (सेवा निवृत), बेलर, 1235, गांगी रोड, प्प क्रास, कुवेम्पु नगर, मैसूर–570026
- डॉ. एम. एन. मंजुनाथ, वैज्ञानिक 'एफ' (सेवानिवृत), 30, 5वॉ मेन, 2रा क्रॉस, सी एफ टी आर आई, ले आउट, बोगदी, 2रा चरण, मैसूर–570026
- डॉ. हरिनिवास मिश्र, प्रोफेसर, कृषि तथा खाद्य इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर–721302
- डॉ. सतविंदर सिंह मारवाह, सी ई ओ, पंजाब जैव प्रौद्यिगिकी इनक्यूबेटर (उष्मायित्र), एस सी ओ– 7 तथा 8, फेज–5, सास नगर (मोहाली), पंजाब–110019
- डॉ. मिहिर कुमार कुंडू, पूर्व खाद्य तेल आयुक्त, डी.–776, प्रथम तल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019
- डॉ. कौशिक बनर्जी, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे–412307
- डॉ. रंजन शर्मा,, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डेरी रसायन प्रभाग, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एन डी आर आई), करनाल–132001
- डॉ. प्रेम कुमार जायसवाल, पूर्व निदेशक (प्रयोगशाला), केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, 197, सेक्टर 41, जी.बी. नगर, नोएडा–201303



- 5 Dr. K Madhavan Nair, Scientist 'E', Micronutrient Research Group Department of Biophysics, National Institute of Nutrition (ICMR), Jamai-Osmania PO, Tarnaka, Hyderabad – 500007.
- 6 Shri Kumar Bhatia, Chief Consultant (Post Harvest Management & Marketing), Ministry of Agriculture and Co-operation, G-3/G, MIG DDA Flats, Munirka, New Delhi – 110067.
- 7 Dr. PD Dwivedi, Principal Scientist, Room # 303, Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, PO Box 80, M G Road, Lucknow-226001.
- 8 Dr. Partha Roy, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Roorkee – 247667.
- 9 Dr. AG Appu Rao, CSIR Scientist Emeritus, University of Mysore, 528, Anikethana Road, Kuvempunagar-570528.
- 10 Dr. VD Sattigeri, Former Director, Central Food Laboratory, CFTRI, No.7, V main, I cross, CFTRI layout, Bogadi 2nd stage, Mysore – 570026.
- 11 Dr. Sandhya Kulshreshtha, Consultant, Dte. of PPQ&S, Dept. of Agriculture & Cooperation, M/O Agriculture, E-472, Greater Kailash Pt. II, New Delhi-110048.
- 12 Dr. Manorma Kanuri, Professor (Food and Nutrition) and Head and Programme Director (Food Technology), Post Graduate and Research Centre, Food and Nutrition and Food Technology, Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad – 500030.
- Dr. P Goswami, Senior Principal Scientist, North
  East Institute of Science and Technology, Jorhat
   785006.
- 14 Dr. Suman Kapur, Dean, Research and Consultancy, Birla Institute of Technology and Science, Room No. A- 101, Department of Biological Sciences, Jawahar Nagar, Sharmirpet, RR Mandal. Hyderabad – 500078.

15 Dr. Virender K Batish, Emeritus Scientist, Molecular Biology Unit, Dairy Microbiology Division, National Dairy Research Institute, Karnal-132001.

#### (ii) Panel on Methods of Sampling and Analysis:

Sr. Name of the Member No.

- 1 Dr. Sushil Kumar Saxena, Director, Export Inspection Council (EIC), Ministry of Commerce and Industry, NDYMCA, 3<sup>rd</sup> Floor, 1 Jai Singh Road, New Delhi - 110001. - Chairman
- 2 Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Chief Scientist (Retd.), Baylor, 1235 Gange Road, 3<sup>rd</sup> Cross, Kuvempunagar, Mysore - 570023.
- Dr. MN Manjunath, Scientist 'F', (Retd.) CFTRI,
  30, 5th main, II<sup>nd</sup> Cross, CFTRI layout, Bogadi 2<sup>nd</sup>
  Stage, Mysore 570026.
- 4 Dr. Hari Niwas Mishra, Professor, Agriculture & Food Engineering Department, Indian Institute of Technology, Kharagpur 721302.
- 5 Dr. Satwinder Singh Marwaha, CEO, Punjab Biotechnology Incubator, SCO: 7& 8, Phase-V, SAS Nagar (Mohali), Punjab - 160059.
- 6 Dr. Mihir Kumar Kundu, Former Edible Oils Commissioner, D-776, First Floor, Chittaranjan Park, New Delhi - 110019.
- 7 Dr. Kaushik Banerjee, Principal Scientist, National Referral Laboratory, National Research Centre for Grapes, Pune - 412307.
- 8 Dr. Rajan Sharma, Senior Scientist, Dairy Chemistry Division, National Dairy Research Institute (NDRI), Karnal - 132001.
- 9 Dr. Prem Kumar Jaiswal, Former Director (Laboratories), Central Agmark Laboratory, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation B 197, Sector 41, G.B. Nagar, Noida - 201303.





- डॉ. मंजीत अग्रवाल, डीन, अनुसंधान, एच ओ डी, 10. आधारभूत तथा प्रायोगिक विज्ञान, एन आई एफ टी ई एम, प्लाट सं. 97, सेक्टर 56, एच एस आई आई डी सी, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनीपत कुंडली, हरियाणा–131028
- डॉ. के.एस. प्रेमवल्ली, वैज्ञानिक 'जी', रक्षा खाद्य अनुसंधान 11. प्रयोगशाला, सं. 3, सत्य मार्ग, सिद्धार्थ नगर, मैसूर—570011
- डॉ. सुरेश वालिया, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि रसायन प्रभाग, 12. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, एल बी एस बिल्डिंग, नई दिल्ली–110012
- डॉ. विजय कुमार गुप्ता, प्रधान डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग, एन 13. डी आर आई, करनाल–132001
- डॉ. पी.के.शेठी, प्रधान, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी 14. विभाग, पुड्डुचेरी विश्वविद्यालय, आर.वी. नगर, काल्पेट, पुड्डुचेरी–605014
- डॉ. सूनील कुमार वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सेलूलर तथा 15. आण्विक जीव विज्ञान केंद्र, कक्ष सं. 5212, सेलुलर तथा आण्विक जीव विज्ञान केंद्र, उप्पल रोड, हैदराबाद—500007
- खाद्य योजक, महक, प्रसंस्करण सहायक एवं खाद्य (iii) संपर्क सामग्री पैनल

#### क्रम सदस्य का नाम

सं.

- डॉ. अमरिंदर सिंह बावा, पूर्व निदेशक, रक्षा खाद्य 1. अनूसंधान प्रयोगशाला, निदेशक, एमिटी खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, ब्लाक–1–1, चतूर्थ तल, सेक्टर 125, एक्सप्रेसवे, नोएडा–201303 –अध्यक्ष
- डॉ. मुकुल दास, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रधान, खाद्य 2. प्रौद्योगिकी प्रभाग, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पो. बाक्स सं. 80, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001
- डॉ. के.एन गुरुदत्त, पूर्व प्रधान, खाद्य सुरक्षा तथा 3. विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सी एफ टी आर आई, 161, 4था क्रास, सी एफ टी आर आई ई एच बी सी एस ले आउट, भोगदी ।। चरण, मैसूर–570026
- प्रोफेसर एच पी एस सचदेव, वरिष्ठ परामर्शवाता, शिशु 4. चिकित्सा और नैदानिक मारक विज्ञान, सीता राम भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, ई–6/12, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

- डॉ. आर बी एन प्रसाद, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रधान, लिपीड 5. अनूसंधान केंद्र, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, तरनाका, हैदराबाद—500007
- डॉ. सतीश कुलकर्णी, प्रधान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान 6. संस्थान, होसुर रोड, अडूगुडी, बेंगलुरु–560030
- डॉ. वी. सुदर्शन राव, वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय पोषण 7. संस्थान, तरनाका, हैदराबाद–500007
- प्रो. सुभाष चंद, सेवा निवृत प्रोफेसर, आई आई टी–डी, नई 8. दिल्ली, हौज घस, नई दिल्ली–110016
- डॉ. सुनीता सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, पोस्ट हार्वेस्ट 9. प्रौद्योगिकी, कक्ष सं. 334, एन आर एल भवन, तृतीय तल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा), नई दिल्ली–110012
- प्रो. (डॉ.) सत्य नारायण मोहंती, पूर्व डीन, कृषि 10. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी–उड़ीसा विश्वविद्यालय, 1148, विष्णू नगर, तन्कापानी रोड, भुवनेश्वर–751018
- डॉ. रेखा एस. सिंघल, खाद्य प्रौद्योगिकी प्रोफेसर, 11. प्रधान–खाद्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, एन.पी. मार्ग, मतूंगा, मुंबई–400019
- डॉ. रविन्द्र जयवंत जेंदे, प्रोफेसर (अतिरिक्त प्रभार), पश् 12. चिकित्सा जन स्वास्थ्य, बम्बई पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पारेल, मुंबई—400012
- प्रो. एफ. ए. मसूदी, प्रोफेसर (खाद्य प्रौद्योगिकी / गृह 13. विज्ञान), खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर–190006
- डॉ. ए.जे. वर्मा, वैज्ञानिक 'एच' एवं प्रधान, पॉलीमर विज्ञान 14. एवं इंजीनियरिंग प्रभाग, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूणे—411008



- 10 Dr. Manjeet Aggarwal, Dean, Research, HOD, Basic & Applied Science, NIFTEM, Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC, Industrial Estate, Sonipat Kundli, Haryana – 131028.
- 11 Dr. KS Premavalli, Scientist 'G', Defence Food Research Laboratory, No.3, Satya Marga, Siddhartha Nagar, Mysore - 570011.
- 12 Dr. Suresh Walia, Principal Scientist, Division of Agricultural Chemicals, Indian Agricultural Research Institute, LBS Building, New Delhi -110012.
- 13 Dr. Vijay Kumar Gupta, Head of Dairy Technology Division, NDRI, Karnal - 132001.
- 14 Prof. PK Shetty, Head Department of Food Science and Technology, Puducherry University, R.V. Nagar, Kalpet, Puducherry -605014.
- 15 Dr. Sunil Kumar Verma, Senior Scientist, Centre for Cellular and Molecular Biology, Room No. S212, Centre for Cellular and Molecular Biolog, Uppal Road, Hyderabad - 500007.
- (iii) Panel on Food additives, Flavourings, Processing aids and Materials in contact with food:

#### Sr. Name of the Member

No.

- Dr. Amarinder Singh Bawa, Former Director, Defence Food Research Laboratory, Director, Amity Institute of Food Technology, AMITY University, Uttar Pradesh, Block I-1, 4<sup>th</sup> Floor, Sector-125, Expressway, Noida - 201303. -Chairman
- 2 Dr. Mukul Das, Scientist G & Head, Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No. 80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow - 226001.
- Dr. KN Gurudatt, Former Head, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, 161, 4<sup>th</sup> cross, CFTRI EHBCS layout, Bhogadi II Stage, Mysore 570026.

- 4 Prof. HPS Sachdev, Sr. Consultant, Paediatrics and Clinical Epidemiology, Sita Ram Bhartia Institute of Science and Research, E-6/12 Vasant Vihar, New Delhi - 110057.
- 5 Dr. RBN Prasad, Chief Scientist & Head, Centre for Lipid Research, Indian Institute of Chemical Technology, Tarnaka, Hyderabad - 500007.
- 6 Dr. Satish Kulkarni, Head, National Dairy Research Institute, Hosur Road, Adugodi, Bangaluru-560030.
- 7 Dr. V Sudershan Rao, Scientist D, National Institute of Nutrition, Tarnaka, Hyderabad -500007.
- 8 Prof. Subash Chand, Retired Professor, IIT-D, New Delhi, Hauz Khas New Delhi - 110016.
- 9 Dr. Sunita Singh, Principal Scientist, Division of Post-Harvest Technology, Room No: 334, NRL Building-3<sup>rd</sup> Floor, Indian Agricultural Research Institute (Pusa), New Delhi - 110012.
- 10 Prof. (Dr.) Satyanarayan Mohanty, Former Dean, College of Agricultural Engineering & Technology, Orissa University of Agriculture & Technology, 1148, Bishnu Nagar, Tankapani Road, Bhubaneswar - 751018.
- 11 Dr. Rekha S Singhal, Professor of Food Technology, Head, Food Engineering and Technology Department, Institute of Chemical Technology, N. P. Marg, Matunga, Mumbai – 400019.
- 12 Dr. Ravindra Jayvant Zende, Professor (Additional Charge), Department of Veterinary Public Health, Bombay Veterinary College, Parel, Mumbai - 400012
- 13 Prof. FA Masoodi, Professor (Food Technology/ Home Science), Department of Food Science & Technology, University of Kashmir Hazratbal, Srinagar-190006.
- 14 Dr. AJ Varma, Scientist H & Head, Polymer Science and Engineering Division, National Chemical Laboratory, Pune -411008.





15. डॉ. संजय राजपूत, सहायक निदेशक तथा प्रभारी, एस ए आर सी, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, 19, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली–110007

### (iv) खाद्य श्रृंखला में संदूषकों का पैनल

### क्रम सदस्य का नाम

सं.

- डॉ. जी. विजयलक्ष्मी, वैज्ञानिक 'एफ' सेवा निवृत, खाद्य सूक्ष्म जीव विभाग, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्यिगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर–570020
- डॉ. एस.एस. थोराट, प्रधान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र–413705
- डॉ. लता, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली–110012
- डॉ. विनोद कुमार जोशी, प्रोफेसर तथा प्रधान (पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी), डॉ. वाई. एस. परमार विश्वविद्यालय–उद्यान विज्ञान तथा वानिकी, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश–173230
- डॉ. ए.के. बरुआ, मुख्य वैज्ञानिक तथा विश्लेषण सेवा प्रधान, चाय अनुसंधान संघ, टोकलाई, जोरहाट–785008
- डॉ. शैलें घोष, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी',भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से सेवा निवृत, 805, पाइन वुड, रहेजा विल्लिज, कन्दावली (पू.), मुंबई–400101
- डॉ. एस.कल्बे राजा, निदेशक, इंस्टीच्युट ऑफ पेस्टिसाइड फारमुलेशन टेक्नालोजी (आई पी एफ टी), सेक्टर 20, उद्योग विहार, एम्बिएन्स माल के सामने, एन एच–8, गुडगाँव–122016
- डॉ. एस.सी. जैन, निदेशक तथा वरिष्ठ अनुसंधान समन्वयक, एमिटी खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, 1–1 ब्लाक, iv तल, एमिटी विश्वविद्यालय परिसर, सेक्टर–125, नोएडा–201303
- डॉ. वासुदेव सिंह, वैज्ञानिक तथा प्रधान, अनाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सी एफ टी आर आई, मैसूर–570020
- डॉ. जे.पी.एस. गिल, निदेशक, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड जुनोसेज, गुरु अंगद देव वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना–141004
- 11. डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाल, सी एफ टी आर आई, मैसूर–570020

- डॉ. वासंती सिरुगुरी, वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद–500007
- 13. प्रो. एस एस लेले, खाद्य इंजिनयरिंग एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान, मतुंगा, मुंबई–400019
- डॉ. एस.डी. वैरीयर, सेवा निवृत वैज्ञानिक 'ई' बी ए आर सी, मुंबई–85
- 15. डॉ. एम् एस ठाकुर, मुख्य वैज्ञानिक, किण्वन प्रौद्योगिकी तथा जैव इंजीनियरिंग विभाग, सी एफ टी आर आई, मैसुर–570020
- (v) जैविक जोखिम का पैनल

सं.

## क्रम सदस्य का नाम

- डॉ. पी.के. नाग, पूर्व निदेशक, एन आई ओ एच, उपहार कोंदोविले, चौक गरिया, कोलकाता–700094–अध्यक्ष
- डॉ. के अल्गुसुन्दरम, उप महानिदेशक (कृषि इंजीनियरिंग), कृषि इंजीनियरिंग का प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन–।।, नई दिल्ली– 110012
- डॉ. नरेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एन डी आर आई), करनाल–132001
- डॉ. भूपिंदर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कक्ष सं. 311, आई ए आर आई, पूसा इंस्टीच्युट, नई दिल्ली–110012
- डॉ. ए. लक्ष्मैय्या, उप निदेशक (वैज्ञानिक 'ई') एवं प्राधान, सामुदायिक अध्ययन प्रभाग, एन आई एन 17–112, भारती अपार्टमेंट, फ्लैट सं. 201, एस बी एच कालोनी, उप्पल, हैदराबाद–500007



Dr. Sanjay Rajput, Assistant Director & Incharge,
 SARC, Shriram Institute for Industrial Research,
 19, University Road, Delhi – 110007.

#### (iv) Panel on Contaminants in the Food Chain

## Sr. Name of the Member No.

- 1 Dr. G Vijayalakshmi, Scientist 'F' Retd., Food Microbiology Department Central Food Technological Research Institute, Mysore -570020.
- Dr SS Thorat, Head, Department of Food Science
  & Technology, Mahatma Phule Krishi
  Vidyapeeth, Rahuri, Maharashtra 413705.
- 3 Dr. Lata, Principal Scientist, Division of Microbiology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi - 110012.
- 4 Dr. Vinod Kumar Joshi, Professor & Head (Post Harvest Technology) Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, HP – 173230.
- 5 Dr. AK Barooah, Chief Scientist & Head Analytical Services, Tea Research Association, Tocklai, Jorhat – 785008.
- 6 Dr. Sailen Ghosh, Scientific Officer G, Retired from Bhabha Atomic Research Centre, 805, Pine Wood, Raheja Willows, Kandavali (E), Mumbai – 400101.
- Dr. S. Kalbey Raza, Director, Institute of Pesticide Formulation Technology, (IPFT), Sector 20, Udyog Vihar, Opp. Ambience Mall, NH – 8, Gurgaon-122016.
- Br. SC Jain, Director & Senior Research Coordinator, Amity Institute of Food Technology, I-1 Block, IV Floor, Amity University Campus, Sec-125, Noida-201303.
- 9 Dr. Vasudeva Singh, Scientist & Head, Dept. of Grain Science & Technology, CFTRI, Mysore – 570020.

- 10 Dr. JPS Gill, Director, School of Public Health and Zoonoses, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana – 141004.
- 11 Dr. Alok Kumar Srivastava, Senior Principal Scientist, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, Mysore -570020.
- 12 Dr. Vasanthi Siruguri, Scientist D, National Institute of Nutrition, Hyderabad - 500007.
- 13 Prof. SS Lele, Food Engineering & Technology Department, Institute of Chemical Technology, Matunga, Mumbai - 400 019.
- 14 Dr. S.D. Warrier, Retired Scientist 'E' BARC, Mumbai–85.
- 15 Dr. MS Thakur, Chief Scientist, Fermentation Technology and Bioengineering Department, CFTRI, Mysore – 570020.
- (v) Panel on Biological Hazards:

## Name of the Member

No.

Sr.

- 1 Dr. PK Nag, Former Director, NIOH, Upohar Condoville, Chawk Garia, Kolkata - 700 094. -Chairman
- 2 Dr. K Alagusundaram, Deputy Director General (Agricultural Engineering)Division of Agricultural Engineering, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110012.
- 3 Dr. Naresh Kumar, Principal Scientist, Microbiology Division, National Dairy Research Institute (NDRI), Karnal -132001.
- 4 Dr. Bhupinder Singh, Principal Scientist, Nuclear Research Lab, Indian Agricultural Research Institute Room No. 311, IARI, Pusa Institute, New Delhi - 110012.
- 5 Dr. A Laxmaiah, Deputy Director (Scientist 'E') & Head, Division of Community Studies, NIN, 17-112, Bharathi Apartment, Flat No. 201, SBH Colony, Uppal, Hyderabad - 500 007.





- डॉ. सुसीलेंद्र देसाई, प्रधान वैज्ञानिक (प्रधान पैथलोजी), केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, संतोष नगर, हैदराबाद–500059
- डॉ. जे.एस. संधू, सेवा निवृत वैज्ञानिक, सी एफ टी आर आई, 1076, प्रोग्रेसिव एन्क्लेब, सेक्टर 50 बी, चंडीगढ़–47
- डॉ. रविशंकर, सी एन, प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रमुख मत्स्य प्रसंस्करण प्रभाग, सी आई एफ टी (आई सी ए आर), सी आई एफ टी जंक्सन, मत्स्यपुरी पोस्ट, कोचीन–682029
- डॉ. किरण नारायण भीलगांवकर, प्रधान वैज्ञानिक, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रभाग, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, इज्जत नगर–243122
- डॉ. (श्रीमती) कल्पगम पोलासा, प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद–500007
- डॉ. (श्रीमती) अजीत दुआ, वरिष्ठ वैज्ञानिक, तकनीकी प्रधान–सह–गुणवत्ता प्रबंधक, पंजाब जैव प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, कृषि तथा खाद्य जांच सुविधा, एस सी ओ–7 एवं 8, चरण v, एस ए एस नगर (मोहाली)–160059
- 12. डॉ. वाई.डी. गौड़, प्रोफ़ेसर ऑफ एमिनेन्स– सह–कार्यपालक निदेशक, भगवान् परशुराम प्रौद्योगिकी संस्थान, अनुबद्ध प्रोफेसर (सूक्ष्म जीव विज्ञान), आई ए आर आई, नई दिल्ली–110012
- डॉ. आलोक झा, सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
- 14. डॉ. टी.वी. शंकर, प्रधान तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक, गुणवत्ता आश्वासन तथा प्रबंधन प्रभाग, केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मत्स्यपुरी, पी.ओ. कोचीन–682029
- डॉ. आदित्य जैन, प्रबंधक (गु. आ.) राष्ट्रीय डेरी तथा विकास बोर्ड, आनंद–388001
- (vi) कीटनाशक तथा एंटीबायोटिक अवशिष्ट का पैनल

क्रम सदस्य का नाम

सं.

- डॉ. देवव्रत कानुनगो, पूर्व अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्र, हॉउस सं. 294, सेक्टर 21 डी, फरीदाबाद–121005–अध्यक्ष
- डॉ. पातुरकर आशीष मोतीराम, प्रोफेसर तथा विश्वविद्यालय प्रधान, बम्बई पशु चिकित्सा महाविद्यालय,

हाइवे पार्क ई ⁄ 5, बी—विंग 206, ठाकुर कोम्प्लेक्स, कंडीवाली (पू.) 400101

- डॉ. बी. सुरेन्द्रनाथ, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, होसुर रोड, अडूगोडी, बंगलुरु–560030
- डॉ. जय राज बिहारी, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई आई टी आर), लखनउ–226001
- डॉ. के.के. शर्मा, नेटवर्क समन्वयक, परियोजना समन्वयन प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय कीटनाशक अवशिष्ट परियोजना नेटवर्क, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, कक्ष सं. 203, द्वितीय तल, एल बी एस भवन, आई ए आर आई, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली–110012
- डॉ. एस के हांडा, पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्शदाता, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली–110060
- डॉ. गुरुदयाल सिंह टुटेजा, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रधान (पोषण) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली–110001
- डॉ. डी. योगेश्वर राव, सलाहकार, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, 313–ए–विज्ञान भवन एनेक्स, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली–110011
- डॉ. जोनलगदा पद्मजा, वैज्ञानिक 'डी', खाद्य एवं औषधि विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आई सी एम् आर, हैदराबाद–500007
- 10. डॉ. ए.के दीक्षित, इमेरीट्स प्रोफेसर/पूर्व प्रधान प्रोफेसर तथा प्रधान वैज्ञानिक, कृषि रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई) पूसा, नई दिल्ली–110012
- प्रो. बी. शशिधर राव, प्रोफेसर, जैव रसायन विभाग, विज्ञान का यूनिवर्सिटी कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500007



- 6 Dr. Suseelendra Desai, Principal Scientist (Principal Pathology), Central Research Institute for Dryland Agriculture, Santoshnagar, Hyderabad – 500059.
- 7 Dr JS Sandhu, Retired Scientist CFTRI, 1076, Progressive Enclave, Sector 50B, Chandigarh - 47.
- 8 Dr. Ravi Shankar, CN, Principal Scientist & Head, Fish Processing Division, CIFT (ICAR), CIFT Junction, Matsyapuri P.O, Cochin - 682029.
- 9 Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar, Principal Scientist, Division of Veterinary Public Health, Indian Veterinary Research institute, Bareilly, Izatnagar-243122.
- 10 Dr. (Mrs) Kalpagam Polasa, Director In charge, National Institute of Nutrition, Hyderabad -500007.
- 11 Dr. (Mrs) Ajit Dua, Senior Scientist, Technical Head-cum-Quality Manager, Punjab Biotechnology Incubator, Agri & Food Testing Facilities SCO:7&8, Phase-V, S.A.S. Nagar (Mohali)-160059.
- 12 Dr. YD Gaur, Professor of Eminence cum Executive Director, Bhagwan Parshuram Institute of Technology, Adjunct professor (Microbiology), IARI, New Delhi - 110012.
- 13 Dr. Alok Jha, Assistant Director General (International Relations), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Krishi Bhawan, New Delhi - 110001.
- 14 Dr. TV Sankar, Head & Senior Scientist, Division of Quality Assurance & Management, Central Institute of Fisheries Technology, Matsyapuri, P.O, Cochin - 682029.
- 15 Dr. Aaditya Jain, Manager (QA), National Dairy and Development Board, Anand -388001.
- (vi) Panel on Pesticides and Antibiotic Residues

#### Sr. Name of the Member

No.

1 Dr. Debabrata Kanungo, Former Additional Director General Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Kshetra, House No.294,Sector-21 D, Faridabad -121005. - Chairman

- 2 Dr. Paturkar Ashish Motiram, Professor and University Head, Bombay Veterinary College Highway park E/5, B wing 206, Thakur complex, Kandivali (E) -400101.
- 3 Dr. B Surendra Nath, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Hosur Road, Adugodi, Bangalore - 560030.
- 4 Dr. Jai Raj Behari, Scientist F, Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow 226 001.
- 5 Dr. KK Sharma, Network Coordinator, Project Coordinating Cell, All India Network Project on Pesticide Residues, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi Room No. 203, Second Floor, LBS Building, IARI, Pusa Campus, New Delhi-110012.
- 6 Dr. SK Handa, Ex- WHO Consultant, Ministry of Health, New Delhi -110060.
- 7 Dr. Gurudayal Singh Toteja, Scientist F and Head (Nutrition), Indian Council of Medical Research, New Delhi - 110001.
- 8 Dr. D Yogeswara Rao, Adviser, Office of the Principal Scientific Adviser to Govt. of India, 313-A, Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi - 110011.
- 9 Dr. Jonnalgadda Padmaja, Scientist D, Food & Drug Toxicology Research Centre, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad -500007.
- 10 Dr. AK Dikshit, Emeritus Professor/ Ex. Head, Professor & Principal Scientist, Division of Agricultural Chemicals, Indian Agricultural Research Institute (I.A.R.I.), Pusa, New Delhi -110012.
- 11 Prof B Sashidhar Rao, Professor, Department of Biochemistry, University College of Science, Osmania University, Hyderabad – 500007.





- डॉ. सुनील कुमार खरे, प्रोफेसर, रसायन विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौज खास, नई दिल्ली–110016
- डॉ. वी.वी. कुलकर्णी, निदेशक, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, चेंगिचेरिया, पी.बी. नं. 19, बोडूपाल पोस्ट, हैदराबाद–500092
- 14. डॉ. अन्नु अप्पैया केए, प्रधान वैज्ञानिक, खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर–570020
- 15. डॉ. आर.के.सोनी, प्रोफेसर, सामजिक तथा निवारण औषधि विभाग, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, कोठी सं. 3741, सेक्टर 32 ए, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब–141010
- (vii) लेबलिंग तथा दावा / विज्ञापन का पैनल

#### सदस्य का नाम

- क्रम सं.
- डॉ. बी. शशि किरन, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, अपार्टमेंट 105, कार्यालय–एपीटी 305, सुमदा अपार्टमेंट्स एसटी 2, ककतिया नगर, हब्सीगुडा, हैदराबाद–500007–अध्यक्ष
- डॉ. पुल्लभल्ला श्रीनिवास, वैज्ञानिक 'जी', सी एफ टी आर आई, मैसूर, प्रधान, पीपी एस एफ टी विभाग, मैसूर–570020
- डॉ. एस के खन्ना, पूर्व एमेरिट्स वैज्ञानिक, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, 40 / 8, गोखले विहार मार्ग, लखनउ–226001
- डॉ. जोसेफ आई. लेविस, पी एफ एन डी ए आई के विनियामक प्रधान, सी–602, वास्तु पार्क, मलाड (पश्चिम), मुंबई–400064
- डॉ. अनूप सिद्धू, निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली–110001
- डॉ. यमुना प्रकाश, रीडर, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, मानस गंगोत्री, मैसूर–570006
- डॉ. आर आर बी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक डीन (डेरी प्रौद्योगिकी), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, संजय गाँधी डेरी प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदेव पथ, पटना–800014
- डॉ. एन.सी.साहा, निदेशक, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, ई–2, एम् आई डी सी क्षेत्र, अंधेरी पूरब, मुंबई–400093

- श्री उदय कुमार सक्सेना, प्रशिक्षण तथा प्रणाली परामर्शदाता, जी–904, मैपल हाइट्स, सी ब्लाक, सुशांतलोक–1, गुड़गाँव–122009
- 10. डॉ. आर.के.जैन, वैज्ञानिक 'एफ', तथा विभागाध्यक्ष, केमिकल रिकवरी बायोटेक्नोलोजी तथा लिग्निन बाई प्रोडक्ट्स प्रभाग, केन्द्रीय लुगदा तथा कागज अनुसंधान संस्थान (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) डी एच पी पी, भारत सरकार, पो. ओ. बाक्स नं. 174, स्टार पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, सहारनपुर–247001
- डॉ. वाई.के. गुप्ता, प्रोफेसर तथा औषधि विज्ञान विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली–110029
- डॉ. प्रमोद बी. देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, संत दन्यानेश्वर मार्ग कूपर अस्पताल के पीछे, विले पार्ले, मुंबई–400056, कस्तूरी, 39 ए, पांडूरंग बाड़ी, रोड 3, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063
- डॉ. सुब्भुलक्ष्मी, पूर्व प्राचार्य, 705, आनंद धाम–1 सोसाइटी रोड, अम्बोली लेवल क्रासिंग, अंधेरी (पू.), मुंबई–400069
- 14. डॉ. प्रमोद कुमार ओम्रे, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस तथा खाद्य इंजीनियरिंग विभाग, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जी.बी.पी.यू.ए. तथा टी. पंतनगर–263145
- (viii) आनुवंशिकीय संशोधित जीव और खाद्य का पैनल

#### सदस्य का नाम

- क्रम सं.
- डॉ. एस. आर. राव, वैज्ञानिक 'जी', जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003–अध्यक्ष
- डॉ. रमेश वी. भट्ट, पूर्व उप निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, एम–11, ककतिया नगर, हब्सीगुडा, हैदराबाद–500007



- 12 Dr. Sunil Kumar Khare, Professor, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Hauz Khas, New Delhi-110016.
- 13 Dr. VV Kulkarni, Director, National Research Centre on Meat, Chengicherla, P.B.No – 19, Boduppal post, Hyderabad - 500 092.
- 14 Dr. Anu Appaiah KA, Principal Scientist, Food Microbiology, Central Food Technological Research Institute, Mysore - 570020.
- Dr. RK Soni, Professor, Department of Social & Preventive Medicine, Dayanand Medical College & Hospital, Kothi No. 3741, Sector 32-A, Chandigarh Road, Ludhiana, Punjab - 141010.

#### (vii) Panel on Labelling and claims/Advertisements

Name of the Member

Sr. No.

- 1 Dr. B Sesikeran, Former Director, National Institute of Nutrition, Apt # 105,Office, Apt#305, Sumeda Apts St # 2, kakathiya Nagar Habsiguda Hyderabad -500 007. - Chairman
- 2 Dr. Pullabhatla Srinivas, Scientist 'G', CFTRI, Mysore, Head, PPSFT Department, Mysore -570020.
- 3 Dr. SK Khanna, Former Emeritus Scientist, Indian Institute of Toxicology Research 40/8 Gokhale Vihar Marg, Lucknow - 226001.
- 4 Dr. Joseph I Lewis, Regulatory head of PFNDAI, C-602 Vastu park, Malad West Mumbai - 400064.
- 5 Dr. Anupa Siddhu, Director, Lady Irwin College, Lady Irwin College, Sikandra Road, New Delhi -110001.
- 6 Dr. Jamuna Prakash, Reader, Department of Food Science and Nutrition, Manasagangotri, Mysore-570006.
- 7 Dr. RRB Singh, Senior Scientist Dean (Dairy Technology), Bihar Agricultural University, Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Jagdeo Path, Patna - 800014.

- 8 Dr. NC Saha, Director, Indian Institute of Packaging, Indian Institute of Packaging, E 2, MIDC Area Andheri East Mumbai - 400093.
- 9 Mr. Udai Kumar Saxena, Trainer and system consultant, G-904 Maple Heights, C Block Sushantlok-1 Gurgaon 122009.
- 10 Dr. RK Jain, Scientist 'F' Scientist F & Head of Department Chemical Recovery Biotechnology & Lignin By products Division, Central Pulp & Paper Research Institute (Ministry of Commerce & Industry DIIPP, Govt of India) PO Box 174, Star Paper Mill Road Himmat Nagar Saharanpur – 247001.
- 11 Dr. YK Gupta, Professor and Head Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi–110029.
- 12 Mr. Pramod B Deodhar, Mumbai Grahak Panchayat Grahak Bhawan Sant Dnyaneshwar Marg Behind Cooper Hospital Vile Parle Mumabi-4000561, Kasturi, 39 A, Pandurangwadi, Road 3 Goregaon (E), Mumbai -400063.
- 13 Dr. Subhulaxmi, Ex. Principal 705, Anand dham-I, Society Road, Amboli level crossing, Andheri (E), Mumbai -400069.
- 14 Dr. Pramod Kumar Omre, Senior Research Officer, Department of Post Harvest Process and Food Engineering, College of Technology, G.B.P.U.A &T, Pantnagar - 263145.
- (viii) Panel on Genetically Modified Organisms and Foods:

#### Name of the Member

Sr. No.

- Dr. SR Rao, Scientist 'G, Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi - 110003. -Chairman
- 2 Dr. Ramesh V Bhat, Former Deputy Director, National Institute of Nutrition, M-11, Kakateeya Nagar Habshiguda Hyderabad – 500007.





- डॉ. एम. पद्मावती, सहायक प्रोध्सर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर–721302
- डॉ. सुदीप घोष, वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आईसीएमआर, हैदराबाद–500007
- प्रोफेसर संगीता बंसल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन केंद्र, जे एन यू, नई दिल्ली–110067
- डॉ. आर.पी.सिंह, प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की–247667
- डॉ. नन्द किशोर नामदेवराओ ज़ादे, प्राफेसर एवं प्रधान, वेटेनरी पब्लिक हेल्थ विभाग, वेटनरी कॉलेज, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र–440006
- डॉ. प्रदीप सिंह नेगी, प्रधान वैज्ञानिक, सी एफ टी आर आई, मैसूर–570020
- डॉ. एन.के सिंह, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केंद्र, एल बी एस केंद्र, आई ए आर आई, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012
- डॉ. के. सत्यनारायण, सेवा निवृत वैज्ञानिक 'जी', भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, फ्लैट 51, आईईएस, एपीटी प्लाट नं. 9, सेक्टर 4, द्वारका–110078
- 11. डॉ. कल्पना जोशी, प्रोफेसर, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे–411007
- डॉ. डीवी गोखले, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, डॉ. होमी भाभा रोड, पुणे–411008
- 13. डॉ. जी.ए. रविशंकर, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रधान (सेवानिवृत), सी एफ टी आर आई, उपाध्यक्ष आर एंड डी, जीव विज्ञान, तथा जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर (वी टी यू), डॉ. सी.डी. सागर सेंटर फॉर लाइफ साइंसेस, दयानंद सागर इंस्टीच्यूसंस, कुमारास्वामी ले आउट, बेंगलुरू–560078
- 14. डॉ. के. एस. प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक तथा पशु पोषण प्रभाग के प्रभारी, राष्ट्रीय पशु पोषण तथा शरीर विज्ञान संस्थान, अडूगुडी, बेंगलुरु–560030
- 15. डॉ. विद्या गुप्ता, मुख्य वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष, जैव रसायन विज्ञान प्रभाग, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पाशान रोड, पुणे–411008
- (ix) मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों का पैनल

क्रम सं.

- सदस्य का नाम
- डॉ. एस. अय्यपन, महानिदेशक (आई सी एम आर) एवं

सचिव (डी ए आर ई), कृषि भवन, नई दिल्ली–110001

- प्रोफेसर डॉ. ए. रामचंद्रन, रजिस्ट्रार, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी, कोचीन–682016
- डॉ. वजीर एस. लकड़ा, निदेशक / कुलपति, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पंच मार्ग, ऑफ़ यारी रोड, वरसोआ, अंधेरी (प.), मुंबई–400061
- डॉ. सत्येन कुमार पांडा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, गुणवत्ता आश्वासन तथा प्रबंधन प्रभाग, केंद्रीय मत्स्य संस्थान, मत्स्यपुरी पी.ओ. विलिंगटन आइलैंड, कोचीन–682029
- डॉ. भास्कर एन, मांस, मत्स्य तथा कुक्कुट प्रौद्योगिकी, केन्द्रीय क्याद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आई), मैसूर–570020
- डॉ. जेयासेकरन, जी प्रोफेसर, मत्स्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मत्स्य प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी विभाग, फिशरीज कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान, टी ए एन यू वी ए एस, थूथूकोडी–628008
- डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, पूर्व निदेशक, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सी आई एफ टी जंक्सन, विलिंगडन आइलैंड, मत्स्यपुरी पी.ओ., कोचीन–682029
- डॉ. पी जयशंकर, निदेशक, केंद्रीय फ्रेशवाटर अक्वाकल्चर संस्थान, कौशल्यांग, भुवनेश्वर–751002
- डॉ. ए.पी. शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय अंतर्देशी मत्स्य अनुसंधान संस्थान, मोनिराम्पुर (पोस्ट), बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700120
- डॉ. ए.जी. पुन्नीया, पूर्व निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीच्युट ऑफ ब्रेकिश्वाटर अक्वाकल्चर (आई सी ए आर) 75, संथोम हाई रोड, आर ए पुरम, चेन्नई, तमिलनाडु–600028
- डॉ. एस. डैम राय, निदेशक, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई सी ए आर), पोस्ट बाक्स नं. 181, पोर्ट ब्लेयर–744101



- 3 Dr. M Padmavati, Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Kharagpur - 721302.
- 4 Dr. Sudip Ghosh, Scientist D, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad 500007.
- 5 Prof. Sangeeta Bansal, Centre for International Trade and Development, JNU, New Delhi - 110067.
- 6 Dr. RP Singh, Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Roorkee-247667.
- 7 Dr. Nandkishor Namdeorao Zade, Prof. & Head, Department of Veterinary Public Health, Veterinary College, Seminary Hills, Nagpur, Maharashtra-440006.
- 8 Dr. Pradeep Singh Negi, Principal Scientist, CFTRI, Mysore -570020.
- 9 Dr. NK Singh, National Research Center on Plant Biotechnology, LBS Centre, IARI, Pusa Campus, New Delhi–110012.
- 10 Dr. K Satyanarayana, Retired Scientist G, Indian Council of Medical Research, Flat 51 IES Apt Plot 9 Sector 4 Dwarka - 110078.
- 11 Dr. Kalpana Joshi, Professor, University of Pune, Pune-411007.
- 12 Dr. DV Gokhale, National Chemical Laboratory, Dr. Homi Bhabha Road, Pune - 411 008.
- 13 Dr. GA Ravishankar, Scientist G & Head (Retd.), CFTRI, Vice President R&D, Life Sciences, and Professor of Biotechnology (VTU), Dr. C.D.Sagar Center for Life Sciences, Dayananda Sagar Institutions, Kumara Swamy Layout, Bangalore -560078.
- 14 Dr. KS Prasad, Principal Scientist & In-charge Animal Nutrition Division, National Institute of Animal Nutrition & Physiology, Adugodi, Bangalore - 560030.
- 15 Dr. Vidya Gupta, Chief Scientist and Chair, Division of Biochemical Sciences, National Chemical Laboratory, Pashan Road, Pune - 411008.

Sr.

No.

1 Dr. S Ayyappan, Director General (ICAR) & Secretary (DARE), Krishi Bhavan, New Delhi - 110001.

Name of the Member

- 2 Prof. Dr. A Ramachandran, Registrar, Cochin University of Science and Technology, Cochin -682016.
- 3 Dr Wazir S Lakra, Director/Vice Chancellor, Central Institute of Fisheries Education, Indian Council of Agricultural Research, Panch Marg, Off Yari Road, Versova, Andheri (W), Mumbai -400061.
- 4 Dr. Satyen Kumar Panda, Senior Scientist, Quality Assurance and Management Division, Central Institute of Fisheries, Matsyapuri P.O., Willingdon Island Cochin -682029. .
- 5 Dr. Bhaskar N, Meat, Fish & Poultry Technology, Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore -570020.
- 6 Dr Jeyasekaran, G., Professor, Fish Quality Control Laboratory, Dept. of Fish Processing Technology, Fisheries College and Research Institute, TANUVAS, Thoothukudi-628008.
- 7 Dr. TK Srinivasa Gopal, Former Director, Central Institute of Fisheries Technology, CIFT Junction, Willingdon Island, Matsyapuri P.O., Cochin -682029.
- 8 Dr. P Jayasankar, Director, Central Institute of Freshwater Aquaculture, Kausalyanga, Bhubaneswar-751002.
- 9 Dr AP Sharma, Director, Central Inland Fisheries Research Institute, Monirampur (Post), Barrackpore, Kolkata, West Bengal -700120.
- Dr. AG Ponniah, Former Director, Central Institute of Brackishwater Aquaculture(ICAR), 75, Santhome High Road, RA Puram, Chennai, Tamil Nadu - 600028.
- 11 Dr. S Dam Roy, Director, Central Agriculture Research Institute (ICAR), Post Box No 181, Port Blair -744101.





- 12. डॉ. जे.के. जेना, निदेशक, नॅशनल ब्यूरो ऑफ़ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), कनाल रिंग रोड, पो. दिलखुश, लखनऊ–226002
- प्रोफेसर मुख्तार अहमद, प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ
- 14. श्री पी. मोहन सुन्दरम, निदेशक, दी एम् पी ई डी ए, एम् पी ई डी ए हाऊस, पनमपिल्ली एवेन्यू, पो.बा. सं. 4272, कोचीन–682036
- डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, पो. बाक्स सं. 1603, एर्नकुलम उत्तर, पो.ओ. कोच्ची–682018

## वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए क्रिया कलाप और कार्यक्रम

#### 1. खाद्य प्राधिकरण :--

खाद्य प्राधिकरण में इसकी निम्नलिखित बैठकें सम्पन्न हुई;-

क्रम सं.	खाद्य प्राधिकरण की बैठकें	विचार–विमर्श किए गए कार्य सूची बिन्दुओं की कुल संख्या	विचार–विमर्श की गई पूरक कार्यसूची की कुल संख्या
1	20 जून, 2014 को सम्पन्न 14वीं प्राधिकरण बैठक	26	04
2	20 अगस्त, 2014 को सम्पन्न 15वीं प्राधिकरण बैठक	06	02
3	16 जनवरी, 2015 को सम्पन्न 16वीं प्राधिकरण बैठक	22	06



20 जून, 2014 को सम्पन्न चौदहवीं प्राधिकरण बैठक



- 12 Dr. JK Jena, Director, National Bureau of Fish Genetic Resources (Indian Council of Agricultural Research) Canal Ring Road, P.O. Dilkusha, Lucknow - 226002.
- 13 Prof. Mukhtar Ahmad, Professor, Dept. of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh.
- 14 Mr. P Mohan Sundaram, Director, The MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue PB No. 4272, Cochin – 682036.
- 15 Dr. A Gopalakrishnan, Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O., Kochi - 682018.

### Activities and Programs undertaken during 2014-15

#### **1.** Food Authority:

The Food Authority held its meetings as under:

Sr. No.	Food Authority Meetings	Total No. of Agenda Points deliberated	Total No. of Supplementary Agenda Points deliberated
1.	14 <sup>th</sup> Authority Meeting held on 20 <sup>th</sup> June, 2014	26	04
2.	15 <sup>th</sup> Authority Meeting held on 20 <sup>th</sup> August, 2014	06	02
3.	16 <sup>th</sup> Authority Meeting held on 16 <sup>th</sup> January, 2015	22	06



14<sup>th</sup> Authority Meeting held on 20<sup>th</sup> June, 2014





20 अगस्त, 2014 को सम्पन्न 15वीं प्राधिकरण बैठक



16 जनवरी, 2015 को सम्पन्न 16वीं प्राधिकरण बैठक





15° Authority Meeting held on 20° August, 2014



 ${\bf 16}^{\rm th}$  Authority Meeting held on  ${\bf 16}^{\rm th}$  January, 2015





### 2. केन्द्रीय सलाहकार समिति

केन्द्रीय सलाहकार समिति की दो बैठकें वर्ष के दौरान सम्पन्न हुई जो निम्नलिखित हैं:--

क्रम र	i. सी ए सी बैठकें	विचार—विमर्श किए गए कार्य सूची बिन्दुओं की कुल संख्या	विचार—विमर्श की गई पूरक कार्यसूची की कुल संख्या
1	01 अगस्त, 2014 को सम्पन्न 12वीं सी ए सी बैठक	12	01
2	08 जनवरी, 2015 को सम्पन्न 13वीं सी ए सी बैठक	17	01



01 अगस्त,, 2014 को सम्पन्न 12वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक



08 जनवरी, 2015 को सम्पन्न 13वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक



#### 2. Central Advisory Committee:

Two meetings of the Central Advisory Committee were held during the year as under:

Sr. No.	CAC Meetings	Total No. of Agenda Points Discussed	Total No. of Supplementary Agendas Discussed
1.	12 <sup>th</sup> CAC Meeting held on 01 <sup>st</sup> August, 2014	12	01
2.	13 <sup>th</sup> CAC Meeting held on 08 <sup>th</sup> January, 2015	17	01



12<sup>th</sup> Meeting of the Central Advisory Committee Meeting held on 01<sup>st</sup> August, 2014



13<sup>th</sup> Meeting of the Central Advisory Committee held on 08<sup>st</sup> January, 2015





#### वैज्ञानिक समिति 3.

वर्ष के दौरान वैज्ञानिक समिति की कुल पाँच बैठकें सम्पन्न हुई जो निम्नलिखित है।

क्रम सं.	वैज्ञानिक पैनल	बैठक की संख्या	दिनांक
		12वीं बैठक	12 मई, 2014
		13वीं बैठक	24 जुलाई, 2014
		14वीं बैठक	28 अक्टूबर, 2014
		15वीं बैठक	10 दिसम्बर, 2014
		16वीं बैठक	27 मार्च, 2015
4. वैज्ञ	ानिक पैनल		

#### वैज्ञानिक पैनल 4.

4.1 वर्ष के दौरान वैज्ञानिक पैनलों की अनेक बैठकें हुई जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:--

क्रम सं.	वैज्ञानिक पैनल	बैठक की संख्या	दिनांक
1.	व्यहारापयोगी खाद्य, न्यूटरसयुटिकल्स, भोजन उत्पादों	20वीं बैठक	7 मई, 2014
	और अन्य सदृश उत्पादों से संबन्धित पैनल	21वीं बैठक	12 जून, 2014
		22वीं बैठक	23 जुलाई, 2014
		23वीं बैठक	28 नवंबर, 2014
		24वीं बैठक	26 मार्च, 2015
2.	नमूना चयन और विश्लेषण की विधियों से संबधित पैनल	10वीं बैठक	21 अप्रैल, 2014
		11वीं बैठक	26 सितंबर, 2014
3.	खाद्य योजकों, जायकेदार बनाने, प्रसंस्करण सहायक	13वीं बैठक	15 एवं 16 अप्रैल, 2014
	सामग्री तथा खाद्य के संपर्क में सामग्रियों से संबधित	14वीं बैठक	6 मई, 2014
	पैनल	15वीं बैठक	4 जुलाई, 2014
		१६वीं बैठक	16 जुलाई, 2014
		17वीं बैठक	7 अगस्त, 2014
		18वीं बैठक	17 तथा 18 सितंबर, 2014
		19वीं बैठक	15 तथा 17 अक्टूबर, 2014
		20वीं बैठक	11,12 तथा 13 नवम्बर, 2014
		21वीं बैठक	29 दिसम्बर, 2014
4.	जैविकीय खतरे से संबन्धित पैनल	10वीं बैठक	30 अप्रैल, 2014
		11वीं बैठक	८ अक्टूबर, 2014
		12वीं बैठक	14 नवम्बर, 2014
		13वीं बैठक	20 मार्च, 2015



#### 3. Scientific Committee:

The Scientific Committee held a total of five meeting during the year as under:

Sr. No.	Scientific Committee	Number of the meeting	Date
		12 <sup>th</sup> Meeting	12 <sup>th</sup> May, 2014
		13 <sup>th</sup> Meeting	24 <sup>th</sup> July, 2014
		14 <sup>th</sup> Meeting	28 <sup>th</sup> October, 2014
		15 <sup>th</sup> Meeting	10 <sup>th</sup> December, 2014
		16 <sup>th</sup> Meeting	27 <sup>th</sup> March, 2015

#### 4. Scientific Panels:

4.1 The Scientific Panels held numerous meetings during the year as per the details given below:

Sr. No.	Scientific Panel	Number of the meeting	Date
1.	Panel on Functional foods, Nutraceuticals,	20 <sup>th</sup> meeting	7 <sup>th</sup> May, 2014
	Dietetic Products and Other similar products	21 <sup>st</sup> meeting	12 <sup>th</sup> June, 2014
		22 <sup>nd</sup> meeting	23 <sup>rd</sup> July, 2014
		23 <sup>rd</sup> meeting	28 <sup>th</sup> November, 2014
		24 <sup>th</sup> meeting	26 <sup>th</sup> March, 2015
2.	Panel on Methods of Sampling and Analysis	10 <sup>th</sup> meeting	21 <sup>st</sup> April, 2014
		11 <sup>th</sup> meeting	26 <sup>th</sup> September, 2014
3.	Panel on Food additives, Flavourings,	13 <sup>th</sup> meeting	15 <sup>th</sup> & 16 <sup>th</sup> April, 2014
5.	Processing aids and Materials in contact with food	14 <sup>th</sup> Meeting	6 <sup>th</sup> May, 2014
		15 <sup>th</sup> Meeting	4 <sup>th</sup> July, 2014
		16 <sup>th</sup> Meeting	16 <sup>th</sup> July, 2014
		17 <sup>th</sup> Meeting	7 <sup>th</sup> August, 2014
		18 <sup>th</sup> Meeting	17 <sup>th</sup> & 18 <sup>th</sup> Sep., 2014
		19 <sup>th</sup> Meeting	15 <sup>th</sup> to 17 <sup>th</sup> October, 2014
		20 <sup>th</sup> Meeting	11 <sup>th</sup> , 12 <sup>th</sup> & 13 <sup>th</sup> Nov., 2014
		21 <sup>st</sup> Meeting	29 <sup>th</sup> December, 2014
4.	Panel on Biological Hazards	10 <sup>th</sup> meeting	30 <sup>th</sup> April, 2014
		11 <sup>th</sup> meeting	8 <sup>th</sup> October, 2014
		12 <sup>th</sup> meeting	14 <sup>th</sup> November, 2014
		13 <sup>th</sup> meeting	20 <sup>th</sup> March, 2015





5.	पीघ्कनाशी और प्रतिजैविक अवशिष्ट	24वीं बैठक	12 एवं 13 मार्च, 2014
		25वीं बैठक	9 अप्रैल, 2014
		26वीं बैठक	13 मई, 2014
		27वीं बैठक	11 जून, 2014
		28वीं बैठक	3 जुलाई, 2014
		29वीं बैठक	18 जुलाई, 2014
		30वीं बैठक	6 अगस्त, 2014
		31वीं बैठक	11 तथा 12 सितम्बर, 2014
		32वीं बैठक	10 अक्टूबर, 2014
		33वीं बैठक	13 नवम्बर, 2014
		34वीं बैठक	7 जनवरी, 2015
		35वीं बैठक	11 फरवरी, 2015
6.	खाद्य श्रृंखला में संदूषकों से संबन्धित पैनल	7वीं बैठक	29 तथा 30 अप्रैल, 2014
		8वीं बैठक	12 अगस्त, 2014
		9वीं बैठक	10 मार्च, 2015
7.	लेबल लगाने और दावे / विज्ञापनों से संबन्धित पैनल	14वीं बैठक	19 जून, 2014
		15वीं बैठक	9 जुलाई, 2014
		१६वीं बैठक	25 तथा 26 सितम्बर, 2014
		17वीं बैठक	28 सितम्बर, 2014
		18वीं बैठक	9 फरवरी, 2015
8.	आनुवंशिकीय रूप से आंशिक परवर्ती अवयव एवं खाद्य से संबंधित पैनल	7वीं बैठक	22 सितम्बर, 2014
9.	मछली एवं मत्स्य–पालन उत्पादों से संबधित पैनल	4थी बैठक	26 मई, 2014
		5वीं बैठक	19 सितम्बर, 2014
		6ठी बैठक	30 अप्रैल, 2015



5.	Panel on Pesticides and Antibiotic Residues	24 <sup>th</sup> Meeting	12 <sup>th</sup> & 13 <sup>th</sup> March, 2014
		25 <sup>th</sup> Meeting	9 <sup>th</sup> April, 2014
		26 <sup>th</sup> Meeting	13 <sup>th</sup> May, 2014
		27 <sup>th</sup> Meeting	11 <sup>th</sup> June, 2014
		28 <sup>th</sup> Meeting	3 <sup>rd</sup> July, 2014
		29 <sup>th</sup> Meeting	18 <sup>th</sup> July, 2014
		30 <sup>th</sup> Meeting	6 <sup>th</sup> August, 2014
		31 <sup>st</sup> Meeting	11 <sup>th</sup> & 12 <sup>th</sup> Sep., 2014
		32 <sup>nd</sup> Meeting	10 <sup>th</sup> October, 2014
		33 <sup>rd</sup> Meeting	13 <sup>th</sup> November, 2014
		34 <sup>th</sup> Meeting	7 <sup>th</sup> January, 2015
		35 <sup>th</sup> Meeting	11 <sup>th</sup> February, 2015
6.	Panel on Contaminants in the Food Chain	7 <sup>th</sup> Meeting	29 <sup>th</sup> & 30 <sup>th</sup> April, 2014
		8 <sup>th</sup> Meeting	12 <sup>th</sup> August, 2014
		9 <sup>th</sup> Meeting	10 <sup>th</sup> March, 2015
7.	Panel on Labelling and claims/Advertisements	14 <sup>th</sup> Meeting	19 <sup>th</sup> June, 2014
		15 <sup>th</sup> Meeting	9 <sup>th</sup> July, 2014
		16 <sup>th</sup> Meeting	25 <sup>th</sup> & 26 <sup>th</sup> Sep., 2014
		17 <sup>th</sup> Meeting	28 <sup>th</sup> November, 2014
		18 <sup>th</sup> Meeting	9 <sup>th</sup> February, 2015
8.	Panel on Genetically Modified Organisms and Foods	7 <sup>th</sup> meeting	22 <sup>nd</sup> September, 2014
9.	Panel on Fish and Fisheries Products	4 <sup>th</sup> Meeting	26 <sup>th</sup> May,2014
		5 <sup>th</sup> Meeting	19 <sup>th</sup> September, 2014
		6 <sup>th</sup> Meeting	30 <sup>th</sup> April, 2015





4.2	वर्ष 2014—15 के दौराग	न बहु कार्यदल समूहों (टी	
	एफ जी) / विशेषज्ञ समूह	ों की बैठकें:	
	बर कार्गटल बैटकों	दिनाक जिस दिन	

की संख्या	बैठक आयोजित हुई
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों से	संबन्धित कार्यदल समूह

5वीं बैठक	28 मार्च, 2014
6ठी बैठक	5 मई, 2014
7वीं बैठक	11 अगस्त, 2014
8वीं बैठक	26 अगस्त, 2014
9वीं बैठक	27 फरवरी, 2015

#### मांस एवं मांस उत्पादों से संबन्धित कार्यदल समूह

4थी बैठक	9 मई, 2014
5वीं बैठक	11 सिंतम्बर 2014
6ठी बैठक	18 नवम्बर, 2014

### एल्कोहल पेय के मानकों से संबन्धित विशेषज्ञ समूह

9वीं बैठक	15 एवं 16 अप्रैल, 2014
10 वीं बैठक	31 जुलाई, 2014
11 वीं बैठक	7 एवं 8 अप्रैल , 2014

#### खाद्य को अधिक पौष्टिक बनाने से संबन्धित विनियमों तथा दिशा–निर्देशों के लिए विशेषज्ञ समूह

दूसरी बैठक	17 अप्रैल, 2014
तीसरी बैठक	16 मई, 2014
चौथी बैठक	4 जुलाई, 2014
पाँचवी बैठक	19 अगस्त, 2014
छठी बैठक	21 अक्टूबर, 2014

#### जल गुणवत्ता के लिए विशेषज्ञ समूह

चौथी बैठक	22 अप्रैल, 2014
	22 01/1(1, 2014

- 4.3 नवीन वैज्ञानिक पैनलों को बनाने के लिए पहलः— नामांकन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति की मांग
- (i) खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की एक प्रमुख अभिज्ञान प्राथमिकता पहले से निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के बीच रिक्तता को ध्यान में रखते हुए खाद्य मानकों को बृहत करना है। इस दिशा में अधिक से अधिक संभव खाद्य

उत्पादों / श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित करना है।

- (ii) चूंकि खाद्य प्राधिकरण को खाद्य संरक्षा एवं पौष्टिकता के निर्धारित करने का अधिदेश है, और इस कार्य में खाद्य प्राधिकरण की सहायता वैज्ञानिक विशेषज्ञ करते हैं, इस संबंध में अधिक—से—अधिक विशेषज्ञ समूहों/वैज्ञानिक पैनलों को बनाने की अवश्यकता महसूस की गई है। यह देखा गया है कि कुछ विशेषज्ञ समूहों/कार्यदलों की स्थापना इस बृहत कार्य के लिए यथेष्ट नहीं हो सकती है। अतः विस्तृत कार्य किया गया और विभिन्न विषय—वस्तु/खाद्य श्रेणियों के लिए 12 और विशेषज्ञ समूहों के गठन का निर्णय लिया गया ताकि अधिकाधिक खाद्य उत्पाद मानकों के यथासाध्य विकास संबंधी कार्य किया जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित विषयों से संबन्धित 12 विशेषज्ञ समूहों की स्थापना के लिए नामांकन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।
  - i. एल्कोहल पेय
  - ii. कैफीनकृत पेय
  - iii. अनाज, दालें तथा बीजवाली फलियों का पौधा (बेकरी उत्पादों सहित)
  - iv. खाद्य तैयारी
  - फलों तथा सब्जियों और उनके उत्पाद (मेवा तथा छिलके वाला मेवा)
  - vi. मांस तथा मांस उत्पाद (मांस, मुर्गापालन तथा उनके उत्पाद)
  - vii. दुग्ध तथा दुग्ध–उत्पाद
  - viii. गैर-एल्कोहलिक पेय
  - ix. तेल और वसा
  - x. नमक, मसाले तथा चटनी–अचार
  - xi. मिठाइयाँ, मीठा बनानेवाला पदार्थ, कनफेक्शनरी तथा शहद और
  - xii. जल



4.2 Meetings of Task Force Groups (TFG)/ Expert Groups (EG) during 2014-15:

Number of	Date on which meeting
the TFG meeting	was conducted

#### Task Force Group on Milk and Milk Products

5 <sup>th</sup> Meeting	28 <sup>th</sup> March, 2014
6 <sup>th</sup> Meeting	5 <sup>th</sup> May, 2014
7 <sup>th</sup> Meeting	11 <sup>th</sup> August, 2014
8 <sup>th</sup> Meeting	26 <sup>th</sup> August, 2014
9 <sup>th</sup> Meeting	27 <sup>th</sup> February, 2015

#### Task Force Group on Meat and Meat Products

4 <sup>th</sup> Meeting	9 <sup>th</sup> May, 2014
5 <sup>th</sup> Meeting	11 <sup>th</sup> September, 2014
6 <sup>th</sup> Meeting	18 <sup>th</sup> November, 2014

#### Expert Group on Standards for Alcoholic Beverages

9 <sup>th</sup> Meeting	$15^{^{th}} \& 16^{^{th}} April, 2014$
10 <sup>th</sup> Meeting	31 <sup>st</sup> July, 2014
11 <sup>th</sup> Meeting	7 <sup>th</sup> & 8 <sup>th</sup> April, 2015

#### Expert Group for Regulations and guidelines on Food Fortification

2 <sup>nd</sup> Meeting	17 <sup>th</sup> April, 2014
3 <sup>rd</sup> Meeting	16 <sup>th</sup> May, 2014
4 <sup>th</sup> Meeting	4 <sup>th</sup> July, 2014
5 <sup>th</sup> Meeting	19 <sup>th</sup> August, 2014
6 <sup>th</sup> Meeting	21 <sup>st</sup> October, 2014

#### **Expert Group for Water Quality**

4<sup>th</sup> meeting 22<sup>nd</sup> April, 2014

- 4.3 Initiative to establish new Scientific Panels -Call for Expressions of Interest for nominations:
- One of the recognised priorities for the Food Safety and Standards Authority of India is to enlarge the basket of Food Standards keeping in view the gap between the standards already

prescribed and the requirement. The effort has to be to prescribe standards for as many food products/categories as possible.

- Since the Food Authority is mandated to lay (ii) down science-based food standards, driven by the twin objectives of safety and wholesomeness of food, and the Food Authority is assisted by the Scientific Experts in this exercise, need was felt for establishment of more and more Expert Groups/ Scientific Panels. It was observed that carrying on with this massive task with the establishment of a few Expert Groups/ Task Forces may not suffice. Hence, a detailed exercise was undertaken and it was decided to establish 12 more Expert Groups on various subject themes/food categories so as to take up work on development of Standards for as many vertical Food Product Standards as feasible. Accordingly, it was decided to invite nominations for establihment of 12 Expert Groups on following subjects:
  - (i) Alcoholic Beverages;
  - (ii) Caffeinated Drinks;
  - (iii) Cereals, pulses and legume and their products (including bakery products);
  - (iv) Food Fortification;
  - (v) Fruits and vegetables and their products (including dried fruits and nuts);
  - (vi) Meat and Meat products (Meat, poultry and their products);
  - (vii) Milk and Milk Products;
  - (viii) Non-alcoholic beverages;
  - (ix) Oils and Fat;
  - (x) Salt, Spices and condiments;
  - (xi) Sweets, sweeteners, confectionery and honey; and
  - (xii) Water



(iii) प्रारम्भ में उपर्युक्त पैनलों में नामांकन के लिए दिनांक 16 फरवरी को वेबसाइट पर सूचना के प्रकाशन द्वारा इच्छुक विशेषज्ञों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई।

इसके अलावा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य

संरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा 60 से अधिक संस्थानों को

उनके स्टाफ के बीच परिचालन एवं उपयुक्त विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश करने के लिए अर्धशासकीय पत्र भेजे गए। बाद में उपर्युक्त 12 विषयों में शामिल कार्य–क्षेत्रों को पुनः परिभाषित करते हुए 07 वैज्ञानिक पैनलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।



(iii) Expressions of Interest were initially invited from Experts desirous of their nominations on the above Panels by publication of the notice dated 16<sup>th</sup> February on the website. In addition, demiofficial communications were sent by the CEO, FSSAI to heads of more than 60 Institutions for cicrulation amongst their staff and recommend the names of suitable experts. Later on, it was decided to establish 07 Scientific Panels by re-defining the scope covered in the above 12 subjects.



## अध्याय-8

# खाद्य मानकों का निर्धारण एवं इस सबंध में विनियमों को जारी करनाः

नवीन मानकों के निर्धारण या मौजूदा मानकों की समीक्षा संबंधी कार्य करने के बाद खाद्य प्राधिकरण ने वर्ष 2014–15 के दौरान अंतिम / प्रारूप अधिसूचनाएं जारी की जिनका ब्यौरा नीचे वर्णित तालिका में है:--

क्रम सं	उत्पाद/वस्तु मानकों के नाम	स्थिति
1.	निरस्त अधिनियमों तथा आदेशों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के रूपांतर के लिए समय—विस्तार के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (खाद्य व्यवसाय का अनुज्ञापन तथा पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2014	10.06.2014 को अधिसूचित
2.	नामोदृष्ट अधिकारी की अर्हता के संबंध मे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2014	18.07.2014 को अधिसूचित
3.	शहद में प्रतिजैविक की सीमा हेतु मानक	03.12.2014 को अधिसूचित
4.	दोहरे रूप से पौष्टिक नमक के लिए मानक	05.12.2014 को अधिसूचित
5.	फाइटोस्टेनाल तथा ट्रेहेलोज के लिए लेबल लगाने की आवश्यकताएं	17.02.2015 को अधिसूचित
6.	फाइटोस्टेनाल तथा ट्रेहेलोज के लिए मानक	17.02.2015 को अधिसूचित
7.	सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कार्य—संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015	12.03.2015 को अधिसूचित
(ख)	(ख) हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त करने के लिए जारी मानकों / विनियमों की प्रारूप अधिसूचना	
1.	ब्रेड में ग्लूकोज ओक्साइडेज, लाईपेज तथा जाइलाइनेज के लिए मानकें	25.08.2014 को अधिसूचित
2.	अस्पैस्टेम–एसिस्लफेम नमक के लिए मानकें	25.08.2014 को अधिसूचित

## CHAPTER - 8

# <u> Issai</u>

# Setting of Food Standards and issue of Regulations thereon:

Having undertaken work on setting of new standards or review of the existing standards, the Food Authority has issued final/ draft notifications during 2014-15 as detailed in the table below:

Sr.No.	Name of the Product/ Commodity	Standards	
Α.	Final Notification issued		
1.	Food Safety and Standards Authority of India (Licensing and Registration of Food Business) Amendment Regulations, 2014 w.r.t extension of time for the conversion of licenses issued under the repealed Acts and Orders	Notified on 10.06.2014	
2.	Food Safety and Standards Authority of India (Amendment) Rules, 2014 w.r.t qualification of Designated Officer	Notified on 18.07.2014	
3.	Standards for limit of antibiotics in Honey	Notified on 03.12.2014	
4.	Standards for Double Fortified Salt	Notified on 05.12.2014	
5.	Labelling requirements for Phytostenol and Trehalose	Notified on 17.02.2015	
6.	Standards for Phytostenol and Trehalose	Notified on 17.02.2015	
7.	Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2015 w.r.t. appointment of members	Notified on 12.03.2015	
В.	B. Draft Notification of Standards/ Regulations issued for inviting stakeholder comments.		
1.	Standards for Glucose Oxidase, Lipase and Xylanase in bread	Notified on 25.08.2014	
2.	Standards for Aspartame-Acesulfame salt	Notified on 25.08.2014	





r				
3.	दोहरे रूप से पौष्टिक नमक के लिए मानकें	02.06.2014	को	अधिसूचित
4.	सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कार्य– संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015	08.08.2014	को	अधिसूचित
5.	पुलुलन के लिए मानकें	17.10.2014	को	अधिसूचित
6.	तेलों तथा वसा इमल्सन में 5ः स्तर तक ट्रांस—फैटी एसिड की अधिकतम सीमा	11.11.2014	को	अधिसूचित
7.	स्वाभाविक रूप से होने वाले जीवविष (नॉट्स) के लिए मानकें	05.12.2014	को	अधिसूचित
8.	ब्रेड में लेसिथिन के लिए मानकें	05.12.2014	को	अधिसूचित
9.	प्राकृतिक रंग तथा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज के लिए मानकें	11.12.2014	को	अधिसूचित
10.	सिंथेटिक रंगों के लिए मानकें	11.12.2014	को	अधिसूचित
11.	डी एच ए तथा ए आर ए के संबंध में शिशु फार्मूला के लिए मानकें	11.12.2014	को	अधिसूचित
12.	डी एच ए तथा ए आर ए के संबंध में अनुवर्ती फार्मूला के लिए मानकें			
13.	आइसोमोल्टुलोज के लिए मानकें			
14.	उच्च रेशेदार डेक्सड्रीन के लिए मानकें			
15.	आइसोमोल्टुलोज की लेबलिंग अपेक्षाएं			
16.	उच्च रेशेदार डेक्सड्रीन की लेबलिंग अपेक्षाएं			
17.	ग्लूटेन मुक्त उत्पादों हेतु मानकें	28.01.2015	को	अधिसूचित
18.	न्यून लासा(ग्लूटेन) उत्पादों के लिए मानकें			
19.	ग्लूटेन मुक्त उत्पादों के लिए लेबलिंग अपेक्षाएँ			
20.	न्यून ग्लूटेन उत्पादों के लिए लेबलिंग अपेक्षाएँ			
21.	स्टेवायोल ग्लाइकोसाइड्स के लिए मानकें	06.02.2015	को	अधिसूचित
ग.	खाद्य प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014—15 के दौरान अनुमोदित मानकें⁄विग्	नेयमावली		
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम			
2.	खाद्य संरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक , न्यूट्रास्युटिक्लस, विशेष भोजन विषयक आहार, विषयक आहार, विशेष चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए खाद्य, प्रकार्यात्मक खाद्य तथा नवीन व भिन्न खाद्य) विनियम			





3.	Standards for Double Fortified Salt.	Notified on 02.06.2014
4.	Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2015 w.r.t. appointment of members	Notified on 08.08.2014
5.	Standards for Pullulan	Notified on 17.10.2014
6.	Maximum limit of Trans Fatty Acids up to the level of 5% in Oils and Fat Emulsions	Notified on 11.11.2014
7.	Standards for Naturally Occurring Toxins (NOTS)	Notified on 05.12.2014
8.	Standards for Lecithin in breads	Notified on 05.12.2014
9.	Standards for Natural Colour and Carboxy Methyl Cellulose	Notified on 11.12.2014
10.	Standards for Synthetic Colours	Notified on 11.12.2014
11.	Standards for Infant Formula w.r.t DHA and ARA	Notified on 11.12.2014
12.	Standards for Follow up Formula W.R.T DHA and ARA	
13.	Standards for Isomaltulose	-
14.	Standards for High Fibre Dexdrin	-
15.	Labelling requirements of Isomaltulose	
16.	Labelling requirements of High Fibre Dexdrin	-
17.	Standards for Gluten Free Products	Notified on 28.01.2015
18.	Standards for Low Gluten Products	
19.	Labelling requirements for Gluten Free Products	
20.	Labelling requirements for Low Gluten Products	
21.	Standards for Steviol Glycosides	Notified on 06.02.2015
C.	Standards/Regulations approved by the Food Authority during 2014	-15
1.	Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations	
2.	Food Safety and Standards (Food or Health Supplements, Nutraceuticals, Foods for Special Dietary uses, Foods for Special Medical Purposes, Functional Foods, and Novel Foods) Regulations	








2	Harmonication of Harizontal Standards for Food Additives for use in	
3.	Harmonisation of Horizontal Standards for Food Additives for use in certain food categories or individual food items: Dairy and Dairy	
	Products (IFC-1); Fats and Oils (IFC - 2); Edible Ices including Sorbet	
	(IFC-3) ; Fruits and Low Gluten Products Vegetables (IFC- 4); Confectionary (IFC-5); Cereal and Cereal Products (IFC-6) ; Bakery	
	Products (IFC-7); Meat and Meat Products (IFC-8); Fish and Fish	
	Products (IFC-9); Eggs and Egg products (IFC-10); Sweeteners (IFC-11); Salt, Herbs, Spices, Seasonings and Condiments (IFC-12) Food Stuff	
	intended for particular Nutritional Uses (IFC-13); Alcoholic and Non-	
	Alcoholic Beverages (IFC-14) and Ready-to-eat Savouries (IFC-15)	
4.	Harmonisation of Horizontal Standards for Contamination (Mycotoxins) in Food	
5.	Harmonisation of Horizontal Standards for Heavy Metals for all Food Product Categories	
6.	Standards for Phytosterols	
7.	Labelling requirements for Declaration of class titles and Trans Fats	
8.	Standards for Dried and Salted Fish	
9.	Standards for Melamine in Milk and Milk Products	
10.	Standards for Lycopene as a Natural Colouring Matter	
11.	Standards for Milk and Milk products.	
	(i) General Standard for Milk and Milk Products	
	(ii) Standard for Milk	
	(iii) Standard for Cream and Malai	
	(iv) Standard for Fermented Milk	
	(v) Standard for Sweetened Condensed Milk	
	(vi) Standard for Evaporated Milks	
	(vii) Standard for Edible Casein Products	
	(viii) Standard for Milk Powder and Cream Powder	
	(ix) Standard for Flavoured Milk	
	(x) Standard for Khoya	
	(xi) Standard for Whey Powder	
	(xii) Standard for Milk Fat Products	
	(xiii) Standard For Ice Cream, Kulfi, Chocolate Ice Cream, Softy Ice Cream, Milk Ice, Milk Lolly and Dried Ice Cream Mix	





	(xiv) जमे हुए मिष्ठान/कनफेक्शन और सूखे जमे हुए मिष्ठान/कनफेक्शन मिश्रण जिसमें वनस्पति तेल/वसाओं और/या वनस्पति प्रोटीन है।	
	(xv) मक्खन के लिए मानकें	
	(xvi) छेना तथा पनीर के लिए मानकें	
	(xvii) पनीर तथा पनीर उत्पादों के लिए मानकें	
	(xviii) डेयरी ह्राइटनर के लिए मानकें	
	(xix) ऊंट दूध के लिए मानक	
12.	दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के सूक्ष्म जीवविज्ञानी मानकें	
13.	मांस तथा मांस उत्पादों के लिए सूक्ष्म जीवविज्ञानी मानकें	
14.	फलों तथा सब्जियों के उत्पादों के सूक्ष्म जीवविज्ञानी मानकें	
15.	मछली तथा मत्सिकी उत्पादों के सूक्ष्म जीवविज्ञानी मानकें	
16.	मछली तथा मछली–पालन के लिए निषेध औषध विज्ञानी सक्रिय पदार्थ	
17.	मछली तथा मात्स्यिकी उत्पादों में भारी धातुएँ	
18.	मछली तथा मात्स्यिकी उत्पादों में बायोटॉक्सिन	
19.	मछली तथा मात्स्यिकी उत्पादों में पॉलिक्लोरिनेटेड, बाइफिनोइल्स (पीसीबी) तथा पॉलिसाईक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (पी ए एच) यौगिकों जैसे संदूषकों की सीमाएं	
20.	लैक्टिक एसिड–खाद्य श्रेणी के मानक	
21.	माल्ट एक्सट्रैक्ट के मानक	
22.	प्रोबायोटिक्स के लिए आई सी एम आर⁄डी बी टी दिशा–निर्देश का अंगीकरण	
23.	खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमावली, 2011 मेन नवीन परमाणु ऊर्जा (खाद्य एवं सबद्ध उत्पादों का विकिरिण प्रसंस्करण) नियम, 2012 को शामिल करना।	
24.	पीड़कनाशी, प्रतिजैविक और पशु औषिधि अवशिष्ट का सुमेलन	
25.	आइसक्रीम मेन खाद्य योजक के रूप में "सोडियम एल्गीनेट" का प्रयोग	
26.	खाद्य विश्लेषण की विधि से संबन्धित 15 प्रारूप एफ एस एस ए आई मैनुअल को अंतिम रूप देना	
27.	खाने योग्य वनस्पति तेलों/खाने योग्य वनस्पति वसा वर्ग के लिए अवयवों को सूची से संबन्धित खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लैबलिंग) विनियम, 2011 में संशोधन	
28.	सम्पूर्ण पैकेज तथा लेबल लगाने से छूट की परिभाषा से संबन्धित खाद्य सुरक्षा मानक विनियम, 2011 में संशोधन	
29.	गिलेटीन में क्रोमियम के स्तर हेतु मानकें	
30.	कुछ प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों के लिए मानकें	





<ul> <li>(xiv) Standards for frozen desserts/confections and dried desserts/ confections mix containing added vegetable and/ or vegetable protein</li> <li>(xv) Standard for Butter</li> <li>(xvi) Standard for Chhana and Paneer(xvii) Standard for C and Cheese Products</li> </ul>	
(xvi) Standard for Chhana and Paneer(xvii) Standard for C	
	heeses
(xviii) Standards for Dairy whitener	
(xix) Standards of Camel milk	
12. Microbiological Standards of Milk and Milk Products	
13. Microbiological Standards of Meat & Meat Products	
14. Microbiological Standards of Fruits and Vegetables Products	
15. Microbiological Standards of Fish and Fishery Products.	
16. Pharmacologically active substances prohibited for Fish and products	Fishery
17. Heavy Metals in Fish and Fishery Products	
18. Limits of Biotoxins in Fish and Fishery Products	
19. Limits of contaminants: Polychlorinated Biphenyls (PCB Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) compounds in Fish and Products	
20. Standards of Lactic Acid - food grade	
21. Standards of Malt Extract	
22. Adoption of ICMR/DBT guidelines for Probiotics	
23. Inclusion of new Atomic Energy (Radiation Processing of For Allied Products), Rules, 2012 in Food Safety and Standards Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011	
24. Harmonization of Pesticides, Antibiotics and Veterinary Residues	<sup>7</sup> Drugs
25. Use of "Sodium Alginate" as a Food Additive in Ice Cream	
26. Finalization of 15 Draft FSSAI Manuals on Method of Analysis of	of Food
27. Amendment in Food Safety Standards (Packaging and Lak Regulations, 2011 related to list of ingredients, class titles the Edible Vegetable Oils/ Edible Vegetable Fat Classes	
28. Amendment in Food Safety Standards (Packaging and Lak Regulations, 2011 related to Definition of Wholesale Packa Exemptions from labelling requirements.	
29. Standards for level for Chromium in Gelatine	
30. Standards for Certain Processed Fruits and Vegetables	



# उत्पाद अनुमोदन

विनियम में निर्धारित खाद्य मानकों की संख्या सीमित है (योजकों, जीवविष आदि से संबधित समस्तरीय मानकों को छोड़कर उर्ध्व मानकों की मौजूदा संख्या में 362 खाद्य उत्पाद शामिल हैं। ) भारत में उपभोग किए गए खाद्य की लगभग 90 प्रतिशत मात्रा का इनमें शामिल होने का अनुमान है। इस पृष्टभूमि तथा संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 19 से 22 के अधीन निर्धारित सर्वथा सीमित दृष्टिकोण से नवप्रवर्तन में गतिरोध उत्पन्न होगी और खाद्य क्षेत्र में नवीन निवेश रुक जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्रक के स्वाभाविक रूप में गत्यात्मक होने के कारण इस स्थिति को किसी कभी भी समय अवरुद्ध नहीं किया जा सकता विशेष रूप से तब जब नए मानकों का विकास तथा विनियमों के रूप में उनकी अधिसूचना समय लगने वाले कार्य हैं।

इसी संदर्भ में खाद्य प्राधिकरण ने धारा 22 में उत्पादों पर अधिनियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के कारण धारा 16(5) के साथ पठित धारा 16(1) के अधीन दिशा–निर्देश/परामर्शिका जारी किया है और प्रवर्तन में परामर्शी 11 मई 2013 से प्रवृत्त हुआ। इस तरह उत्पाद अनुमोदन के प्रणाली को उन खाद्य उत्पादों के जोखिम तथा संरक्षा निर्धारण के लिए पुंनः स्थापित किया गया जो संबधित जोखिम तथा उनकी संरक्षा के निर्धारण में विहित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

- 9.1 लंबित तथा पिछले बकाए की समस्या तथा उन्हें हल करने के लिए उठाए गए कदम:--
- 9.1.1 11 मई, 2013 की परामर्शिका जिसका इस्तेमाल किसी खाद्य उत्पाद के जोखिम/संरक्षा निर्धारण का कार्य कर सांविधिक ढांचा में बाधाओं को हल करने के प्रशासनिक प्रणाली के रूप किया गया, को उद्योग तथा औषध निर्माता संघ के कुछ समूहों द्वारा माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें दिनांक 31.01.2014 के अपने आदेश द्वारा उपर्युक्त परामर्शिका के लागू होने पर स्थगन प्रदान किया। परामर्शिका 1 अगस्त 2014 तक स्थगित रही जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि खाद्य नियामक ढांचे में परामर्शिका का कोई कानूनी स्थान नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.08.2014 को एफ एस एस ए आई द्वारा दायर एस एल पी में अपने अन्तरिम आदेश द्वारा माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया। वैसे इस अवधि में उत्पाद अनुमोदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित रही और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही यह फिर से प्रारम्भ हो सकी।

9.1.2. इसके परिणामस्वरूप 31.01.2014 को लंबित उत्पाद अनुमोदन आवेदनों तथा स्थगन की अवधि से मध्य अगस्त, 2014 तक प्राप्त आवेदनों को बिना किसी प्रक्रिया किए रखा गया। इससे बीच अगस्त, 2014 के

<u> Issai</u>

The number of Food Standards prescribed in the regulations is limited (the existing number of vertical Standards cover 362 food products, apart from the horizontal standards on Additives, Toxins etc.). These are estimated to cover about 90% of the volume of food consumed in India. A strictly limited approach prescribed under Sections 19 to 22 of the FSS Act in this background and context would have led to stagnation of innovation and blocked fresh investments in the food sector. Most importantly, the sector being dynamic in nature, the position cannot be frozen at any given point in time especially when development of new standards and their notification in the form of regulations is a time consuming affair.

It is in this context that the Food Authority issued guidelines/ advisories under Section 16(1), read with Section 16(5) of the Act due to the restrictions imposed by the Act on products in Section 22 and the advisory in force was dated 11<sup>th</sup> May 2013. Thus the system of Product Approvals was introduced as a means to undertake the risk and safety assessment of the food products which are not conforming to the prescribed standards in order to assess the associated risks and their safety.

# **Product Approvals**

- 9.1 The Problem of pendency and backlog and steps taken to address the same:
- 9.1.1 The Advisory of 11<sup>th</sup> May 2013, which was used as an administrative mechanism to address the impediments in the statutory framework by undertaking risk/ safety assessment of any food product, was challenged by certain group from Industry and the Indian Drugs Manufacturers Association before High Court of Mumbai, which stayed the operation of the said Advisory vide its orders dated 31.01.2014. The Advisory remained stayed through 1<sup>st</sup> August 2014 when the Hon'ble High Court struck it down holding that the Food Regulatory Framework had no legal space for an Advisory;

The Hon'ble Supreme Court was pleased to stay the operation of the orders passed by the High Court of Mumbai vide its interim orders dated 13.08.2014 in the SLP preferred by the FSSAI. As such, the entire process of Product Approvals remained suspended during this period and could re-commence only after the intervention of the Hon'ble Supreme Court.

9.1.2 As a result, Product Approval applications, pending as on 31.01.2014, and those received during the period of stay till mid August 2014 remained unprocessed. It also led to a sudden





बाद नवीन आवेदनों की एकाएक भरमार हो गई। 765 आवेदन जिसमें प्रत्येक में अनेक उत्पाद शामिल थे सितम्बर तथा अक्टूबर, 2014 में प्राप्त हुए और उनके लंबित रहने से विलंब हुआ और इस संबंध में उद्योगों के बीच असंतोष उत्पन्न हुआ।

9.1.3. खाद्य प्राधिकरण ने और अधिक तकनीकी अधिकारियों (यह संख्या दो माह की अवधि में 4/5 से बढ़कर 11 हो गई) को उत्पाद अनुमोदन प्रभाग में नियुक्त किया और उत्पाद अनुमोदन और छानबीन समिति की बैठकें सप्ताह में लगभग चार दिन होने लगी जो पहले प्रत्येक सप्ताह में एक बार आयोजित होती थी। इस मामले में कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजना के अनुसार, सभी लंबित आवेदनों को दो समूहों अर्थात (i)वे जो 31.12.2014 तक फाइल प्राप्त की गई और (ii) वे जिन्हें 01.01.2015 से 31.03.2015 तक दाखिल किया गया, में विभक्त किया गया।

प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी उत्पाद अनुमोदन ⁄ अनापत्ति प्रमाण पत्र	वैज्ञानिक पैनल को विचारार्थ भेजा गया	समाप्त आवेदन (अधूरे∕बिना अनुक्रिया वाले)	समाप्ति के अधीन	अस्वीकृत	पिछले संदर्भाधीन लंबित	पी ए एंड एस सी के लिए पूरी फ़ाइल	एफ एस एस ए आई के पास संवीक्षा हेतु लंबित	स्पष्टीकरण के लिए खाद्य व्यवसाय संचालक के पास लंबित			
13.08.201	13.08.2014 (वह दिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया) को स्थिति											
3999	522	_	241	_	147	3089	_	_	1063			
		31.1	2.2014 तक	दाखिल /	′ प्राप्त आवे	दनों की रि	थति					
4541	763	_	551	_	184	3043	_	_	_			
				15.02.2	015 को							
4541	885	_	835	840	202	1779	_	_	_			
	31.03.2014											
4541	1004	145	1338	367	244	1443	_	_	_			

भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ऑनलाइन प्रणाली के रूप में एफ पी ए एस भारत के लिए अद्वितीय है।

9.2.2 जैसा कि प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी ) अनुप्रयोग के पहली बार शुरू करने पर होता है इसमें भी प्रचालन मुद्दे तथा प्रकार्यात्मक अंतर उजागर हुए हैं। ऐसी किसी भी ई–गवर्नेस प्रणाली को संतुलित अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। ऐसा ही अनुमत एफ पी ए एस प्रणाली को प्रारम्भ करने पर हुआ और इसी

#### 9.2 एफ पी ए एस – ऑनलाइन खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली

9.2.1 खाद्य प्राधिकरण ने आई टी सेवा उपलब्ध करने वाले के रूप में एन आई एस जी को नियुक्त किया है। प्रणाली को पारदर्शी तथा सक्षम बनाने के अपने प्रयास के रूप में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने "एफ पी ए एस" के रूप में विकसित अनुप्रयोग प्राप्त किया और इसे 09.09.2014 से प्रारंभ किया। यहां यह



rush of fresh applications after mid-August 2014. As many as 765 applications, each consisting of multiple products, were received in the months of September and October 2014 alone. Admittedly, this accumulation of applications and their pendency led to delays and dissatisfaction among the Industry in this behalf.

9.1.3 The Food Authority engaged more Technical Officers (the number was increased from 4/5 to about 11 over a period of two months) for the Product Approval Division and meetings of the Product Approval & Screening Committee started meeting on about four days a week as against one meeting/ week held earlier. An Action Plan was prepared in the matter. As per the Action Plan, all pending applications were divided into two groups i.e. (i) those filed/ received up to 31.12.2014, and (ii) those filed between 01.01.2015 till 31.03.2015.

9.1.4 The Status of pendency of Applications for Product Approvals at different points in time is given in the following table:

No. of Apps. received	Product Approvals/ NOCs Issued		Apps. Closed (being incomplete/ non- responsive)	Under Closure	Rejected	Pending (including under back reference)	Files complete for the PA&SC	Pending Scrutiny with FSSAI	Pending with FBOs for clarifications		
As on 13.	As on 13.08.2014 (the day when the Hon'ble Supreme Court stayed the order of High Court of Mumbai										
3999	522	-	241	-	147	3089	-	-	1063		
	Status of Applications filed/received up to 31.12.2014										
				As on 3	1.12.2014						
4541	763	-	551	-	184	3043	-	-	-		
	•			As on 1	5.02.2015	•					
4541	885	-	835	840	202	1779	-	-	-		
	As on 31.03.2014										
4541	1004	145	1338	367	244	1443	-	-	-		

## 9.2 FPAS – the online Food Product Approval System:

- 9.2.1 The Food Authority has engaged NISG as the IT Services provider. As part of its effort to make the system transparent and efficient, the FSSAI got an application known as "FPAS" developed and launched the same with effect from 09.09.2014. It may also be mentioned that the FPAS, as an online system, is unique to India only.
- 9.2.2 As it happens with every new IT Application launched for the first time, operational issues and functional gaps keep coming to notice. It takes some time for any such eGovernance system to reach a steady state. Similar experience was encountered with the launch of FPAS and it is on this account that the Authority kept on accepting applications simultaneously in the off-line/ manual mode for some time. However, it was decided to





वजह से प्राधिकरण ने ऑफ लाइन / हस्तविधि से आवेदनों को स्वीकार करना जारी रखा।परंतु 01.01. 2015 से केवल ऑन—लाइन विधि से ही आवेदनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। मध्य स्तर के खाद्य उत्पादों के लिए आवेदनों को हस्त विधि से स्वीकार किया जाता रहा क्योंकि कम्प्यूटर संबंधी प्रकार्यात्मकता विकसित की जानी थी और इसे ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध कराया जाना था।

9.2.3 एफ पी ए एस ऑनलाइन प्रणाली में कुछ प्रचालनात्मक समस्याओं के संबंध में सूचना प्राप्त हुई और इसका अनुभव हुआ। परंतु, जनवरी से दिसम्बर, 2014 तक 1456 आवेदन प्राप्त हुए, 09.09.2014 से 31.12.2014 तक 211 आवेदन ऑनलाइन विधि से दाखिल किए गए थे। प्राधिकरण ने इस अवधि में शारीरिक / हस्त विधि से आवेदन स्वीकार करना साथ–साथ जारी रखा क्योंकि एफ पी ए एस प्रणाली स्थिरीकरण अवस्था में थी। परंतु 01.01.2015 के बाद आवेदनों को केवल ऑनलाइन विधि (मध्यवर्ती उत्पादों को छोड़कर क्योंकि साफ्टवेयर में प्रकार्यात्मकता उपलब्ध कराया जाना था) से स्वीकार किया गया। 01.01.2015 से 31.03.2015 तक की अवधि में कुल 304 आवेदन ऑनलाइन विधि से प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 515 आवेदनों को 09. 09.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि में दाखिल किया गया।

#### 9.3 कार्यदल का गठन

- 9.3.1 चूंकि उत्पाद अनुमोदन की प्रक्रिया का खाद्य उद्योग की ओर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विरोध किया जा रहा था अतः दो मंत्रियों (स्वास्थ्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मंत्री) के स्तर पर अगस्त 2014 में आयोजित बैठक में सम्पूर्ण मुद्दे की गहराई से जांच करने तथा उत्पाद अनुमोदन की प्रक्रिया हेतु प्रारूप विनियम का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल गठित करने पर सहमति दी गई। उपर्युक्त कार्यदल में चार प्रतिनिधि शामिल थे जिसमें (i) विषयवस्तु विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से यथा नामित/प्रतिनिधिगण (iii) उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा मनोनीत उपभोक्ता संगठनो के प्रतिनिधियों और (iv) राज्य/संघ–राज्य क्षेत्रों के साथ सुरक्षा आयुक्तों में से एक–एक प्रतिनिधि थे।
- 9.3.2 कार्यदल ने इस विषय पर अनेक बैठकों द्वारा विचार–विमर्श किया। परंतु इसकी रिपोर्ट/संस्तुति 22 अप्रैल, 2015 अर्थात 31.03.2015 के बाद प्राप्त हुई।



accept applications only in the on-line mode from 01.01.2015. The applications for intermediate food products continue to be accepted in the manual mode as this functionality was yet to be developed and provided in the online system.

9.2.3 Certain operational problems were reported and experienced in the FPAS online system. However, the system largely remained functional as against a total of 1456 applications received from January to December 2014, a total of 211 applications were filed in the online mode during 09.09.2014 to 31.12.2014. The Authority continued to accept applications in physical/ manual mode concurrently during this period as the FPAS system was in stabilisation mode. However, applications after 01.01.2015 were accepted only in the online mode (except for intermediate products as this functionality was yet to be provided in the software application). A total of 304 applications were received in the online mode during 01.01.2015 to 31.03.2015. Thus, a total of 515 applications

were filed in the online mode during 09.09.2014 up to 31.03.2015.

#### 9.3 Constitution of the Task Force:

- 9.3.1 Since the process of Product Approvals was being opposed by the Ministry of Food Processing Industry on behalf of the Food Industry, it was agreed in a meeting held at the level of the two Ministers (Health Minister and the Minister for Food Processing Industries) in August 214 to constitute a Task Force to go into the whole issue and suggest a draft regulation for the process of Product Approvals. The said Task Force consisted of four representatives each from the (i) Subject matter Experts/ Scientists, (ii) representatives of the Food Processing Industry as nominated by the MoFPI; (iii) representatives of Consumer Organizations nominated by the Department of Consumer Affairs; and (iv) Food Safety Commissioners from the States/UTs.
- 9.3.2 The Task Force deliberated on the subject through a number of meetings. However, its report/ recommendations were received on 22<sup>nd</sup> April, 2015 i.e. after 31.03.2015.



### आयात प्रभाग

- 10.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के अनुसार खाद्य वस्तुओं के आयात अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करके किसी खाद्य वस्तू का आयात नहीं करेगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि केंद्र सरकार, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत खाद्य वस्तूओं को निषिद्ध, प्रतिबंधित या अन्यथा विनियमित करते समय इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण सुरक्षा एवं मानक अधिनियम खाद्य वस्तुओं के मामले में, खाद्य प्राधिकरण का अधिकृत अधिकारी इसका नमूना लेगा और विश्लेषण हेतू अधिसूचित प्रयोगशाला के विश्लेषक को भेजेगा जो प्रधिकृत अधिकारी को पांच दिनों के भीतर रिर्पोट भेजेगा। प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आयातित वस्तू का खाद्य सुरक्षा पक्ष सुनिष्टिचत किया जाता है।
- 10.2 एफ एस एस ए आई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 47(5) के अनुसार पाँच बड़े स्थानों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोचीन पोर्ट (समुद्री, वायु, भूमि सहित) के लिए 16 प्रवेश बिन्दुओं पर अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से अगस्त–सितम्बर 2010 से चरणबद्ध तरीके से आयातित खाद्य निकासी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक

लागू किया है। शेष⁄स्थानों पर आयातित खाद्य निकासी प्रक्रिया सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संभाली जा रही है।

- 10.3 अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान प्राप्त किये गये नमूनों और जारी की गई एनओसी संलग्नित तालिका 1 पर दी गई हैं। यहां विदित हो कि वर्ष 2014–15 के दौरान एफएसएसएआई ने कुल 63,238 नमूनों को, जो 8.25 मिलियन किलोग्राम की आयातित खाद्य वस्तुओं वाली थी, निपटाया। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत 12,655.49 किग्रा– वजन की खाद्य वस्तुओं के 577 नमूनों (0.91%) को गैर अनुरूपता प्रमाण–पत्र/जारी हुए/खारिज किये गये क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा इसके अधीन विनियमों के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे।
- 10.4 वर्ष 2014—15 के दौरान निम्नलिखित कार्य संपादित हुए:—
  - खाद्य प्राधिकरण ने जेएनपीटी मुम्बई पोर्ट और दिल्ली पर 24 × 7 कस्टम निकासी प्रणाली कार्यान्वित की है और इसे अन्य स्थानों पर भी लागू करने की प्रक्रिया हो रही है।
  - एफएसएसएआई ने कुल 82 एनएबीएल प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है जिनका उपयोग आयातित खाद्य वस्तुओं से



- 10.1 As per Section 25 of the Food Safety & Standard Act, 2006, all imports of articles of food are subject to the provisions of the Act. It stipulates that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any rules and regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of articles of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and Rules and regulations made thereunder. Further, as per section 47 (5) of the FSS Act, 2006, in case of imported articles of food, the Authorised Officer of the Food Authority shall take its sample and send to the Food Analyst of notified laboratory for analysis who shall send the report within a period of five days to the Authorised Officer. As per the test reports from the lab, the food safety aspect of the imported consignment is ensured.
- 10.2 FSSAI has successfully operationalized the imported food clearance process in a phased manner since August-September 2010 through appointment of Authorized Officers in terms of section 47 (5) of the FSS Act, 2006 for 16 points of entry at five major locations i.e.

# **Imports Division**

Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Cochin Ports (including sea, air and land). Officers of the Customs Department continued to handle the import clearances of food at the remaining locations.

- 10.3 The data regarding the number of samples drawn & NOCs issued for the period April 2014 to March 2015 is given in the enclosed Table-I. It is informed that a total of 63,238 samples containing 8.25 million kilograms of imported food products, have been handled by the FSSAI during 2014-15. In the process, 577 samples (0.91%), weighing 12655.49 kgs of food, have been issued non-conforming certificates/ rejected as these were not meeting the standards prescribed under the FSS Act, 2006 and the regulations thereunder.
- 10.4 Following activities were undertaken during the year 2014-2015:-
  - (i) FSSAI has implemented 274x7 Customs clearance system at JNPT Mumbai port and Delhi and is in process of operationalising the same at other locations.
  - The FSSAI has notified a total of 82 NABL accredited Private laboratories, which are being used for analysis of samples





लिये नमूनों के विशलेषण के लिए होता है। नमूनों का पारगमन कम से कम समय में हो इस उद्देश्य से एफएसएसएआई के अधिकृत अधिकारियों के नजदीक स्थित प्रयोगशालाओं को वरीयता दी जाती है। आयातकों द्वारा किये अपील अनुरोधों पर नमूनों के पुनःपरीक्षण के लिये 12 रेफरल प्रयोंगशालाएं अधिसूचित की गई है।

- iii. कस्टम विभाग के साथ समन्वय करके आयातकों को एकल खिड़की निकासी सुविधा विकसित हो रही है।
- iv. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी आदेश सं.जेड. 17015 / 1 / 2014 – सीडीएन – 1 दिनांक 17 अक्टूबर 2014 द्वारा शपथ पत्र की समाप्ति और बनाने हेतु स्व – प्रमाणन को प्रोत्साहित करने हेतु खाद्य प्राधिकरण ने ''स्वघोषणा'' के रूप में 'वचनबद्धता' को शपथ पत्र' के स्थान

पर अपने आदेश सं. जेड. 16011/14/2014-ई व ए (पीटी) दिनांक 31–12–2014 द्वारा मान्यता प्रदान की हैं।

- 10.5 एफएसएसएआई द्वारा पोर्टों पर आयातित खाद्य निकासी को सुगम तथा त्वरित बनाने के लिये निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये:–
  - i. 100% निर्यात / पुनःनिर्यात वाली आयायित खाद्य सामग्रियों के सम्बन्ध में सभी अधिकृत अधिकारियों के लिये दिनांक 22–01–2015 का दिशा–निर्देश
  - ii. प्रदर्शनी तथा आस्वादन के लिये आयातित खाद्य सामग्रियों के लिये दिनांक 19–02–2015 का दिशा–निर्देश।
  - iii. आयातक/सीएचए द्वारा भुगतान किये गये नमूना परीक्षण शुल्क की वापसी की प्रक्रिया दिनांक 27–03–2015

अप्रैल	2014	से	मार्च	2015	की	अवधि	के	लिये	खाद्य	आयात	निकासी	डाटा
<b>N N N</b>	2011	· · ·		2010		<b>VI 11-1</b>		101-1	919	<b>9</b> 11 - 11 (1	1 1 1 1 1 1 1 1	0.0

स्थान और पोर्ट	नमूनों की संख्या	मात्रा (किग्रा)	कुल जारी गैर अनुरूपता प्रमाण–पत्र (एनओसी)	जारी एनसीसी की संख्या (किग्रा)	निकसित नमूनों की सं.	निकासित मात्रा (किग्रा)
चेन्नई(बंदरगाह व हवाई अड्डा)	13,058	19,25,363.95	86	3,391.12 (0.18%)	12,972	19,21,972.8 (99.82%)
मुम्बई (जे,नपीटी, बंदरगाह व हवाई अड्डा)	39,162	41,66,010.13	420	2,052.49 (0.05%)	39,813	4,16,3957.6 (99.95%)
कोलकाता ( बंदरगाह, हवाई अड्डा और हल्दिया)	5,253	21,22,396.28	8	709.48 (0.03%)	5,245	21,21,686.8 (99.97%)
नई दिल्ली ( आईसीडी तथा हवाई अड्डा)	4,613	6,960.59	26	173.51 (2.49%)	4,566	6,787.08 (97.51%)
कोचीन (बंदरगाह तथा हवाई अड्डा)	1,152	32,048.14	37	6,328.89 (19.75%)	1,113	25,719.25 (80.25%)
कुल	6,338	82,52,779.09	577	12,655.49 (0.15%)	63,709	82,40,123.6 (99.85%)



drawn from the import consignments. Preference is given to the labs situated in close proximity to the FSSAI locations of Authorised Officer for the purpose so as to minimize the time in transit of samples. 12 Referral laboratories have been notified for re-testing of samples based on the appeal requests made by the importers.

- (iii) Single window clearance facility to the importers is being developed in coordination with the Department of Customs.
- (iv) In view of the order of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, vide O.M. No. Z. 17015/1/2014-CDN-I dated 17<sup>th</sup> October, 2014 regarding abolition of affidavits and promotion of self-certifications and recognizing the need for ease of doing business in this

behalf, the Food Authority has substituted the 'Affidavits' with 'Undertakings by way of Self Declaration' vide its order No. Z-16011/14/2014-E&A (Pt) dated 31<sup>st</sup> December, 2014.

- 10.5 Following guidelines were issued by the FSSAI in order to expedite and facilitate food imported clearance at FSSAI port locations:
  - Guidelines to all Authorised Officers on the imported food articles meant for 100% exports/ re-export dated 22.01.2015
  - Guidelines for import of food articles meant for exhibition and tasting purposes dated 19.02.2015
  - (iii) Procedure for refund of sample tasting fee paid by the importer/CHA dated 27.03.2015

Location and Port	Number of Samples	Quantity (Kgs)	Number of Non Conforming Certificates (NCC) Issued	Quantity belonging to NCC Issued (Kgs)	Number of Samples cleared	Quantity cleated (Kgs)
Chennai (Seaport & Airport)	13058	1925363.95	86	3391.12 (0.18%)	12972	1921972.8 (99.82%)
Mumbai (JNPT, Seaport & Airport)	39162	4166010.13	420	2052.49 (0.05%)	39813	4163957.6 (99.95%)
Kolkata (Seaport, Airport & Haldia)	5253	2122396.28	8	709.48 (0.03%)	5245	2121686.8 (99.97%)
New Delhi (ICDs & Airport)	4613	6960.59	26	173.51 (2.49%)	4566	6787.08 (97.51%)
Cochin (Seaport & Airport)	1152	32048.14	37	6328.89 (19.75%)	1113	25719.25 (80.25%)
Total	6338	8252779.09	577	12655.49 (0.15%)	63709	8240123.6 (99.85%)

#### Data of Food Import Clearance for the period April 2014 to March 2015



# प्रवर्तन-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विनियम

11.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने—अपने क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति तथा न्याय निर्णयन अधिकारियों, अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया है।

	एफएसएस अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा											
कम सं.	राज्य का नाम	खाद्य सुरक्षा आयुक्त (सीएफ एससी)	न्याय निर्णयन अधिकारियो की सं. (ए.ओ.)	अभिहित अधिकारियों की सं. (डी.ओ.)	खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सं. (एफ.एस.ओ.)	स्टियरिंग समिति	अधिकरण					
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	3	3	18	हाँ	हाँ					
2	आन्ध्र प्रदेश	1	13	17	34	हाँ	नहीं					
3	अरूणाचल प्रदेश	1	20	20	3	हाँ	हाँ					
4	आसाम	1	27	5	40	हाँ	हाँ					
5	बिहार	1	36	9	14	नहीं	नहीं					
6	चंडीगढ़	1	1	2	2	हाँ	हाँ					
7	छत्तीसगढ़	1	27	27	10	नहीं	हाँ					
8	दादर एवं नगर हवेली	1	1	1	1	नहीं	नहीं					
9	दमन एवं दीव	1	2	2	3	हाँ	हाँ					
10	दिल्ली	1	11	9	12	हाँ	हाँ					

# <u> Íssaí</u>

# Enforcement - Regulation of Food Safety in States/UTs:

11.1 The State/UT Governments are primarily responsible for the enforcement of the FSS Act, 2006 in their respective jurisdictions. All the States/ UTs have appointed Food Safety Commissioners, notified Adjudicating Officers, Designated Officers, and Food Safety Officers. The details of administrative set up in the States/UTs is as under:-

	A	dministrative Set	tup in States/	UTs under FS	S Act, 2006	i	
Sr. No.	Name of State	Commissioners of Food Safety (CFSc)	No. of Adjudicating Officers (AOs)	No. of Designated Officers (DOs)	No. of Food Safety Officers (FSO)	Steering Committee	Tribunal
1	Andaman & Nicobar Islands	1	3	3	18	Yes	Yes
2	Andhra Pradesh	1	13	17	34	Yes	No
3	Arunachal Pradesh	1	20	20	3	Yes	Yes
4	Assam	1	27	5	40	Yes	Yes
5	Bihar	1	36	9	14	No	No
6	Chandigarh	1	1	2	2	Yes	Yes
7	Chhattisgarh	1	27	27	10	No	Yes
8	Dadara & Nagar Haveli	1	1	1	1	No	No
9	Daman & Diu	1	2	2	3	Yes	Yes
10	Delhi	1	11	9	12	Yes	Yes



		1					
11	गोवा	1	2	2	11	नहीं	नहीं
12	गुजरात	1	33	32	210	नहीं	हाँ
13	हरियाणा	1	21	21	12	नहीं	हाँ
14	हिमाचल प्रदेश	1	10	13	9	हाँ	हाँ
15	जम्मू कश्मीर	1	22	25	87	हाँ	नहीं
16	झारखण्ड	1	24	24	202	हाँ	नहीं
17	कर्नाटक	1	30	36	68	नहीं	नहीं
18	केरल	1	19	14	66	हाँ	हाँ
19	लक्षद्वीप	1	1	1	15	नहीं	हाँ
20	मध्य प्रदेश	1	51	51	179	हाँ	हाँ
21	महाराष्ट्र	1	7	62	298	हाँ	हाँ
22	मणिपुर	1	9	9	9	हाँ	नहीं
23	मेघालय	1	7	3	7	हाँ	हाँ
24	मिजोरम	1	9	3	12	हाँ	नहीं
25	नागालैण्ड	1	11	11	11	हाँ	नहीं
26	ओड़िसा	1	34	37	26	हाँ	नहीं
27	पुडुचेरी	1	2	1	2	हाँ	नहीं
28	पंजाब	1	11	20	45	हाँ	हाँ
29	राजस्थान	1	48	42	87	हाँ	नहीं
30	सिक्किम	1	4	2	2	नहीं	नहीं
31	तमिलनाडु	1	32	32	503	हाँ	नहीं
32	तेलंगाना	1	10	15	20	हाँ	नहीं
33	त्रिपुरा	1	9	9	4	हाँ	हाँ
34	उत्तराखण्ड	1	13	13	30	हाँ	हाँ
35	उत्तर प्रदेश	1	75	38	229	हाँ	हाँ
36	पश्चिम बंगाल	1	19	19	43	हाँ	नहीं
	कुल	36	654	630	2324	26	10







11.2 एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्य की प्रयोगशालाओं को ही अधिसूचित प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना जारी रखा गया और जन विश्लेषक खाद्य विश्लेषक के तौर पर पदनामित हैं। राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये नमूना एवं परीक्षणों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:--

	वर्ष 2014—15 के लिये वार्षिक जन—प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट										
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की	नमूनों की संख्या जो	दर्ज मामल संख्या	ों की	दंड⁄जुम	र्गना की संख्या			
			संख्या	मिलावटी और गलत ब्राड के थे	आपराधिक	सिविल	दंड	जुर्माना / राशि			
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17	16	04	0	0	0	14 / 4,55,000 रू			
2	आन्ध्र प्रदेश	2788	2788	290	338	78	0	51,63,020 रू			
3	अरूणाचल प्रदेश	292	258	29	2	14	0	7			
4	असम	327	327	37	5⊣	-7	0	70,000 रू			
5	बिहार	1763	1320	7		16		5/38,000 रू			
6	चंडीगढ़	102	102	5	5			1,50,000 रू			
7	छत्तीसगढ़	133	133	27	14	41		16			
8	दादर एवं नगर हवेली	9	2	नमूनों क	ग विश्लेषण	ণুजराज रा	ज्य प्रयोगशाला	द्वारा किया जाता हैं।			
9	दमन एवं दीव	65	65	3		3		3/30,000 रू			
10	दिल्ली		1480	148							
11	गोवा	798	800	81	1	4	4;12द्ध	4,35,000 रू			
12	गुजरात	11981	11700	1243	37	465	30	178 / 56,13,500 रू			
13	हरियाणा	989	989	105	08	114	6	1500 रू			
14	हिमाचल प्रदेश	218	132	31	24	28	25	22,93,000 रू			
15	जम्मू एवं कश्मीर	1397	1211	236	8	195	133	11,08,300 ক			
16	झारखण्ड	389	232	51	22	3					
17	कर्नाटक	2154	2110	311	56			42			
18	केरल	3085	2735	464	41	161	0	280 / 72,39,700 रू			
19	लक्षद्वीप										



11.2 The State laboratories continue to act as the notified laboratories under FSS Act, 2006 and Public Analysts have been re-designated as Food Analysts. The details of sampling and testing by the state labs are as under:-

Annual Public Laboratory Testing Report for the year 2014-2015							
Name of the State/ U.T.		No. of Samples	Samples found	No. of Cases Launched		No. of Convictions/ Penalties	
	received	Analysed		Criminal	Civil	Convictions	Penalties/ Amount
A & N Islands	17	16	4	0	0	0	14/Rs.4,55,000
Andhra Pradesh	2788	2788	290	338	78	0	Rs.51,63,020
Arunachal Pradesh	292	258	29	2	14		7
Assam*	327	327	37	5.	+7	4	Rs. 70,000
Bihar	1763	1320	7		16		5/ Rs. 38,000
Chandigarh	102	102	5	5			Rs. 1,50,000
Chhattisgarh	133	133	27	14	41		16
Dadra & N.H	9	2	Sample	es are ana	lysed by	Gujarat Stat	te Laboratory
Daman & Diu	65	65	3		3		3/ Rs. 30,000
Delhi		1480	148				
Goa	798	800	81	1	4	4(12)	Rs. 4,35,000
Gujarat	11981	11700	1243	37	465	30	178/Rs. 56,13,500
Haryana*	989	989	105	08	114	6	Rs.1,500
Himachal Pradesh *	218	132	31	24	28	25	Rs. 22,93,000
Jammu & Kashmir*	1397	1211	236	8	195	133	Rs.11,08,300
Jharkhand*	389	232	51	22	3		
Karnataka	2154	2110	311	56			42
Kerala	3085	2735	464	41	161	0	280/ Rs.72,39,700
Lakshadweep							
	Name of the State/ U.T.         A & N Islands         Andhra Pradesh         Arunachal Pradesh         Arunachal Pradesh         Bihar         Chandigarh         Goa         Delhi         Dadra & N.H         Dadra & N.H         Goa         Haryana*         Jammu & Kashmir*         Jharkhand*         Karnataka	Name of the State/ U.T.Total No. samples seceivedA and N Islands17Andhra Pradesh2788Arunachal Pradesh292Assam*327Bihar102Chandigarh102Chantisgarh1133Dadra & N.H9Dadra & N.H9Dadra & N.H9Inanna & Diu65Delhi11981Goa798Haryana*989Jammu & Kashmir*1397Jharkhand*389Karnataka3085	Name of the State/ U.T.Total No. samplesNo. of samplesA & N Islands1716Andhra Pradesh27882788Arunachal Pradesh292258Assam*327327Bihar117631320Chandigarh102102Dadra & N.H92Dahan & Diu6565Delhi1193111700Goa798800Gujarat218411700Himachal Pradesh21841322Jammu & Kashmir13971211Jharkhand*389232Karnataka21542110Kerala30852735	Name of the State/ U.T.Total No. of samples received walveed samples halvsedNo. of samples halvsed samples halvsedNo. of samples samples halvsed samples sa	Name of the State/ U.T.Total No. of samples receivedNo. of samples halvsedNo. of samples halvsedNo. of Ca samples halvsedNo. of Ca samples halvsed halvsed halvsed haltsed haltsedNo. of Ca samples haltsed <br< td=""><td>Name of the State/ U.T.Total No. of samples receivedNo. of samples AnalysedNo. of samples found aulterated and duiterated duiterated<br< td=""><td>Name of the State/U.T.         Total No. of samples Analysed         No. of Samples Samples found aduiterated Misbranded         No. of Carret Launched         No. of Carret Launched           A &amp; N Islands         17         16         4         0         0         0           A &amp; N Islands         17         16         4         0         0         0           Andhra Pradesh         2788         2788         290         338         78         0           Arunachal Pradesh         292         258         290         338         78         0           Assam*         327         327         37         5         4         0         0         0           Ghandigarh         102         102         5         5         16         14         1           Dadra &amp; N.H         9         2         Samples         32         14         1           Dadra &amp; N.H         9         102         5         5         16         1         1           Dadra &amp; N.H         9         2         Samples         33         1         1         1         1           Goa         198         1480         148         141         1         1</td></br<></td></br<>	Name of the State/ U.T.Total No. of samples receivedNo. of samples AnalysedNo. of samples found aulterated and duiterated duiterated <br< td=""><td>Name of the State/U.T.         Total No. of samples Analysed         No. of Samples Samples found aduiterated Misbranded         No. of Carret Launched         No. of Carret Launched           A &amp; N Islands         17         16         4         0         0         0           A &amp; N Islands         17         16         4         0         0         0           Andhra Pradesh         2788         2788         290         338         78         0           Arunachal Pradesh         292         258         290         338         78         0           Assam*         327         327         37         5         4         0         0         0           Ghandigarh         102         102         5         5         16         14         1           Dadra &amp; N.H         9         2         Samples         32         14         1           Dadra &amp; N.H         9         102         5         5         16         1         1           Dadra &amp; N.H         9         2         Samples         33         1         1         1         1           Goa         198         1480         148         141         1         1</td></br<>	Name of the State/U.T.         Total No. of samples Analysed         No. of Samples Samples found aduiterated Misbranded         No. of Carret Launched         No. of Carret Launched           A & N Islands         17         16         4         0         0         0           A & N Islands         17         16         4         0         0         0           Andhra Pradesh         2788         2788         290         338         78         0           Arunachal Pradesh         292         258         290         338         78         0           Assam*         327         327         37         5         4         0         0         0           Ghandigarh         102         102         5         5         16         14         1           Dadra & N.H         9         2         Samples         32         14         1           Dadra & N.H         9         102         5         5         16         1         1           Dadra & N.H         9         2         Samples         33         1         1         1         1           Goa         198         1480         148         141         1         1





20	मध्य प्रदेश	9532	9131	1412	127	716	418	418/43,28,000 रू
21	महाराष्ट्र	8663	6985	1162	869	1426	75	1,65,41,499 रू
22	मणिपुर							
23	मेघालय	47	34	4	0	4	2	1/10,000 रू
24	मिजोरम							
25	नागालैण्ड	83	83	11	0	0	0	0
26	ओड़िसा	544	544	112	0	1		1
27	पुडुचेरी*	972	972	30		1		
28	पंजाब	8053	7860	1458	846		82	
29	राजस्थान*	3132	3031	747	158	222	116	8,45,500 रू
30	सिक्किम							
31	तमिलनाडु	2939	2873	1047	64	486	203	34,99,700 रू
32	तेलंगाना	393	357	37		87		51 / 17,57,100 रू
33	त्रिपुरा	933	933	2	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	14173	9605	4119	161	3489	186	1738 / 5,98,08,106 रू
35	उत्तराखण्ड	1971	1356	233	5	117	0	80 / 5,06,489 रू
36	पश्चिम बंगाल	120	120	65	0	17	0	1/30,000 रू
	योग	78,469	70,688	13,679	2,611	7,658	1,280	2836 / 10,99,23,414

नोट : राज्यों\* की वार्षिक रिर्पाटें प्राप्त नही हुई परन्तु आंकड़ों में अर्धवार्षिक रिपोर्टें शामिल हैं। पंजाब और गुजराज के साथ अद्यतित।

11.3 देश के 24 (चौबीस) राज्य खाद्य के साथ सकिय हो गये। इसके द्वारा कुल 86,086 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंस और 3,04,677 पंजीयनों को जारी किया गया। वर्ष 2014–15 में एफएलआरएस के तहत सक्रिय हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:--

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सक्रिय होने की तिथि
1	पंजाब	6 मार्च, 2014
2	कर्नाटक	6 मार्च, 2014
3	केरल	7 अप्रैल, 2014
4	अरूणाचल प्रदेश	6 मई, 2014
5	मेघालय	24 जून, 2014
6	असम	30 जून, 2014
7	तेलंगाना	25 जुलाई, 2014
8	मिजोरम	19 नवम्बर, 2014



	Total:	78469	70688	13679	2611	7658	1280	2836/ Rs.10,99,23,414
36.	West Bengal	120	120	65	0	17	0	1/Rs. 30,000
35.	Uttarakhand	1971	1356	233	5	117	0	80/ Rs.5,06,489
34.	Uttar Pradesh	14173	9605	4119	161	3489	186	1738/ Rs.5,98,08,106
33.	Tripura	933	933	2	0	0	0	0
32.	Telangana	393	357	37		87		51/ Rs.17,57,100
31.	Tamil Nadu	2939	2873	1047	64	486	203	Rs.34,99,700
30.	Sikkim							
29.	Rajasthan*	3132	3031	747	158	222	116	Rs. 8,45,500
28.	Punjab	8053	7860	1458	846		82	
27.	Puducherry*	972	972	30		1		
26.	Odisha	544	544	112	0	1		1
25.	Nagaland	83	83	11	0	0	0	0
24.	Mizoram							
23.	Meghalaya	47	34	4	0	4	2	1/ Rs.10,000
22.	Manipur							
21.	Maharashtra	8663	6985	1162	869	1426	75	Rs.1,65,41,499
20.	Madhya Pradesh	9532	9131	1412	127	716	418	418/ Rs. 43,28,000

Note: Annual Reports of the States\* not received but the data includes Half Yearly reports. Updated with Punjab and Gujarat.

11.3 Twenty four (24) States in the country had gone live for food licensing and registration system (FLRS). A total of 86,086 State/UT licenses and 3,04,677 registrations have been issued by State/UT Governments under the Act. The details of States/UTs gone live under FLRS in the year 2014-15 is given below-

Sr.No.	Name of the State/UT	GO-Live date
1.	Punjab	06 <sup>th</sup> March 2014
2.	Karnataka	06 <sup>th</sup> March 2014
3.	Kerala	07 <sup>th</sup> April, 2014
4.	Arunachal Pradesh	06 <sup>th</sup> May, 2014
5.	Meghalaya	24 <sup>th</sup> June, 2014
6.	Assam	30 <sup>th</sup> June, 2014
7.	Telangana	25 <sup>th</sup> July, 2014
8.	Mizoram	19 <sup>th</sup> Nov, 2014



11.4 वर्ष 2014–15 के दौरान लाइसेंसिंग और पंजीयन की सि	स्थिति नीचे की तालिका में दर्शायी गई है:—
---	---

कम सं.	राज्य का नाम	/ संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिग / जारी लाइसेन्सों की संख्या	जारी पंजीयनों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	453	5147
2	आन्ध्र प्रदेश	10,960	20,303
3	अरूणाचल प्रदेश	1,371	5,524
4	असम	3,748	1,598
5	बिहार	8,164	21,794
6	चंडीगढ़	2,873	989
7	छत्तीसगढ़	4,975	4,839
8	दादर एवं नगर हवेली	743	2,235
9	दमन एवं दीव	375	2,147
10	दिल्ली	9,772	7,439
11	गोवा	2,427	17,024
12	गुजरात	44,686	1,28,523
13	हरियाणा	6,568	14,405
14	हिमाचल प्रदेश	6,768	72,397
15	जम्मू कश्मीर	8,563	73,398
16	झारखण्ड	5,765	13,881
17	कर्नाटक	34,520	1,28,427
18	केरल	44,567	1,44,651
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	37,362	3,17,933
21	महाराष्ट्र	1,73,751	5,97,958
22	मणिपुर	394	2,350
23	मेघालय	1,531	2,864
24	मिजोरम	310	3,053
25	नागालैण्ड	422	2,355
26	ओड़िसा	8,180	9,395
27	पुडुचेरी	829	1,653



Statement on Licensing/ Registration in States/ UTs for the year 2014-15					
Sr. No.	Name of State	No. of Licenses Issued	No. of Registrations Issued		
1	Andaman & Nicobar Island	453	5,147		
2	Andhra Pradesh	10,960	20,303		
3	Arunachal Pradesh	1,371	5,524		
4	Assam	3,748	1598		
5	Bihar	8,164	21,794		
6	Chandigarh	2, 873	989		
7	Chhattisgarh	4, 975	4,839		
8	Dadara & Nagar Haveli	743	2,235		
9	Daman & Diu	375	2147		
10	Delhi	9,772	7,439		
11	Goa	2,427	17,024		
12	Gujarat	44,686	1,28,523		
13	Haryana	6,568	14,405		
14	Himachal Pradesh	6,768	72,397		
15	Jammu & Kashmir	8,563	73,398		
16	Jharkhand	5,765	13, 881		
17	Karnataka	34,520	1,28,427		
18	Kerala	44,567	1,44,651		
19	Lakshadweep	0	0		
20	Madhya Pradesh	37,362	3,17,933		
21	Maharashtra	1, 73751	5,97,958		
22	Manipur	394	2, 350		
23	Meghalaya	1,531	2,864		
24	Mizoram	310	3,053		
25	Nagaland	422	2355		
26	Odisha	8,180	9395		
27	Puducherry	829	1,653		

11.4 The status of licensing and registration during 2014-15 is given in the following table:



28	पंजाब	13,335	90,370
29	राजस्थान	28,482	86,276
30	सिविकम	1,343	4,510
31	तमिलनाडु	28,481	1,59,710
32	तेलेगांना	1,627	1,653
33	त्रिपुरा	1,161	3,848
34	उत्तराखण्ड	6,121	51,522
35	उत्तर प्रदेश	41,509	3,39,344
36	पश्चिम बंगाल	14,977	38,567
	कुल	5,52,113	23,78,082

- 11.5 वर्ष 2014–15 के दौरान प्रवर्तन प्रभाग द्वारा जारी परामर्शिकाएं/आदेश/अधिसूचनाएं
- (i) दूध और दुग्ध उत्पादों की लाइसेंसिंग

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पत्रांक 9–2/2009/एमएमपीओ/एफएसएसएआई दिनांक 4.7.2012 द्वारा दिये गये अनुदेश को अधि क्रिमित कर यह सूचित किया गया कि दूध और दुग्ध उत्पादों की लाइसेंसिंग अपने अपने क्षेत्र के अभिहित अधिकारियों द्वारा दी जायेगी (आदेश संख्या 2(1) सीएसी/प्रवर्तन 11/2013/एफएसएसएआई–पार्ट 1 दिनांक 20.06.2014)

(ii) निरस्त आदेश के अन्तर्गत मौजूद लाइसेंस/पंजीयन के परिवर्तन/नवीकरण के आकांक्षी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए समय सीमा का 4 फरवरी 2015 तक का विस्तारण

> भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग तथा पंजीयन) विनियम, 2011 के उप–विनियम 2.1.2 के तहत निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 04.02.2015 कर दिया गया। (1/1/प्रवर्तन–1/ एफएसएसएआई/ 2012 (पीटी) दिनांक 04.08.2014).

(iii) गजट अधिसूचना संख्या पी 15014/1/2011– पीएफए/एफएसएसएआई दिनांक 27.06.2013 की अपेक्षाओं के पालन हेतु 17 दिसम्बर, 2014 की समय अवधि का विस्तारण

> गज़ट अधिसूचना संख्या पी 15014 / 1 / 2011—पीएफए / एफएसएसएआई दिनांक 27.06.2013 के प्रावधानों के

अनुपालन हेतु खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रदत्त समय अवधि को बढ़ाकर 31.12.2015 कर दिया गया (आदेश संख्या पी.15014/1/2011–पीएफए/ एफएसएसएआई (पार्ट–।) दिनांक 17.12.2014).

(iv) पैकेजों पर लाइसेंस संख्या और प्रतीक चिहन (लोगो) को दर्शाने सम्बन्धी आदेश

> यदि भविष्य में कोई नयी भौगोलिक (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / जिला) इकाई बनती है जिससे लाइसेंस को परिवर्तित करना आवश्यक हो जाए अथवा कोर्ट का निर्देश हो तो इन निर्णयों से प्रभावित खाद्य व्यवसाय संचालकों को नये लाइसेंस जारी किए जाऐंगे और ऐसे सभी मामलों में खाद्य व्यवसाय संचालकों को वर्ष के 31 दिसम्बर तक पूर्व लाइसेंस संख्या के साथ विद्यमान पैकेजों के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की जायेगी जो 180 दिनों से अधिक की न होगी। (आदेश 1(85) / 2014 / तेलंगाना / एफएसएसएआई) दिनांक 07.01.2015)

(v) डेरी क्षेत्र के खाद्य व्यवसाय संचालकों के सम्बन्ध
 में 14 जनवरी 2015 का आदेश

खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिये लाइसेंस और पंजीयन (आदेश: 04–05/2012/प्रवर्तन–1/एफएसएसएआई दिनांक 14.01.2015)

(vi) निर्यातक खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए लाइसेंस प्रदान करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 21.01.2015

> लागू विनियमों के अन्तर्गत निर्यातक खाद्य व्यवसाय संचालकों की एक विशिष्ट श्रेणी का सृजन करना और



28	Punjab	13,335	90,370
29	Rajasthan	28,482	86,276
30	Sikkim	1343	4,510
31	Tamil Nadu	28,481	1,59,710
32	Telengana	1, 627	1653
33	Tripura	1,161	3, 848
34	Uttarakhand	6121	51,522
35	Uttar Pradesh	41,509	3,39,344
36	West Bengal	14,977	38,567
	Total	5,52,113	23,78,082

- 11.5 Advisories/ Orders/ Notifications issued by the Enforcement Division during the year 2014-15:
- (i) Issue of Licensing of Milk and Milk Products

In suppression to the communication issued earlier vide letter dated 9-2/2009/MMPO/ FSSAI dated 04.07.2012 to the Commissioners of Food Safety of all the States/UTs, the license of milk and milk products will be issued by the respective Designated Officers under their Jurisdiction (Order no. 2(1)CAC/Enf II/2013/ FSSAI- Part- 1 dated 20.06.2014)

 Extension of time-line for the FBOs seeking conversion/ renewal of existing license/ registration under repealed orders upto 4<sup>th</sup> February, 2015

> Timelines prescribed under sub-regulation 2.1.2 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011 was extended upto 04.02.2015 (1/1/Enf-1/FSSAI/ 2012(pt.) dated 04.08.2014)

(iii) Extension of time period dated 17<sup>th</sup>December 2014 for complying with the requirements under the Gazette Notification No. P 15014/ 1/2011-PFA/ FSSAI dated 27.06.2013

Time period granted to FBO for complying with the provisions of the Gazette Notification

No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI dated 27.06.2013 is extended upto 31.12.2015 (Order No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI (Pt.-II) dated 17.12.2014)

#### (iv) Order regarding Display of License Number and Logo on the packages

In case a new geographic entity (States/UT/ District) is created in future necessitating the change in license, or on Court directives, new licenses shall be issued to the FBOs affected by such decision and that in all such cases the FBOs shall be allowed to use their existing packaging material with the previous license number until the 31<sup>st</sup> December of the year, subject to a minimum of 180 days. (Order 1 (85)/2014/Telangana/FSSAI dated 07.01.2015)

 (v) Order dated 14<sup>th</sup> January 2015 regarding Licensing and Registration of Food Business Operators in Diary Sector

> Licensing and Registration of Food Business Operators in Dairy sectors (Order 04-05/2012/ Enf-I/FSSAI dated 14.01.2015)

#### (vi) Order dated 21.01.2015 regarding Grant of License for Exporting FBOs

Creation of separate distinct category of "Exporting FBOs" for grant of Licenses under





बगैर निर्धारित भारतीय मानक के अनुरूपता प्रमाण प्रत्र जमा करने अथवा ऐसे उत्पाद निर्माताओं से उत्पाद अनुमोदन के लिए आग्रह करना जो 100% निर्यात के उद्देश्य से है। (आदेश 1-351/एफएसएसएआई/ निर्यात/2013 दिनांक 21.01.2015)

(vii) खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ एस एस) के अधीन लाईसेंसिंग/पंजीकरण विनियम के अंतर्गत स्वतंत्र खाद्य व्यवसाय संचालक के रूप में पंजीकरण प्राप्त सहकारी समितियों के वे सदस्य जो खाद्य व्यवसाय संचालक कें रूप में कार्यरत है को छूट देने संबंधी दिनांक 21 जनवरी 2015 का आदेश।

> खाद्य व्यवसाय संचालक के रूप में पंजीकृत सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य के पंजीकरण से छूट को एफएसएस अधिनियम, 2006 के अधीन स्वतंत्र एफबीओ के रूप में सभी सहकारी समितियों के पंजीकृत सदस्यों के लिये बढाया गया है। (आदेश 03–01/2012/ प्रवर्तन ।/ एफएसएसएआई दिनांक 21.01.2015)

(viii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायी के लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के लिये लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने के लिये 4 अगस्त 2015 तक समय का विस्तार से सम्बन्धित आदेश दिनांक 04.02.2015.

> खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायी के लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के लिये लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने की अवधि को 4 अगस्त 2015 तक बढ़ाई गई है। (आदेश 1/1/प्रवर्तन–।/एफएसएसएआई/2012 पार्ट दिनांक 04.02.2015)

ix. लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर के निरीक्षण के सम्बन्ध में 12 फरवरी 2015 का कार्यालय ज्ञापन

> लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर निरीक्षण को हटा दिया गया है। (आदेश। (5)/प्रवर्तन–। एफएसएसएआई/2012 दिनांक 12.02.2015).

x. एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 36 के अधीन केन्द्रीय लाइसेंसिंग के लिए एफएसएसएआई के नामोद्दिश्ट अधिकारियों की अधिसूचना से संबंधित आदेश दिनांक 16.02.2015.

> एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 36 के अधीन केन्द्रीय लाइसेंसिंग के लिए एफएसएसएआई के नामोदिष्ट अधिकारियों की अधिसूचना (आदेश 09–01/ प्रवर्तन–।/2012/एफएसएसएआई (भाग–2) दिनांक 16.02.2015)

Xi. 1–62 / एफएसएसए / 2014–डी एफ क्यू सी द्वारा 12. 03.2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एफएसएस (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कार्य संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) विनियम में संशोधन की राजपत्र अधिसूचना

> "खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ता, प्रासंगिक अनुसंधान निकायों तथा संबंधित विशेषज्ञता वाली प्रयोगशालाओं से सदस्यों की नियुक्ति उनके नियोजन की तारीख से तीन वर्ष के लिए की जाएगी और वे आगे के तीन वर्षों के लिए नियुक्त होने के पात्र होंगे।"

xii. खाद्य व्यवसायों के लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण में शपथ–पत्रों को स्वघोषणा प्रणाली से प्रतिस्थापना को शामिल करनाः

> लइसेंसिंग तथा पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली नोटरीकृत शपथ पत्रों को स्वघोषित वचनबंध की प्रणाली से प्रतिस्थापित करना अपेक्षित हैं। (आदेश सं. 1(56)2012 / परामर्शिका / एफएसएसएआई दिनांक 26 मार्च, 2015)



the applicable regulations, without requiring submission of a certificate of conformity to the prescribed Indian Standards or insisting on Product Approval from such manufacturers qua such products meant for 100% Exports. (Order 1-351/ FSSAI/ Imports/ 2013 dated 21.01.2015)

(vii) Order dated 21<sup>st</sup> January 2015 regarding exemption for members of Cooperative Societies, acting as Food Business Operators (FBOs) [Licensed/ Registered] from registration as independent FBOs under Licensing/ Registration regulation under Food Safety and Standards (FSS)

> Exemption from registration of individual members of the Registered Cooperatives as FBOs has been extended to the registered members of all the Cooperative Societies registered under the Cooperative Societies Act from Registration as independent FBOs under the FSS Act, 2006. (Order 03-01/ 2012/ Enf-I/ FSSAI dated 21.01.2015)

(viii) Order dated 04<sup>th</sup> February 2015 regarding Extension of time for Food Business Operators to obtain licenses/ registration under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 upto 04<sup>th</sup> August 2015

> Extension has been granted up to 04<sup>th</sup> August, 2015 to Food Business Operators to obtain licenses/ registration under the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011. (Order 1/1/Enf-I/ FSSAI/ 2012 Pt. dated 04.02.2015)

(ix) Office Memorandum dated 12<sup>th</sup> February 2015 regarding Inspection of premises before issue of license.

The inspection of premises before issuance of license has been waived off. (Oder 1(5)/ Enf-I/FSSAI/2012 dated 12.02.2015)

- (x) Order dated 16.02.2015 regarding Notification of FSSAI's Designated Officers for Central Licensing under Section 36 of FSS Act, 2006
- Notification of FSSAI's Designated Officers for Central Licensing under Section 36 of FSS Act, 2006. (Order 09-01/Enf-I/2012/FSSAI (Pt-2) dated 16.02.2015)
- (xi) Gazette notification of the amendment in the FSS (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2011 published in Gazette of India vide 1-62/ FSSA/2014-DFQC on 12.03.2015.

"The members from the food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories with relevant expertise shall be appointed by the Food Authority for a period of three years from the date of their appointment and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years".

(xii) Introduction of Self declaration system to substitute affidavits in the Licensing and Registration of food businesses

> Notarized Affidavits required to be submitted along with the application for licensing and registration substituted by a system of Self declared Undertakings (Order No. 1(56)2012/ Advisory/ FSSAI dated 26<sup>th</sup> March, 2015).



# निगरानी गतिविधियाँ

- 12.1. 7 मार्च 2014 को संपन्न केन्द्रीय सलाहकार समिति की 11वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसार असम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को लेकर एक कार्य समूह का गठन 26 मार्च 2014 को किया गया ताकि एसओपी और निगरानी के एक संरचित कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके।
- 12.2. एसओपी सहित निगरानी गतिविधियों के लिए संरचित कार्यक्रम के सुझाव हेतु कार्य समूह की पहली बैठक 9 अप्रैल, 2014 को हुई। कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 जुलाई, 2014 को निगरानी हेतु एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए हुई। निगरानी प्रभाग ने शीर्ष खाद्य सामग्री उत्पादक राज्यों, बड़ी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता, खाद्य आदत, जोखिम कारक, राज्यों में कीटनाशकों तथा उर्वरकों की खपत, खपत पैटर्न,

जलवायु स्थिति, राज्य की विशिष्ट खाद्य सामग्री कोई सां स्कृतिक उत्सव / अवसर सहित विविध प्राचलों / मानदंडो को ध्यान में रखकर निगरानी कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास उन्हें प्रेषित कैलेंडर अनुसार निगरानी गतिविधियाँ चलाने के लिए भेज दिया गया।

- 12.3. राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने अपने–अपने राज्यों में मौसमी फलों और सब्जियों, डेरी उत्पादों, चिकेन में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल सम्बन्धी खाद्य सुरक्षा निगरानी करने तथा मौसमी और उत्सवी खाद्य पदार्थों की निगरानी करने का अनुदेश दिया।
- 12.4. अभिहित अधिकारियों ने अपने—अपने क्षेत्रों में व्यवहार हो रहे विभिन्न ब्रांडों के वसा, तेल तथा वसा इम्लशनों के लिए सक्रिय रूप से निगरानी रखने का अनुदेश दिया।

# <u> Íssaí</u>

# **Surveillance Activities**

- 12.1 As per recommendations of the CAC in its 11<sup>th</sup> meeting held on 7<sup>th</sup> March, 2014, a working group comprising Food Safety Commissioners of Assam, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu and UP was constituted on 26<sup>th</sup> March, 2014 to finalize SOP and a structured program of surveillance.
- 12.2 The first meeting of the Working Group was held on 9<sup>th</sup> April, 2014 for suggesting a structured program of Surveillance activities including SOPs. The second meeting of working group was held on 4<sup>th</sup> July, 2014 for the finalization of SOPs for Surveillance. Draft Surveillance plan was prepared by the Surveillance Division taking into account various parameters/ criteria, including top food commodities producing States, availability of

major food items, food habits, risk factors, consumption of pesticides and fertilizers in States, consumption pattern, climatic conditions, State specific food item/any cultural festival/occasion and circulated to all the Food Safety Commissioners of States/UTs to conduct surveillance activities as per calendar issued in their States.

- 12.3 States FSCs instructed to conduct Food Safety Surveillance of seasonal fruits and vegetables, dairy products, use of antibiotics in chicken, surveillance of seasonal and festive food commodities in their respective States.
- 12.4 Designated Officers instructed to conduct active Surveillance of Fats, Oils and Fats Emulsions of various brands used as food in their respective regions.



# गुणवत्ता आश्वासन (प्रयोगशालाएं, प्रतिचयन एवं विश्लेषण)

- 13.1 राज्य / जन प्रयोगशालाओं के आधार पर मूल्यांकन से संबंधित अलग–अलग प्रयोगशाला रिपोर्टें, राज्य रिपोर्टें, और राष्ट्रीय रिपोर्टें का संकलन तीन सदस्यों से बनी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्टें अलगदृअलग प्रयोगशाला कार्मिकों को 13.08. 2014 को भेजी गयी और राज्य रिपोर्टें सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को 26.08.2014 को भेजी गयी और इसके बाद राष्ट्रीय रिपोर्टें पुनः सक्षम प्राधिकारी, एफ एस एस ए आई के समक्ष रखी गईं।
- 13.2 धारा 43(1) के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन खाद्य विश्लेषकों द्वारा सैंपलों के विश्लेषण के प्रयोजन हेतु खाद्य प्राधिकरण परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों को अधिसूचित करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों के विश्लेषक प्रयोजन हेतु किसी अन्य प्रत्यायन एजेंसी को अधिसूचित करेगा। खाद्य प्राधिकरण ने पिछले वर्ष अधिसूचित की गई 68 प्रयोगशाला की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल 82 एन ए बी एल प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाओं को अधिसूचित की।
- 13.3 एफ एस एस अधिनियम, 2006 की धारा 43 की उप धारा (2) के अनुसार इस अधिनियम अथवा इसके अधीन किसी नियम एवं विनियम द्वारा अभिनिर्देशित खाद्य प्रयोशालाओं को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने हेतु खाद्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा एक या इससे अधिक खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा अथवा मान्यता प्रदान करेगा। इस संबंध में एफ एस एस ए आई द्वारा कुल 12 अभिनिर्देशित प्रयोगशालाएँ राजपत्र में अधिसूचित की जा चुकी है।

- 13.4 नई दिल्ली में एक दिवसीय अंत्रक्रिया बैठक का आयोजन किया गया जिसमें एफ एस एस ए आई द्वारा अधिसूचित एन ए बी एल प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला विशेषज्ञ राज्य/जन खाद्य प्रयोगशालाओं के खाद्य विशेषज्ञ तथा उपकरण विक्रेता शामिल थे ताकि अति आधुनिक गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु घटकों पर चर्चा की जा सके। एक आदर्श अवसंरचना को अंतिम रूप दिया गया।
- 13.5 दिल्ली के बाज़ारों में जागरूकता और नियामक को प्रारम्भ करने के लिए एफ एस एस ए आई के सशक्त प्रयास के प्रस्ताव पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिल्ली के जी एन सी टी की साझेदारी से दिल्ली में एन ए बी एल प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं ने खाद्य उत्पाद श्रेणियों अर्थात दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्य वसा एवं तेल, पैक किया हुआ पेय जल, पोर्टेबल/पेय जल तथा फल एवं सब्जियों के लिए कार्य आरंभ किया।
- 13.6 सभी मानकीकृत खाद्य उत्पाद श्रेणियों के विश्लेषण के लिए, परीक्षण पैरामीटरों को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य वैज्ञानिक तकनीकी विशेषज्ञों को सौंपा गया और यह पूरा होने की अंतिम अवस्था में है।
- 13.7 दूसरी खाद्य विश्लेषक परीक्षा 2014 का आयोजन किया गया और परिणाम घोषित किए गए।
- 13.8 खाद्य विश्लेषण पद्धति के अंतिम मसौदे के पंद्रह मैनुअल जनता की टिप्पणी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए और ये अब संकलन की प्रक्रिया में हैं।

# <u>Jssai</u>

# Quality Assurance (Laboratories, Sampling and Analysis)

- 13.1 The individual lab reports, State Reports and National Report related to the baseline assessment of the State/ Public Laboratories have been compiled by the three-member expert committee. The lab reports were sent to the individual labs personnel on 13.08.2014 and the State reports were sent to all Food Safety Commissioners on 26.08.2014. The National Report was further put-up to the Competent Authority, FSSAI.
- 13.2 As per Sec 43 (1), the Food Authority may notify food laboratories and research institutions accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or any other accreditation agency for the purpose of carrying out analysis of samples by Food analysts under this act. The Food Authority notified a total of 82 NABL accredited Private laboratories during the year as against 68 notified labs earlier.
- 13.3 As per sub-section (2) of section 43 of FSS Act, 2006, the Food Authority shall, establish or recognize by notification, one or more referral food laboratory or laboratories to carry out the functions entrusted to the referral food laboratory by this Act or any rules and regulations made thereunder. A total of 12 referral laboratories have been notified in gazette by FSSAI in this behalf.

- 13.4 A one day inter-active meeting, involving the FSSAI notified NABL Accredited Food Testing laboratories, experts, food analysts from State/ Public Food Laboratory & equipment vendors was held at FSSAI HQ., New Delhi to discuss the components for establishing state-of-theart quality testing facilities and a model structure was finalized.
- 13.5 Initiated the work on the proposal of FSSAI to launch an awareness and regulatory drive in the markets of Delhi in partnership with the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, G.N.C.T. of Delhi and NABL accredited food testing laboratories in Delhi for the food product categories namely Milk & Milk Products, Edible Fats & Oils, Packaged Drinking Water, Potable/ Drinking Water and Fruits & Vegetables.
- 13.6 The work relating to finalization of testing parameters for the analysis of all Standardised food product categories was allotted to a scientific/ technical experts and the same is at the final stage of completion.
- 13.7 2<sup>nd</sup> Food Analyst Exam 2014 was conducted and results were announced.
- 13.8 Final draft fifteen manuals of Methods of Analysis of Food were put up for public comments and the same are in the process of compilation.



# कोडेक्स गतिविधियां :

- 14.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) में भारत का कोडेक्स कांटैक्ट पाइण्ट अर्थात राष्ट्रीय कोडेक्स कांटैक्ट पाइण्ट (एन सी सी पी) स्थापित किया गया है। कोडेक्स खाद्य पदार्थो (एलीमेंटरिअस) से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्येक देश की एन सी सी पी कोडेक्स सचिवालय के साथ मिलकर कार्य करता है।
- 14.2 कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन के अधीन कुल 22 सक्रिय कोडेक्स समितियां हैं जो विभिन्न विषयों पर कार्य का रही हैं। प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में एक बार अथवा प्रकृति और कार्य भार के आधार पर 18/24 माह में एक बार होती है।
- 14.3 कोडेक्स एलीमेंटेरियस संरचना में पदानुक्रम निम्नलिखित हैः
  - कोडेक्स एलीमैंटेरियस कमीशन (सी ए सी)
  - कोडेक्स एलीमैंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति (सी सी ई एक्स ई सी)
  - III. कोडेक्स एलीमैंटेरियस समिति के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न समितियां हैं;
- (क) सामान्य विषय समिति
  - खाद्य पदार्थों में संदूषकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी सी एफ)
  - (ii) खाद्य योजकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एफ ए)
  - (iii) खाद्य स्वास्थ्यकारिता से संबंधित कोडेक्स समिति
     (सी सी एफ एच)

- iv. खाद्य आयात और निर्यात तथा प्रमाणन प्रणालियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एफ आई एस)
- v. खाद्य लेबल लगाने से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एफ एल)
- vi. सामान्य सिद्धांतों से संबंधित कोडेक्स समिति
- vii. विश्लेषण तथा प्रतिचयन विधिय से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एम ए एस )
- viii. विशेष भोजन विषयक इस्तेमाल के लिए पोषण तथा आहार से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एन एफ एस डी यू)
- ix. पीड़कनाशी अवशिष्ट से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी पी आर)
- x. खाद्य पदर्थों में पशु औषध के अवशिष्ट से संबंधित समिति (सी सी आर वी डी वी)

(ख) वस्तु समितियां :

- (i) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों पर कोडेक्स समिति (सी सी एम एम जी)
- (ii) ताजे फलों एवं सब्जियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एल एल वी)
- (iii) वसा एवं तेल संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एफ एफ वी)
- (iv) संसाधित फलों एवं सब्जियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी सी एफ वी)



- 14.1 The Codex Contact Point of India, i.e., National Codex Contact Point (NCCP) is set up at the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The NCCP of every Country coordinates with the Codex Secretariat for all the matters related to Codex Alimentarius.
- 14.2 There are a total of 22 active Codex Committees under Codex Alimentarius Commission working on various subjects. Each Committee meets once in a year or once in 18/24 Months depending upon its nature and work load.
- 14.3 The hierarchy in the Codex Alimentarius Structure is as follows:
  - I. Codex Alimentarius Commission (CAC)
  - II. Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEXEC)
  - III. The various Committees working under Codex Alimentarius Commission are:

#### A. General Subject Committees:

- (i) Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)
- (ii) Codex Committee on Food Additives (CCFA)
- (iii) Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)

# **Codex Activities:**

- (iv) Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS)
- (v) Codex Committee on Food Labelling (CCFL)
- (vi) Codex Committee on General Principles (CCGP)
- (vii) Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)
- (viii) Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)
- (ix) Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)
- (x) Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in foods (CCRVDF)

#### B. Commodity Committees:

- (i) Codex Committee on Milk and Milk Products (CCMMP)
- (ii) Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)
- (iii) Codex Committee on Fats and Oils (CCFO)
- (iv) Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables (CCPFV)





- (v) शर्करा संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एस) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा)
- (vi) मसालों एवं भोजन पकाने संबंधी जड़ी–बूटी संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एस सी एच)
- (ग) एफ ए ओ/डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समितियां
  - (i) अफ्रीका के लिए एफ ए ओ/डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी अफ्रीका)
  - (ii) एशिया के लिए एफ ए ओ/डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी एशिया)
  - (iii) यूरोप के लिए एफ ए ओ∕डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी यूरो)
  - (iv) लैटिन अमरीका एवं कैरीबियन के लिए एफ ए ओ/डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी एल एसी)
  - (v) उतरी अमरीका एवं दक्षिण पश्चिम प्रशांत के लिए एफ ए ओ/डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी एन ए एस डब्लयु जी)
  - (vi) नियर ईस्ट के लिए एफ ए ओ/डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी एन ई ए)
- 14.4 प्रत्येक कोडेक्स समिति के लिए एक समानान्तर शेडो समिति गठित की गई है जो विशेष कोडेक्स समिति के लिए कार्य करती है। प्रत्येक समिति के लिए विभिन्न हितधारक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और पशु पालन, डेयरी व मत्स्य पालन, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय उद्योग संघ जैसे उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक होते हैं।
- 14.5 विभिन्न आभासी (शेडो) समितियों की सूची तथा उन समितियों के प्रभारी मंत्रालय निम्नलिखित हैं:
  - मुख्य मुद्दे से संबंधित आभासी (शेडो) समिति एफ एस एस ए आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  - (ii) प्रसंस्कृत फल उत्पादों, खाद्य योजकों तथा खाद्य पदार्थो में संदूषकों से संबंधित आभासी समिति–एफ एस एस ए आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- (iii) खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान (सी सी एफ एच) से संबंधित आभासी समिति एफ एस एस एस ए आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- (iv) वसा तथा तेल, शर्करा तथा अनाज, दाल एवं फलों से संबंधित आभासी समिति–एफ एस एस एस ए आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- (v) खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण तथा प्रमाणन प्रणालियों से संबंधित आभासी समिति–एफ एस एस एस ए आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- (vi) विश्लेषण तथा प्रतिचयन विधियों (सी सी एम ए एस) से संबंधित आभासी समिति–एफ एस एस एस ए आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- (vii) विशेष आहार प्रयोगों हेतु पोषण तथा खाद्यों (सी सी एन एफ एस डी यू) से संबंधित आभासी समिति–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- (viii) खाद्य पदार्थो में पीड़कनाशी तथा पशु औषध के अवशिष्ट से संबंधित आभासी समिति–कृषि मंत्रालय
- (ix) मत्स्य और मत्स्यिकी के उत्पादों से संबंधित आभासी समिति (सी सी एफ एफ पी)—कृषि मंत्रालय (पशु पालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग)
- (x) ताजे फलों तथा सब्जियों से संबंधित आभासी समिति (सी सी एफ एफ वी) – कृषि मंत्रालय
- (xi) मसाले तथा खाद्य जड़ी–बूटियों से संबंधित आभासी समिति (सी सी एस सी एच)–कृषि मंत्रालय
- 14.6 शेष निष्क्रिय कोडेक्स समितियों की देखभाल भी एफ एस एस ए आई द्वारा की जाती है।
- 14.7 विभिन्न समितियों की बैठक में सहभागिता और समय पर टिप्पणियों की प्रस्तुति खाद्य प्राधिकरण और संबंधित मंत्रालयों, विभागों और हितधारकों ने इस अवधि में आयोजित निम्नांकित कोडेक्स समित की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया



- (v) Codex Committee on Sugars (CCS) (By electronic means)
- (vi) Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

C. FAO/WHO Coordinating Committees

- (i) FAO/WHO Coordinating Committee for Africa (CCAFRICA)
- (ii) FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA)
- (iii) FAO/WHO Coordinating Committee for Europe (CCEURO)
- (iv) FAO/WHO Coordinating Committee for Latin America and the Caribbean (CCLAC)
- (v) FAO/WHO Coordinating Committee for North America and South West Pacific (CCNASWP)
- (vi) FAO/WHO Coordinating Committee for Near East (CCNEA)
- 14.4 For each Codex Committee, a parallel Shadow Committee has been constituted that works for that particular Codex Committee. The various stakeholders for each committee are representatives from different ministries like Ministry of Health and family Welfare, Ministry of Commerce, Women and Child Development, Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing Industries and Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, representatives from educational institutions, representatives from Industry Associations like Confederation of Indian Industry and FICCI and experts/scientists from concerned areas.
- 14.5 The list of various Shadow Committees and the Ministry in-charge of that committee is as follows:
  - (i) Shadow Committee on Core Issues FSSAI, MoHFW
  - Shadow Committee on Processed Fruits Products, Food Additives & Contaminants in foods –FSSAI, MOHFW

- (iii) Shadow Committee on Food Hygiene(CCFH) FSSAI, MoHFW
- (iv) Shadow Committee on Fats & Oils, Sugar and Cereals, Pulses & Legumes –FSSAI, MOHFW
- (v) Shadow Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) – Ministry of Commerce (MoC)
- (vi) Shadow Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) – FSSAI, MOHFW
- (vii) Shadow Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses
   (CCNFSDU) – Ministry of Women and Child Development (MWCD)
- (viii) Shadow Committee on residues of Pesticides & Veterinary Drugs in Foods -Ministry of Agriculture
- (ix) Shadow Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP) - Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)
- (x) Shadow Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV) – Ministry of Agriculture
- (xi) Shadow Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) – Ministry of Agriculture
- 14.6 The remaining dormant Codex Committees are also looked after by FSSAI.
- 14.7 Participation in various committee meetings and submission of comments on time

The Food Authority and the concerned Ministries/Departments and other stakeholders have actively participated in the following Codex Committee Meetings held during the period:


<u>Íssaí</u>

क्रम सं	कोडेक्स समिति	दिनांक
1.	खाद्य पदार्थों में संदूषकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी सी एफ) का 8वां सत्र	हेग, नीदरलैंड में 31 मार्च, 2014 से 4 अप्रैल, 2014
2.	सामान्य सिद्धांतों से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी जी पी) का 28वां सत्र	पेरिस, फ्रांस में 7 से 11 अप्रैल, 2014
3.	पीड़कनाशी अवशिष्ट से संबंधित कोडेक्स एलीमेंटेरियस (सी ए सी) का 46वां सत्र	नांजिंग चीन में 5 से 10 मई 2014
4.	कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन (सी ए सी) का 37वां सत्र	जेनेवा स्विट्जरलैंड में 14 से 18 जुलाई 2014
5.	खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण तथा प्रमाणन प्रणालियों (सी सी एफ आई सी एस) से संबंधित कोडेक्स समिति का 21वां सत्र	ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में 13 से 17 अक्तूबर, 2014
6.	खाद्य लेबलिंग से संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एफ एस) का 42वां सत्र	रोम, इटली में 21 से 24 अक्तूबर, 2014
7.	एशिया के लिए एफ ए ओ⁄डब्ल्यू एच ओ समन्वयन समिति का 19वां सत्र	टोकियो, जापान में 3 से 7 नवंबर, 2014





सी सी जी पी के 28 वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल







Indian Delegates at the 28th Session of CCGP







सी सी एफ आई सी एस के 21 वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल

#### 14.8 नए कार्य प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

भारत ने संगत कोडेक्स समितियों में निम्नलिखित मदों से संबंधित दो नए कार्य प्रस्ताव को प्रस्तूत किए हैं :

- खाद्य लेबलिंग संबंधित कोडेक्स समिति (सी सी एफ एस) में गैर खुदरा कंटेनर के लिए लेबलिंग मानक
- मसालों में एफ्लेटोक्सिन (सी सी सी एफ) के लिए अधिकतम स्तरों की स्थापना

#### 14.9 ई डब्लु जी में सहभागिता

भारत ने कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहो (ई डब्लु जी) में सहभागिता की और ई डब्लुजी में महत्वपूर्ण टिप्पणियां प्रस्तुत की गई और भारत 8 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों का अग्रणी था।

#### 14.10 भारत में कार्यशालाएं

कोडेक्स दायरे में अधिक हितधारकों को शामिल करने के प्रयास में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिन्दु के रूप में कोडेक्स एलीमेंटेरियसः सिद्धांत एवं प्रक्रिया विषयवस्तु से संबंधित श्रेणियों में तीसरी कार्यशाला का आयोजन किया।

- (क) पहली कार्यशाला 2 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और
- (ख) दूसरी कार्यशाला 3 अक्तूबर, 2013 को कोच्चि,
   केरल में आयोजित की गई और
- (ग) तीसरी का आयोजन 12 सितंबर, 2014 को रासायनिक प्रोद्योगिकी संस्थान (आई सी टी) मुंबई, के सहयोग से मुंबई प्रोद्योगिकी में आयोजित की गई।

कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत में कोडेक्स संबंधी क्रिया—कलापों में हितधारकों की प्रभावी भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके बीच कोडेक्स एलीमेंटरियस और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। कोडेक्स एलीमेंटेरियस में शिक्षा विदों (संस्थानों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों) से प्राप्त सूचना कोडेक्स समिति में देश की स्थिति तय करने या नए कार्य का प्रस्ताव करने में काफी उपयोगी हो सकती है। इस प्रकार एन सी सी पी भारत ने सभी हितधारकों (सरकारी अधिकारियों, उद्योग कर्मी तथा शिक्षाविदों) के साथ परस्पर बातचीत करने की आवश्यकता महसूस की।





Indian Delegates at the 21<sup>st</sup> Session of CCFICS

#### 14.8 Submission of new work proposals

India has submitted two new work proposals on the following items in the respective Codex Committees:

- 1. Labelling Standards for Non-Retail Containers in Codex Committee on Food Labelling (CCFL)
- 2. Establishment of Maximum Levels for Aflatoxins in Spices (CCCF)

#### 14.9 Participation in EWGs

India has participated in total 38 electronic working groups (ewgs) and significant comments were submitted in the ewgs. India was also the leader of 8 ewgs.

#### 14.10 Workshops in the country

In an effort to bring in more stakeholders into the Codex fold, FSSAI as the National Codex Contact Point conducted the third workshop in the series on the theme of *Codex Alimentarius: Principles and Procedures*.

- (a) The first workshop was held in New Delhi on 2<sup>nd</sup> August 2013 and
- (b) The second one at Kochi, Kerala on 3<sup>rd</sup> October 2013 and
- (c) The third workshop was conducted in collaboration with Institute of Chemical Technology (ICT) on 12<sup>th</sup> September, 2014 at Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai Technology,

The main purpose of conducting the workshop was to create awareness about Codex Alimentarius and the procedures among the stakeholders for their effective increased participation in Codex related activities in India. The role of academia in Codex Alimentarius was highlighted. Inputs from Academia (Institutes, Colleges, and Universities) can be extremely useful in finalizing the country position or proposing a new work in the Codex Committee. Thus, NCCP India felt the need to interact with all the stakeholders (Government officials, Industry and Academia) through this workshop.



उद्घाटन सत्र में बाएं से दाएं ः डॉ रेखा एस सिंघल श्रीमती विनोद कोतवाल, श्री पुरुषोतम भापकर, श्री के चन्द्रमौलि, श्री संजय दवे और श्री प्रबोघ हल्दे

#### 14.11 एशिया के लिए एफ ए ओ⁄डब्ल्यु एच ओ समन्वयन समिति (सी सी एशिया ) के क्षेत्रीय समन्वयक रूप में भारत

एशिया के लिए समन्वय समिति (सी सी एशिया) की स्थापना जुलाई 1976 में रोम, इटली में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटीरियस कमीशन (सी ए सी) के ग्यारहवें सत्र में की गई थी और 2014 में इसमें 23 एशियाई सदस्य देश थे। सी सी एशिया का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष खाद्य उत्पादों के लिए क्षेत्रीय मानकों को विकसित करने के साथ–साथ एशियाई सदस्यों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ावा देना है। 1978 में अपनी शुरुआत के समय से सी सी एशिया उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के कोडेक्स के प्रयोजन से और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता रहा है।

जुलाई, 2011 से जापान एशिया के लिए क्षेत्रीय समन्वयक था और नवम्बर, 2012 में जापान के टोक्यो में सी सी एशिया के 18 वें सत्र की मेजबानी की गई। जापान से पहले समिति की अध्यक्षता कोरिया तत्पश्चात इन्डोनेशिया द्वारा की गई। सी सी एशिया के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में जापान की अवधि जुलाई, 2015 में समाप्त होनी थी। परंतु, जापान ने क्षेत्रीय समन्वयक का स्थान छोड़ दिया क्योंकि जापान के एक सदस्य जुलाई, 2014 में आयोजित सी ए सी के अंतिम सत्र में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। जुलाई 2015 तक थाइलैड अन्तरिम समन्वयक है। सी सी एशिया के नए समन्वयक का चुनाव सी सी एशिया के 19 वें सत्र में किया जाना था।

सी सी एशिया के 19 वें सन्न में इन्डोनेशिया के शिष्टमंडल के प्रस्ताव पर एशिया की समन्वयन समिति ने एलीमेंटेरियस के 38 वें सन्न में एकमत से भारत के एशिया का समन्वयक रूप में नियुक्ति की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की।



From L to R: Dr. Rekha S. Singhal, Ms. Vinod Kotwal, Shri Purushottam Bhapkar, Shri K. Chandramouli, Shri Sanjay Dave and Sh. Prabodh Halde at the inaugural Session.

#### 14.11 India as the Regional Coordinator of FAO/ WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA)

The Coordinating Committee for Asia (CCASIA) was established at the 11<sup>th</sup> Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC) held in Rome, Italy, in July 1976 and has 23 Asian Member countries as of 2014. Main objective of CCASIA is to promote mutual communication among the Asian members as well as to develop regional standards for certain food products. Since its beginning in 1978, CCASIA has been working under the purpose of the Codex of protecting the health of the consumers and ensuring fair practices in the food trade.

Japan was the Regional Coordinator for Asia since July 2011 and hosted the 18<sup>th</sup> Session of the CCASIA in November 2012 in Tokyo, Japan. Prior to Japan, the Committee was chaired by Korea followed by Indonesia. The term of Japan as the Regional Coordinator for CCASIA was to end in July, 2015. However, Japan stepped down from the position of Regional Coordinator when a member from Japan was elected as the Vice-President at the last session of CAC held in July, 2014. Thailand was the interim coordinator until July 2015. The new Coordinator of CCASIA was to be elected in the 19<sup>th</sup> Session of CCASIA.

At the 19<sup>th</sup> Session of CCASIA, on the proposal of the Delegation of Indonesia, the Coordinating Committee of Asia unanimously agreed to recommend to the 38<sup>th</sup> Session of Codex Alimentarius Commission that India be appointed as Coordinator of Asia. All the members supported the proposal of the Committee.

# <u>fssat</u>

## अध्याय-15

# सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई ई सी)

- 15.1 सूचना, शिक्षा तथा संचार उन रणनीतियों और दृष्टिकोणों को संयोजित करता है जो संगठनों, समुदायों तथा हितधारकों को परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम बनाता है। आई ई सी उन्नयन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में किसी भी संगठन का महत्वपूर्ण अंग है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है जिसके लिए विभिन्न हितधारकों की ओर लक्षित प्रयासों की सतत एवं लगातार प्रयासों की अवश्यकता होती है।
- 15.2 आई ई सी क्रिया–कलापों को आवश्यकता निर्धारण के आधार पर स्पष्टता बढ़ाने, अधिनियम, नियमों और विनियमों के बारे में शिक्षित करने तथा जागरूकता उत्पन करने हेतु विकसित किया गया है। संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल कर एफ एस एस ए आई विभिन्न निर्धारित समूहो के लिए मूल्यवान सूचनाओं का प्रसार करता है।
- 15.3 हितधारको को अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के अनिवार्य तत्वों से अवगत कराने के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अनेक क्रिया—कलापों का आयोजन किया जा चुका है। खाद्य संरक्षा, खाद्य सँभालने वाले की व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोईघर की खाद्य संरक्षा, खाद्य सँभालने वाले की व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोईघर की खाद्य संरक्षा, खाद्य सँभालने वाले के व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोईघर की खाद्य संरक्षा, खाद्य सँभालने वाले क्या करें, क्या न करें, गली—कूचे के आहार, लाइसेंसिंग, पंजीकरण, खाद्य उत्पाद अनापत्ति, लेबलिंग, दूध तथा दुग्ध उत्पादों में मिलावट, खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली, बच्चों के लिए खाद्य संरक्षा से संबंधित पुस्तिका/ पम्पलेट/पत्रक के रूप में आई ई सी सामग्रियाँ एफ

एस एस ए आई के विभिन्न हितधारकों के लिए तैयार की गई है।

- 15.4 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ता मामले विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से "जागो ग्राहक जागो" नामक जन–जागरूकता अभियान 2014–15 में प्रारंभ किया है और वर्ष 2014–15 के दौरान तीन सृजनात्मक रचनाएं प्रकाशित की गईं जो खाद्य संरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
- 15.5 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से आई ई सी क्रिया–कलापों को कार्यान्वित करने तथा पी आर बनाए रखने के लिए दो जन संपर्क फर्मों का चयन प्रस्ताव के अनुरोध द्वारा किया गया।
- 15.6 खाद्य पर लेबल लगाने से संबंधित रेडियो विज्ञापन धुन को 13 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2014 तक 15 दिनों की अवधि के लिए पूरे भारत में प्रसारित किया गया।
- 15.7 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 14–27 नवम्बर, 2014 के दौरान भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर 2014 ( आई आई टी एफ) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य पैवेलियन में अपना एक स्टॉल लगाकर हिस्सा लिया। स्टॉल में खाद्य संरक्षा के कुछ पहलुओं से संबंधित पोस्टरों को प्रदर्शित किया गया और खाद्य संरक्षा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनयम तथा एतद्धीन विनियमों से संबंधि त सूचनाप्रद पुस्तिका/पम्पलेट/पत्रक का वितरण हितधारकों को करने के साथ–साथ खाद्य संरक्षा पर एक किवज परीक्षा का भी आयोजन किया गया।

# <u>Jssai</u>

# Information, Education and Communication (IEC)

- 15.1 Information, Education and Communication (IEC) combines strategies and approaches that enable the organisations, communities and stakeholders to play key roles in achieving and sustaining their defined goals. IEC is the backbone of any organization to channelize the promotional activities. It is the most crucial component, requires continuous and constant efforts targeted at various stakeholders. It empowers people to make decisions and modify behaviours.
- 15.2 IEC activities are developed based upon needs assessment, to enhance the visibility, educate about the Act, Rules & Regulations and to generate awareness. Using various channels of communication, the FSSAI disseminates valuable information to address different target groups.
- 15.3 A lot of activities have been organized to make stakeholders aware about the essential elements of the Act, Rules & Regulations involving print and electronic media. IEC materials in the form of booklets/ leaflets/ posters, etc. have been developed on food safety, personal hygiene for food handlers, kitchen food safety, Food Handlers Do's and Don'ts, points on food safety to be considered while consuming street foods, licensing, registration, food import clearance, labelling,

adulteration of milk and milk products, Food Product Approval System, Food safety for children etc. for various stakeholders of FSSAI.

- 15.4 The FSSAI started an awareness campaign jointly with the Department of Consumer Affairs under the aegis of "Jago Grahak Jago" in 2014-15 and three creatives were published during 2014-15 on various aspects of food safety.
- 15.5 Two Public Relations Firms were selected through Request for Proposal (RFP) to carry out IEC activities and maintain PR on behalf of the Food Safety and Standards Authority of India.
- 15.6 A radio jingle on labelling of food has been aired PAN India for a period of 15 days from 13<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup> November, 2014.
- 15.7 The FSSAI participated in the 34<sup>th</sup> India International Trade Fair, 2014 (IITF-2014) during 14-27 November, 2014 at Pragati Maidan, New Delhi by putting up a stall under "Health Pavilion" of the Ministry of Health and Family Welfare. The posters related to several aspects of food safety were displayed in the stall and the informative booklets / Pamphlets / Leaflets related to food safety, Food Safety and Standards Act and Regulations thereunder were distributed to the stakeholders as well as quiz test on food safety was also organised.







आई आई टी एफ 2014 में एफ एस एस ए आई का स्टॉल



क्विज परीक्षा के दौरान भीड़–भरा स्टॉल

- 15.8 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 25 दिसंबर, 2014 को मानेक्शां केंद्र, धौलाकुआं में इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा आयोजित सुशासन दिवस प्रदर्शनी में सहभागिता की जिसमें एफ एस एस ए आई के ऑनलाइन अनुप्रयोगों के साथ–साथ अनुप्रयोगों के सीधे प्रदर्शन से संबंधित पोस्टरों को प्रदर्शित किया गया था। ऑनलाइन अनुप्रयोगों से संबंधित सूचनाप्रद पुस्तिकाएं पम्पलेट/पत्रक भी वितरित किए गए।
- 15.9 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से 25–28 दिसम्बर, 2014 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय गली–कुंचे खाद्य समारोह में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में राष्ट्रीय गली–कुचा विक्रेता संघ द्वारा किया गया जो सुरक्षित तथा स्वास्थ्य खाद्य संभालने की पद्धति को मुख्याधारा में लाने के उदेश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 1000 गली–कूंचे के विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।
- 15.10 उत्तर प्रदेश के 08 जिलों में जन सपर्क सक्रियण कार्यक्रम (एम सी ए पी) का उद्घाटन लखनऊ के डी. डी. यू. ग्रामीण विकास राज्य संस्थान में खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से दीन दयाल उपाध्याय



सुशासन दिवस पर प्रदर्शनी में एफ एस एस ए आई का स्टॉल





FSSAI's Stall at IITF-2014



**Crowded Stall during Quiz Test** 

- 15.8 FSSAI participated in the Exhibition on Good Governance Day on 25th December, 2014 at Manekshaw Centre, Dhaulakuan, New Delhi organised by the Department of Electronics and Information Technology wherein the posters on online applications of FSSAI were showcased along with live demo of applications. The informative booklets/ Pamphlets/Leaflets related to the online applications were distributed also.
- 15.9 On behalf of FSSAI, a one day training programme was organised by the National Association of Street Vendors of India (NASVI) during the National Street Food Festival held during 25-28 December, 2014 at J. L. N. Stadium, New Delhi for mainstreaming street food vendors through Safe and Hygienic food handling practices. Around 1000 street food vendors from different States participated in the training.
- 15.10 Mass Contact Activation Programme (MCAP) in 08 Districts of Uttar Pradesh was inaugurated on 12<sup>th</sup> January, 2015 at the DDU State Institute of Rural Development (SIRD), Lucknow by the then Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India. This



FSSAI's Stall at the Exhibition on Good Governance Day





ग्रामीण विकास राज्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हितधारकों को एफ एस एस अधिनियम, नियमों और विनियमों, एफ एस एस ए आई के उद्देश्यों, भूमिका तथा कार्यों, खाद्य संरक्षा एवं मानक, खाद्य में मिलावट का पता लगाने तथा खाद्य संबंधी समस्या की रिपोर्ट करने के तरीके आदि पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

- 15.13 13 से 15 मार्च तक हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव में आयोजित प्रथम कृषि नेतृत्त्व शिखर सम्मेलन के दौरान खाद्य संरक्षा के विभिन्न पहलुओं
  - से संबधित विज्ञापन पट्ट रखे/लगाए गए।
- 15.14 एफ एस एस ए आई ने 13 से 15 मार्च, 2015 के दौरान कोलकाता में आयोजित एगमार्क प्रदर्शनी में स्टॉल लगाकर सहभागिता की जिसमें खाद्य संरक्षा



जनसम्पर्क सक्रियण कार्यक्रम का उद्घाटन

- 15.11 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा के विभिन्न पहलुओं से हितधारकों को अवगत कराने के लिए 1 से 15 फरवरी, 2015 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित 29वें सूरजकुंड अंर्तराष्ट्रीय शिल्प मेले में 06 (छह) विशाल विज्ञापन पट्ट लगाए।
- 15.12 खाद्य वस्तुओं में मिलावट संबंधी रेडियो विज्ञापन होली के अवसर पर 21 फरवरी से 07 मार्च, 2015 तक 15 दिनों की अवधि तक पूरे भारत में प्रसारित किया गया।

संबधी आई ई सी सामग्रियों का हितधारकों के बीच वितरण करने के साथ—साथ खाद्य संरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबधित पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

15.15 एफ एस एस ए आई का अपना फेसबुक पेज है जिसमें हितधसरकाओं को सुरक्षित आहार के महत्व के बारे मे जानकारी देने के लिए नियमित रूप से खाद्य संरक्षा



Programme is being conducted by the Din Dayal Upadhyay State Institute of Rural Development (DDU SIRD), Govt. of Uttar Pradesh on behalf of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The aim of the Programme is to educate the stakeholders about FSSAI on aspects relating to FSS Act, Rules and Regulations, objectives, roles and functions of FSSAI, food safety and standards, common methods for detection of adulteration in food and how to report a problem in food etc.

- 15.12 A radio jingle on adulteration of food items was aired PAN India during the occasion of Holi for a period of 15 days from 21<sup>st</sup> February, 2015 to 07<sup>th</sup> March, 2015.
- 15.13 Hoardings on the various aspects of food safety were put up / displayed during the 1<sup>st</sup> Agri Leadership Summit 2015 held at Gurgaon organised by Govt. of Haryana during 13<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> March, 2015.
- 15.14 The FSSAI Participated in the Agmark Exhibition held at Kolkata during 13<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup>



InaugurationInauguration of Mass Contact Activation Programme

15.11 Food Safety and Standards Authority of India displayed 06 (six) Mega Hoardings during the 29<sup>th</sup> Surajkund International Craft Mela, 2015 organised by Govt. of Haryana during 1<sup>st</sup> to 15<sup>th</sup> February, 2015 in order to make stakeholders aware of the various aspects of food safety.

March, 2015 by putting up a stall wherein posters on various aspects of food safety were displayed as well as the IEC materials on food safety were distributed to the stakeholders.

15.15 FSSAI has its Facebook page wherein the general tips related to food safety are being provided on a regular basis in order to make





से संबधित सामान्य उपयोगी सलाह उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित अभियान चलाये गए हैं:

- स्वस्थ भारत के लिए सुरक्षित आहार
- स्वास्थ्यकर टिफिन
- खाद्य मिलावट के विरुद्ध सशक्त प्रयास
- खाद्य संरक्षा के लिए खाद्य लेबल, और
- खाद्य पंजीकरण अनुज्ञापन

15.16 एफ एस एस ए आई की एक समर्पित और भली—भांति अनुरक्षित वेबसाइट www.fssai.gov.in है जिसमें अन्य वस्तुओं, परामर्शिकाओं, अधिसूचनाओं, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों से संबन्धित सूचना, मिलावट की पहचान आदि सहित एफ एस एस अधिनियम / नियम / विनियम को अद्यतन किया जा रहा है।

> एफ एस एस ए आई यू ट्यूब में खाद्य मिलावट संबन्धी मूल वीडियो है।



stakeholders aware about the importance of safe food. The following campaigns have been undertaken during 2014-15:

- SafeFoodForHealthyIndia,
- Healthy Tiffin,
- StandAgainstFoodAdulteration
- FoodLabelsForSafety, and
- FoodRegistrationLicensing

15.16 FSSAI has a dedicated and well-maintained website www.fssai.gov.in, where the FSS Act/ Rules/ Regulations along with other articles, advisories, notifications, information on adulteration of milk and milk products and detection of adulterants etc. are being updated.

FSSAI You Tube has original videos on food adulteration.



## अध्याय-16

# प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः

#### 16.1 प्रशिक्षण प्रभाग के लिए कार्य योजना

एफ एस एस अधिनियम की धारा 16(3) (ज) की शर्तों में प्राधिकरण से अपने क्षेत्र में या बाहर ऐसे व्यक्तियों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आशा की जाती है जो किसी खाद्य व्यवसाय को शुरू करने में रूची रखते हैं चाहे वे खाद्य व्यवसाय संचालक हों या कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति।

#### 16.2 खाद्य संरक्षा नियामकों का प्रशिक्षण

स्थान, जनशक्ति, संकाय के संबंध में एफ एस एस ए आई ने राज्य प्राधिकारिओं की सहायता से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यकर्मों का संचालन किया।

- नामोदृष्ट अधिकारियों के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम (3 दिवसीय)
- ii. न्यायनिर्णयन अधिकारियों के लिए (एक दिवसीय) और
- iii. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए (पाँच दिवसीय)

16.3 2014–15 दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरेः

दिनांक	स्थान	राज्य
न्यायनिर्णयन अधिकारियों के लिए		
21 अप्रैल, 2014	कावाराती	लक्षद्वीप
02 जून, 2014	कोहिमा	नागालैंड
नामोद्दिष्ट अधिकारियों के लिए		
21—23 अप्रैल, 2014	कावाराती	लक्षद्वीप
2—4 जून, 2014	कोहिमा	नागालैंड
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए		
21—25 अप्रैल, 2014	कवाराती	लक्षद्वीप
5—9 मई, 2014	भुवनेश्वर	ओड़ीसा
2—6 जून, 2014	कोहिमा	नागालैंड
4—8 अगस्त, 2014	रायपुर	छत्तीसगढ़
1—5 सितम्बर, 2014	अहमदाबाद	गुजरात
16—20 मार्च, 2015	रायपुर	छत्तीसगढ़

# **Training and Capacity Building:**

#### 16.1 Action Plan for Training Division

In terms of section 16(3) (h) of the FSS Act, the Authority is expected to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are interested in starting any food business, whether as a food business operator or employees or otherwise. 16.2 Training of Food Safety Regulators

The FSSAI conducted the following training programmes in various States/UTs with the support of state authorities in terms of the space, manpower and may be faculties.

- (i) Orientation Training Programmes for Designated Officers (3 days duration),
- (ii) Adjudicating Officers (1 day duration) and
- (iii) Food Safety Officers (5 days duration)

#### 16.3 Details of training programmes conducted during 2014-15:

Date	Place	State							
For the Adjudicating Officers:	For the Adjudicating Officers:								
21 <sup>st</sup> April, 2014	Kavaratti	Lakshadweep							
02 <sup>nd</sup> June , 2014	Kohima	Nagaland							
For the Designated Officers:									
21 <sup>st</sup> -23 <sup>rd</sup> April, 2014	Kavaratti	Lakshadweep							
02 <sup>nd</sup> -4 <sup>th</sup> June, 2014	Kohima	Nagaland							
For the Food Safety Officers:									
21 <sup>st</sup> -25 <sup>th</sup> April, 2014	Kavaratti	Lakshadweep							
5 <sup>th</sup> -9 <sup>th</sup> May, 2014	Bhubaneshwar	Odisha							
2 <sup>nd</sup> -6 <sup>th</sup> June, 2014	Kohima	Nagaland							
4 <sup>th</sup> -8 <sup>th</sup> Aug, 2014	Raipur	Chhattishgarh							
1 <sup>st</sup> -5 <sup>th</sup> Sept, 2014	Ahmedabad	Gujarat							
16 <sup>th</sup> -20 <sup>th</sup> March, 2015	Raipur	Chhattishgarh							





- 16.4 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में केंद्रीकृत प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी)
  - 01.08.2014 को आयोजित 12वीं सी ए सी (i) बैठक की कार्यसूची मद 8 के अनुसार प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के मामले में, एफ एस एस ए आई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन प्रशिक्षकों की पहचान करने का प्रस्ताव किया जो एफ एस एस ए आई, एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में केद्रीकृत प्रशिक्षण द्वारा चरणबद्ध तरीके से तीन दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में भाग ले सकें जिसमें विभिन्न राज्यों के 40 से 50 अधिकारीगण शामिल होंगे। प्रशिक्षकों की पहचान अलग–अलग राज्यों में डी ओ, एफ एस ओ और एफ बी ओ की संख्या के अनुसार की जाती है। लगभग 7–9 प्रशिक्षक संकायों की पहचान राज्यों द्वारा की जाएगी जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
    - (ii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण को 12 से 14 नवम्बर, 2014 तक एफ एस एस ए आई, एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में पूरा किया गया। टी ओ टी प्रशिक्षण के प्रथम चरण में हिस्सा लेने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ थे।
- 16.5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित संस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण
  - (i) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.3 (1)(iii) द्वारा नए भर्ती / नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफ एस ओ) के प्रशिक्षण का अधिदेश है। इस अधिदेश को पूरा

करने के लिए एफ एस ओ के लिए 60 दिनों के प्रवेशन प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रवेशन प्रशिक्षण पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित विनिर्दिष्ट संस्थानों के जरिए ध्यान दिया जाएगा।

(ii) वर्ष 2014–15 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ–उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात को एफ एस ओ के 60 दिवसीय प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिसूचित प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में अनुमोदित किया गया। जन स्वास्थ्य कन्वेशन सेंटर, आर सी एच कैम्पस, नामकुम, रांची, झारखंड और छतीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर, छतीसगढ का अधिसूचित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अनुमोदन प्रक्रियाधीन हैं।

#### 16.6 एफ एस एस ए आई के क्षेत्रीय कार्यालयों में तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण

- (i) 8 सितंबर और 9 सितम्बर , 2014 को एफ एस एस ए आई, एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी एवं कानूनी मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (ii) कोलकाता और गुवाहाटी में पदस्थापित तकनीकी अधिकारियों के लिए 17 एवं 18 जनवरी, 2015 तथा मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित तकनीकी अधिकारिओं हेतु 14–15 मार्च, 2015 को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।



#### 16.4 Training of Trainers (ToT) programme through Centralised training at FSSAI.

- (i) In the matter of training of trainers as per agenda item 8 of 12<sup>th</sup> CAC meeting held on 01.08.2014, FSSAI proposed to the states/UTs to identify the trainers, who would undergo a ToT program through a centralized training at FSSAI, FDA Bhawan, New Delhi in different batches in a phased manner comprising of 40 to 50 officers of different states for three days training. Trainers are identified, in accordance with the number of DOs, FSOs and FBOs in respective states. Around 7-9 trainers/ faculties are to be identified by the states, who would attend the ToT programme.
- (ii) The first phase of this ToT programme was completed at FSSAI, FDA Bhawan, New Delhi from 12<sup>th</sup> to 14<sup>th</sup> Nov, 2014. The States/UTs that participated in first phase of ToT training were: Tamil Nadu, West Bengal, Uttarakhand, Jharkhand, Himachal Pradesh, Goa, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir and Chandigarh.
- 16.5 Induction Training of Food Safety Officers through institute nominated by States/UTs:
  - (i) The food Safety and Standard Rules, 2011 mandates the training of newly recruited/ appointed Food Safety Officer (FSOs) vide rule 2.1.3 (1) (iii). To fulfil the mandate, an induction training of FSOs

for 60 days is envisaged. The induction training shall be taken care of through institutes specified by Food Authority in a recognized institute or institution approved for the purpose.

(ii) In year 2014-15, Deen Dayal Uphadhyaya Institute of Rural Development, Bakshi ka Talab, Lucknow-UP and All India Institute of Local Self Govt., Khanpur, Ahmedabad-Gujarat were approved as notified training institutes for 60 days induction training programme of FSOs. The approval of Institute of Public Health Convention Centre, RCH-Campus, Namkum, Ranchi- Jharkhand and Chhattishgarh Academy of Administration, Raipur-Chhattishgarh, as notified training institute, is under process.

## 16.6 Technical Officers Training at regional offices of FSSAI

- (i) As per the meeting on Central Licensing Authority and Authorised Officers held on 8<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> September, 2014 at FDA Bhawan, FSSAI, New Delhi, it was decided that the Technical officers posted at regional and sub offices should be imparted training on technical and legal issues.
- (ii) The training of Technical officers was organized for the TOs posted at Kolkata and Guwahati from 17<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> January, 2015 and for the TOs posted at Regional Office of Mumbai from 14<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> Marh, 2015.



## अध्याय-17

भारत में व्यापार विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल, (सी आई टी डी), खाद्य संरक्षा एव एस पी एस, तकनीकी विनियमावली और मानकीकरण एव सीमा शुल्क में निकासी उपरांत लेखा परीक्षा (पी सी ए) सहायता

- 17.1 सी आई टी डी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ सतत विकास, एकीकरण के जरिए उत्पादों की संरक्षा एवं गुणवत्ता बढ़ाकर और व्यापार में लागत एवं बाधा कम कर आर्थिक वृद्धि अर्जित करने के लिए इसकी क्षमता को मजबूत करने के ध्येय से भारत की सहायता करना है।
- 17.2 वर्ष 2014–15 के दौरान सी आई टी डी के अंतर्गत कार्यान्वित गतिविधियां निम्नलिखित थीः
- 17.2.1 खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा में प्रशिक्षणः

प्रशिक्षण का उद्देश्य भारत में राज्य स्तरों पर तथा खाद्य नियंत्रण के लिए जिम्मेदार ऐसे केन्द्रीय प्राधिकारियों की निरीक्षण क्षमताओं को सशक्त करना था जो भारत में खाद्य संरक्षा को बढ़ाने तथा खाद्य के सरकारी नियंत्रण के लिए कार्यान्वित प्रमाणन प्रक्रिया की विश्वसनीयता वृद्धि करने और यूरोपीय यूनियन को निर्यात होने वाले का संभरण को प्रत्यक्ष रूप से योगदान देंगे। वर्ष 2014–15 में दो प्रशिक्षण संचालित किए गएः

- (i) दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के 20 डी ओ और एफ बी एस ओ का एच ए सी सी पी, जी एच पी तथा जी एम पी की लेखा परीक्षा करने हेतु दक्षिण क्षेत्र (बंगलुरु) में 25 से 28 नवम्बर, 2014 तक प्रशिक्षण संचालित किया गया।
- (ii) पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 31 डी ओ और एफ एस ओ के लिए एच ए सी सी पी, जी एच पी तथा जी एम पी लेखा परीक्षा हेतु कोलकाता में 20 से 23 मई, 2014 तक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।



Capacity Building Initiative for Trade Development in India (CITD); Food Safety & SPS, Technical Regulations & Standardization & Support to Post Clearance Audit (PCA) in Customs

- 17.1 The objective of CITD Project is to support India in strengthening its capacity to achieve economic growth through sustainable development, integration with global trading system, by increasing the safety and quality of products, and by reducing costs and impediments to trade.
- 17.2 Activities implemented under CITD during 2014-15 were as follows:
- 17.2.1 Training in the audit of food safety management systems:

The objective of the training was to strengthen inspection capacities at State level in India and in central authorities responsible for food control which would contribute directly to enhancing food safety in India and increase reliance of the certification process implemented for official controls of food and feed exported to the EU. Two trainings were conducted during 21014-15:

- Training of 20 DOs and FSOs of Southern Zone states conducted in South Zone (Bengaluru) from 25<sup>th</sup> to 28<sup>th</sup> November, 2014 in auditing HACCP, GHP and GMP.
- Training of 31 DOs and FSOs of Eastern Zone states conducted in East Zone (Kolkata) from 20-23<sup>rd</sup> May, 2014 in auditing HACCP, GHP and GMP.



## अध्याय-18

# वितीय वर्ष 2014—15 के लिए बजट

- 18.1 एफ एस एस ए आई को सशक्त करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का अनुमोदित बजट प्राक्कलन वितीय वर्ष 2014–15 में 60.00 करोड था।
- 18.2 यहाँ यह उल्लेख करना है कि इन निधियों का उपयोग वेतन, वृत्तिक सेवाओं, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, किराए दर तथा कर, आई ई सी, मोटर वाहनों के रख–रखाव आदि के लिए हुआ। 58.98 करोड़ रुपये (41.11 करोड़ + पिछले वर्ष का अव्ययित शेष 17.87 करोड़) की जगह

वित्त वर्ष 2014—15 के दौरान 44.65 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ जिसके फल स्वरूप 14.33 करोड़ की राशि शेष रह गई।

18.3 9.16 करोड़ रुपये की राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वितीय वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली को सशक्त करने हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन दी गई। परंतु इन निधियों का प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि योजना का अनुमोदन अभी मंत्रालय से प्रतीक्षित है।



# Budget for the Financial Year 2014-15

- 18.1 The approved Budget Estimate of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) under Central Sector Scheme for Strengthening of FSSAI was Rs. 60.00 Crore during the Financial Year 2014-15.
- 18.2 It is mentioned that the funds were utilized towards Salary, Professional Services, Office Expenses, Travelling Expenses, Rent Rates & Taxes, IEC, Motor Vehicles and Maintenance etc. against the available funds of Rs. 58.98 Crore (Rs. 41.11 Crore + Rs. 17.87 crore unspent balance of previous year), Rs. 44.65

Crore was utilized during the Financial Year 2014-15 thereby leaving an unspent balance of Rs. 14.33 Crore.

18.3 An amount of Rs.9.16 Crore was released by the Ministry of Health & Family Welfare under the Centrally Sponsored Scheme for strengthening of the State Food Regulatory System during the F.Y. 2013-14. However, funds could not be utilized for the purpose as formal approval of the Scheme is still awaited from the Ministry.



## अध्याय-19

# राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण में सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई और इनके कार्यवृत जारी किए गए। कार्यवृत में उल्लिखित अनुवर्ती कारवाई की गई। वर्ष 2014 के सितंबर माह में 15 से 29 तक प्राधिकरण में पहली बार हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओ में बढ़—चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता प्रतिभागियों का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर मंत्रलाय को भेजी गई। यूनिकोड के प्रयोग से संबंधित हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य मंत्रलाय के सहायक निदेशक (हिन्दी) श्री राजेश श्रीवास्तव ने कार्मिकों को यूनिकोड प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया।



Several steps have been taken for the progressive use of Rajbhasha Hindi in the Authority. The Rajbhasha implementation Committee held its four meetings during the year and their minutes issued. Follow up action taken on the basis of decisions taken. For the first time Hindi fortnight from 15 to 29th September, 2015 organised and Staff/ Officers participated in the programmes held.

# **Rajbhasha Hindi**

The successful competitors of different competitions were given away prizes. The Authority's monthly progress reports on usage of Hindi sent to the Ministries in time. To popularise usage of Hindi in different offices, a workshop on the use of Unicode was organized which was conducted by Sh. Rajesh Srivastava, Assistant Director (Hindi) of Ministry of Health and Family Welfare.

# <u>fssat</u>

## अध्याय-20

# सूचना का अधिकार (आर टी आई ) मामले

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में प्राप्त आर टी आई अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित विवरण तथ्यों को प्रकट करता है।

	पहली तिमाही	तिमाही (अन्य	धारा 6(3) के	निर्णयों जहां	निर्णय जहां
	(अप्रैल 14 मार्च, 15)	पी ए को	अधीन अन्य पी ए	अनुरोधों / अपीलों	अनुरोधों अपीलों
	के प्रारम्भ में	हस्तांतरित मामले	को हस्तांतरित	को अस्वीकृत	को स्वीकार
	अर्थ शेष	सहित) में प्राप्त	मामलों की संख्या	किया गया	किया गया।
अनुरोध	6	592	111	51	432
प्रथम अपील	0	40	1	24	14

नामोदिृष्ट सी पी आई ओ की संख्या	नामोदिृष्ट अपीलीय प्राधिकारियों की संख्या
18	05

	अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय जितनी बार विभिन्न उपबंधों को लागू किया गया											
	आर टी आई अधिनियम, 2005 की संगत धाराएँ											
धारा	8(1)									धारापे	2 1 2	अन्य
क	ख	ग	દ	च	ਲ	ज	झ	ਟ	9	11	24	
	शून्य											

रुपये <b>ब्लॉक ॥ (संग्रह की</b>	गई फीस, अधिरोपित दंड	और की गई अनुशासनिक	कार्रवाई के बारे में ब्यौरे)
धारा 7(1) के अधीन संग्रहीत पंजीकरण शुल्क	धारा 7(3) के अधीन संग्रहित अतिरिक्त शुल्क (रुपये में )	धारा 20(1) के अधीन सी आई सी द्वारा निदेश के अनुसार वसूल की गई जुर्माना राशि (रुपये में)	मामलों की संख्या जहां धारा 20(2) के अधीन किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।
৾	₹. 8927 / —		

वेबसाइट पर पूर्व सक्रिय प्रकटीकरण को अपलोड करने की अंतिम तिथि

## **RTI Matters:**

Following statement depicts the facts in respect of RTI requests received in Food Safety and Standards Authority of India:

	Opening Balance as on beginning of 1 <sup>st</sup> Quarter (Apr14- Mar-15	Received during the quarter (including cases transferred to other PA s)	No. of Cases transferred to other PAs u/s 6(3)	Decisions where requests/appeals rejected	Decisions where requests/ appeals accepted
Requests	6	592	111	51	432
First Appeals	0	40	1	24	14

No. of CPIOs designated	No. of Appellate Authority designated
18	05

	No. of times various provisions were invoked while rejecting requests												
	Relevant Sections of RTI Act 2005												
Sec	tion 8	3 (1)									Section	S	Other
A	b	с	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	
	NIL												

Block II (Details about fees collected, penalty imposed and disciplinary action taken)								
Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7(1)	Addl. Fee Collected (in Rs.) u/s 7(3)	Penalty Amount Recovered (in Rs.) as directed by CIC u/s 20(1)	No. of cases where disciplinary action taken against any officer u/s 20(2)					
3095/-	8927/-							

Last date of uploading the pro-active disclosures on the website.





अध्याय-21

## भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2014—15

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन स्थापित सांविधिक प्राधिकरण) एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002



## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### FINANCIAL YEAR 2014-2015

(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002

550



# (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन स्थापित सांविधिक प्राधिकरण)

विषय सूची

तुलन पत्र आय और व्यय लेखा उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूची प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ संलग्नक – I से IV



### (A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

### CONTENTS

#### BALANCE SHEET

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS ANNEXURE I TO IV





अनुसूची 1 समग्र⁄पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के शुरू में शेष	68,17,10,167	30,70,03,716
जोड़ेंः समग्र⁄पूंजी निधि में अंशदान		
जोड़ें ⁄ (घटाएँ)		
आय तथा व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष	32,69,63,006	37,47,06,451
कम करें: रू स्थायी परिसंपति कोष में अंतरण की गई राशि		
वर्ष के अंत में शेष	1,00,86,73,173	68,17,10,167
अनुसूची 2ः	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरक्षित तथा अधिशेष		
1. पूंजी रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार	_	_
वर्ष के दौरान योग वर्ष के दौरान कमी⁄घटावः	_	_
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार	_	_
वर्ष के दौरान योग	_	_
कमीः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	_	_
3. विशेष रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान योग	_	_
कमी–वर्ष के दौरान कटौतियाँ	_	_
4. सामान्य रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार	_	_
वर्ष के दौरान योग	_	_
कमीः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	_	-
योग		_





SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	68,17,10,167	30,70,03,716
Add:Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct):Balance of net income/ (expenditure) transferred from the		
Income and Expenditure Account	32,69,63,006	37,47,06,451
Less: amount transferred to Fixed Asset Fund		
BALANCE AS AT THE YEAR - END	1,00,86,73,173	68,17,10,167
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
2. Revalution Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं 31.01.2015 को तुलन पत्र का भा		Ϊ
	-		(राशि र
अ <b>नुसूची–3</b>	उददिष्ट/अक्षय निधियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		नियत परिसंपति निधि	नियत परिसंपति निधि
(क)	- निधियों का अथ योग	2,34,01,497	2,34,01,497
(ख)	निधियों में योग		
	i. दान ⁄ अनुदान	_	_
	ii. निधियों के कारण निवेश से आय	-	_
	iii. अन्य योग (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
	(क) पूंजी व्यय योजना	-	_
	(ख) पूंजी व्यय गैर योजना	-	_
	(ग) उपहार स्वरूप पूंजी	-	_
	(घ) जी पी एफ मे स्टाफ अंशदान	-	_
	(ङ) जी पी एफ खाते में जमा ब्याज	-	_
	(च) अग्रिम की वापसी	-	_
	iv. संचित रिजर्व		
	<ul> <li>v समग्र निधि से अंतरण</li> </ul>		
योग		-	_
योग	(क + ख)	2,34,01,497	2,34,01,497
(ग)	निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय		
	i. पूंजी व्यय	-	—
	–नियत परिसंपति	-	—
	–अन्य	-	_
	–बिना सेवा योग्य सामग्री का निपटान	-	_
	–वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	_
	कुल	-	—
	ii. राजस्व व्यय		
	–वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	_	_
	–किराया	_	_
	–अन्य प्रशासनिक व्यय	_	_
	–स्टाफ को अग्रिम	_	_
	–स्टाफ तथा कलाकारों को अंतिम भुगतान	_	_
	–अदावे वाले शेष में अंतरण	_	_
	–स्टाफ द्वारा अंतिम निकासी	_	_
	कुल	_	_







#### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2015

(Amount in Rs)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	Fixed Asset Fund	Fixed Asset Fund
a) Opening balance of the funds	2,34,01,497	2,34,01,497
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on		
account of funds	-	-
iii. Other additions (specify nature)		
a) Capital Expenditure - Plan	-	-
b) Capital Expenditure - Non Plan	-	-
c) Gifted Capital	-	-
e) Staff Subscription to GPF	-	-
f) Interest credited in GPF Account	-	-
g) Refund of Advance	-	-
iv. Accumulated Reserve	-	-
v. Transfer from Corpus Fund	-	-
Total (b)	-	-
TOTAL (a+b)	2,34,01,497	2,34,01,497
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of fun	ds	
i. Capital Expenditure	-	-
-Fixed Assets	_	-
-Others	_	-
- Disposal of unserviceable material	_	-
- Depreciation during the year	_	-
Total	-	-
ii. Revenue Expenditure		
-Salaries, Wages and allowances etc.	_	_
-Rent	-	-
-Other Administrative expenses	-	-
- Advance to staff	-	-
- Final Payment to Staff and Artists	-	-
- Transferred to Unclaimed Balances	-	-
	-	-
- Final Withdrawls by staff Total	-	-
	-	•
TOTAL (c)	-	-



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची–4 सुरक्षित ऋण और उधार राशि		
1. केंद्र सरकार	—	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	_	-
3. वित्तीय संस्थान		
(क) मियादी ऋण	_	_
(ख) प्रोद्दभूत ब्याज और देय	_	_
4. बैंक		
(क) मियादी कर्ज	_	_
–प्रोद्दभूत ब्याज और देय	_	_
5. अन्य संस्थानें और एजेंसियां	_	_
6. डिबेंचर और बॉन्ड	_	_
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	_	-
योग	_	_



#### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2015

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government(Specify)	-	-
3. Fiancial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
-Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-


### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 5– अप्रतिभूत कर्ज और उधार राशि		
1. केंद्र सरकार	_	_
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	_	_
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
(क) मियादी कर्ज	_	_
(ख) अन्य कर्ज (विनिर्दिष्ट करें)	_	_
5. अन्य संस्थानें और एजेंसियां	_	_
6. डिबेंचर और बॉन्ड	_	_
7. मियादी जमा	_	_
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	_	_
योग	_	_

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची–6 आस्थगित जमा देयता		
क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपति के मालबंधन द्वारा सुरक्षित की स्वीकृत	_	_
ख) अन्य	_	_
योग	_	-



	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans(specify)	-	-
5. OtherInstitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-





### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

	वर्त्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7– वर्तमान देनदारी और व्यवस्था	-	-
(क) वर्तमान देनदारियाँ		
1. स्वीकृतियाँ	-	-
2. विविध लेनदार		
क) सामान⁄सेवाओं के लिए (अनुसूची 7.1 के अनुसार)	4,69,12,209	4,82,70,634
ख) अन्य ( अनुसूची 7.2 के अनुसार)	20,569	20,569
3. धरोहर राशि जमा	2,36,000	7,11,000
4. प्रोद्दभूत ब्याज और देय नहीं		
(क) सुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
(ख) असुरक्षित ऋण⁄उधारी	-	-
5. सांविधिक देयता		
(क) अतिदेय	-	-
(ख) अन्य	(2,571)	92,828
6. अन्य वर्तमान देयता		
(क) वेतन से कटौती	2,68,011	5,62,938
(ख) पुराने चेक	12,73,661	11,36,342
(ग) प्राप्त प्रतिभूति जमा	88,39,165	77,76,697
7. वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेष		
(क) वर्ष के अंत में अव्ययित शेष	23,48,59,841	27,02,64,441
योग (क)	29,24,06,885	32,88,35,449



(Amoun	t	in	Rs)
(Announ	ιu		1137

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services (as per Schedule-7.1)	4,69,12,209	4,82,70,634
b) Others (as per Schedule-7.2)	20,569	20,569
3. Earnest Money Deposits	2,36,000	7,11,000
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	(2,571)	92,828
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	2,68,011	5,62,938
b) Stale Cheques	12,73,661	11,36,342
c) Security Deposits Received	88,39,165	77,76,697
7. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	23,48,59,841	27,02,64,441
TOTAL (A)	29,24,06,885	32,88,35,449



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख. च	उपबंध		
	1. कराधान के लिए	_	_
	2. उपदान	_	_
	3. अधिवर्षिता / पेंशन	_	_
	4. संचयित छुट्टी का नगद भुगतान	_	_
	5. व्यापार वारंटी/दावे	_	_
	6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	_	_
	(क) कानूनी तथा वृत्तिक व्यय	31,00,795	70,11,205
	(ख) वेतन व्यय	30,00,000	30,00,000
	(ग) कार्यालय रख–रखाव व्यय	12,58,436	14,48,175
	(घ) सम्मेलन व्यय	50,000	50,000
	(ङ) किराया दर और कर व्यय	2,50,000	2,25,000
	(च) प्रशिक्षण व्यय	5,00,000	5,00,000
	(छ) मोटर वहन व्यय	6,70,355	5,00,000
	(ज) कार्यालय व्यय	10,00,000	9,73,200
	(झ) सप्लाई तथा सामग्री व्यय	1,84,000	2,00,000
	(ञ) यात्रा व्यय	9,79,110	10,00,000
	(ट) छुट्टी वेतन और पेंशन व्यय	26,35,834	55,71,000
	(ठ) लेखा परीक्षा शुल्क व्यय	50,000	67,416
	(ड) चिकित्सा व्यय	50,000	50,000
योग	(ख)	1,37,28,530	2,05,95,996
योग	(क+ख)	30,61,35,415	34,94,31,445

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7.1 वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध ऋणदाता		
1. नियंत्रक, खाद्य और औषध प्रशासन	500	500
2. आर के सक्सेना, उप निदेशक	60	60
3. प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के दावे (संलग्नक । के अनुसार )	4,69,11,549	4,82,70,074
योग	4,69,12,209	4,82,70,634

	वर्त्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7.2 अन्य के लिए विविध ऋणदाता		
1. देय ब्याज व्यय	20,569	20,569
योग 20,569	20,569	20,569



1.		•	<b>D</b> \
(Amo	unt	ın	RS)
1,			,

		(Amount in Rs)
B. PROVISIONS	Current Year	Previous Year
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others (Specify)	-	-
a) Legal & Professional Expenses	31,00,735	70,11,205
b) Salary Expenses	30,00,000	30,00,000
c) Office Maintenance Expenses	12,58,436	14,48,175
d) Conference Expenses	50,000	50,000
e) Rent Rate & Taxes Expenses	2,50,000	2,25,000
f) Training Expenses	5,00,000	5,00,000
g) Motor Vehicle Expenses	6,70,355	5,00,000
h) Office Expenses	10,00,000	9,73,200
i) Supply & Material Expenses	1,84,060	2,00,000
j) Travelling Expenses	9,79,110	10,00,000
k) leave salary & Pension Cont. Expenses	26,35,834	55,71,000
I) Audit Fees Expenses	50,000	67,416
m) Medical Expenses	50,000	50,000
TOTAL (B)	1,37,28,530	2,05,95,996
TOTAL (A+B)	30,61,35,415	34,94,31,445
	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/SERVICES		
1 Controller Food & Drug Administration	500	500
2 R.K Saxena, Deputy Director	60	60
3 Accredited Laboratories Claims (As per Annexure I)	4,69,11,649	4,82,70,074
TOTAL	4,69,12,209	4,82,70,634

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS		
1 Interest Expenses Payable	20,569	20,569
TOTAL	20,569	20,569





भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2010 को तुलन पत्र का भाग बननेवाली

						)							(राशि	रो रुपये में)
ੱ	अनुसूची 8– स्थायी परिसंपतियाँ													
					सकल ब्लॉक	P					अवमूल्यन		शुद्ध	संपति
				वर्ष के दौर	दौरान योग	1	1		1	1	1			1
क. सं	ופפלטן	विभागा का		30.09.2014	30.09.2014	वष क दौरान	ਖਖ ਖ ਆਂਜ ਸੇ	वष क शुरू में	वष क दौरान	साल क दौरान	वष क दौरान	वष क अंत तक	वतमान वर्ष के	।पर्छल वर्ष के
		दर	में लागत मूल्याकन	तक का योग	के बाद योग	कटौती	लागत ∕ मूल्यांकन	जेसा हैं	आरंभिक शेष पर	योग पर	कटौती पर	क <mark>ु</mark> ल	तक	अंत तक
<del>8</del>	भूमि													
	क. फ्रीहोल्ड	%0												
	ख. लीज़होल्ड (सिविल वर्क)	%0												
জ	भवन													
	क. फ्रीहोल्ड ज़मीन पर	%0	1				'	,	'	1				
	ख. लीजहोल्ड ज़मीन पर (सिविल वर्क)	10%	10,92,850	10,92,850			21,85,700	54,643	1,03,821	1,09,285		2,67,749	19,17,951	10,38,207
ㅋ	प्लांट, मशीनें एवं उपकरण													
	क लेब उपकरण	15%	43,11,076	1,87,810	56,701		45,55,587	13,92,327	4,37,812	32,424		18,62,563	26,93,024	29,18,749
	ख पानी की पाइप लाइन	15%	12,35,000	,	,	9,46,109	2,88,891	5,33,439	24,618	1	4,08,669	1,49,388	1,39,503	7,01,561
	ग मशीनें व उपकरण	15%	27,22,837	98,368	2,29,659		30,50,864	2,55,983	3,70,028	31,980	I	6,57,991	23,92,873	24,66,854
च	वाहन—एम्बेसडर कार	15%	5,63,772	'	,		5,63,772	3,78,387	27,808	1		4,06,195	1,57,577	1,85,385
ণ	फ़र्निचार एवं फिक्चर्स	10%	47,01,728	2,24,512	22,80,212		72,06,452	12,72,709	3,42,902	1,36,462		17,52,080	54,54,372	34,29,019
দ্ব	फ़र्निचार एवं फिक्चर्स (बैनफिश भवन)	10%	11,65,850	11,65,850	,		23,31,700	58,292	1,10,756	1,16,585	,	2,85,633	20,46,067	11,07,558
<b>B</b>	कार्यालय उपकरण													
	1 इलेक्ट्रोनिक हाज़िरी मशीन	15%	80,608	1	1	,	80,608	40,723	5,983	I	I	46,706	33,902	39,885
	2 फोटोकापी मशीन	15%	19,64,406	'	1,58,000	,	21,22,406	9,29,282	1,55,269	11,850	1	10,96,401	10,26,005	10,35,124
	3 रेफ्रीजरेटर	15%	2,12,585	1	1	ı	2,12,585	86,186	18,960	I	I	1,05,146	1,07,439	1,26,399
	4 रूमहिटर	15%	1	1	4,000		4,000	1	1	300	I	300	3,700	I
	5 स्केनिंग मशीन	15%	1,56,750	I	ı		1,56,750	81,062	11,353	I	I	92,415	64,335	75,688
	६ वैक्यूम क्लीनर	15%	067,7		ı	ı	7,790	4,334	518	I	I	4,852	2,938	3,456
	7 वीजीए स्विचार एवं सिप्लटर	15%	50,840	69,015			1,19,855	24,041	4,020	10,352	-	38,413	81,442	26,799
	8 बीटेल टिवन फोंस	15%	10,931	'			10,931	5,826	766	•	1	6,592	4,339	5,105

(Amount in Rs.)

SCF	SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS													
					GROSS BLOCK	×					DEPRECIATION	z	NET BLOCK	ck
SI. No.	Description	Rate of Dep.	Cost/ valuation As at beginning of the year	Additions du Additions upto 30.09.2014	Additions during the year dditions Addition upto After 0.09.2014 30.09.2014	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
Ă.	Land:-													
	a) Freehold	%0												
	b) Leasehold	%0												
ы. В	Building:- a) On Freehold Land	%0	,	I	'	I	1	,		ı	,	,		I
	b) On Leasehold Land (Civil work)	10% 1	10,92,850	10,92,850	1	1	21,85,700	54,643	1,03,821	1,09,285	,	2,67,749	19,17,951	10,38,207
ن	Plant, Machinery & Equipments													
	a) Lab Equipments	15% 4	43,11,076	1,87,810	56,701		45,55,587	13,92,327	4,37,812	32,424	•	18,62,563	26,93,024	29,18,749
	b) Water Pipeline	15% 1	12,35,000			9,46,109	2,88,891	5,33,439	24,618	1	4,08,669	1,49,388	1,39,503	7,01,561
	c) Machinery & Equipment	15% 2	27,22,837	98,368	2,29,659	ı	30,50,864	2,55,983	3,70,028	31,980		6,57,991	23,92,873	24,66,854
Ō.	Vehicles- Ambassador Car	15%	5,63,772				5,63,772	3,78,387	27,808		'	4,06,195	1,57,577	1,85,385
ய்	Furnitures & Fixtures	10% 4	47,01,728	2,24,512	22,80,212	I	72,06,452	12,72,709	3,42,902	1,36,462		17,52,080	54,54,372	34,29,019
ш.	Furnitures & Fixtures (Benfish Building)	10% 1	11,65,850	11,65,850	'		23,31,700	58,292	1,10,756	1,16,585	'	2,85,633	20,46,067	11,07,558
ю.	Office Equipments													
	1 Electronic Attendance Machine	15%	80,608			-	80,608	40,723	5,983		-	46,706	33,902	39,885
	2 Photocopy Machine	15% 1	19,64,406	-	1,58,000	-	21,22,406	9,29,282	1,55,269	11,850	-	10,96,401	10,26,005	10,35,124
	3 Refrigerator	15%	2,12,585		1		2,12,585	86,186	18,960	ı	'	1,05,146	1,07,439	1,26,399
	4 Room Heater	15%	'		4,000		4,000	1	1	300		300	3,700	'
	5 Scanning Machine	15%	1,56,750		-	-	1,56,750	81,062	11,353			92,415	64,335	75,688
	6 Vaccum Cleaner	15%	7,790	-	'	'	7,790	4,334	518	-		4,852	2,938	3,456
	7 VGA Switcher & Splitter	15%	50,840	69,015			1,19,855	24,041	4,020	10,352		38,413	81,442	26,799
	8 Beetel Twin Phones	15%	10,931	1	1	1	10,931	5,826	766	ı	,	6,592	4,339	5,105



<u> Íssaí</u>





	9 माबाइल फान्स	15%	1,84,662	'	'	'	1,84,662	86,491	14,726		'	1,01,217	83,445	98,171
	10 कॉडेलेस फोन्स	15%	8,476	'	'		8,476	5,292	478			5,770	2,706	3,184
	11 फ़ेंक्स मशीने	15%	2,29,930	I	I	·	2,29,930	1,18,816	16,667		'	1,35,483	94,447	1,11,114
	12 मीज़र	15%	16,042	I	I		16,042	10,015	904		-	10,919	5,123	6,027
	13 माइक्रोवेब	15%	13,350	I	ı	1	13,350	8,032	798	I	'	8,830	4,520	5,318
	14 ऑयल फील्ड रेफ्रीएटर	15%	25,365	,	1	1	25,365	14,973	1,559	,	,	16,532	8,833	10,392
	15 वोल्टेज स्टेब्लाइज़र	15%	25,950		•		25,950	15,089	1,629		'	16,718	9,232	10,861
	16 वाटर डिस्पेंसर	15%	20,500	,	1	1	20,500	10,427	1,511	,	'	11,938	8,562	10,073
	17 ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	15%	10,51,812	'		'	10,51,812	6,20,889	64,638		'	6,85,527	3,66,285	4,30,923
	18 एलसीडी टीवी	15%	16,57,109	1	,	1	16,57,109	9,26,623	1,09,573	1	'	10,36,196	6,20,913	7,30,486
	19 प्लाज्मा टीवी	15%	25,68,875	'	•		25,68,875	15,34,614	1,55,139		'	16,89,753	8,79,122	10,34,261
	20 ਧਸ਼ਧ ਜੇਟ	15%	,	13,473	1	1	13,473	1		2,021	'	2,021	11,452	1
	21 टाटा स्काई एवं आईपीआर एक सिस्टम	15%	29,495	I	1	1	29,495	16,506	1,948	I	'	18,454	11,041	12,989
	22 सिमन हाईपाथ 1150 डिज़िटल और ओप्टि पाईट	15%	8,61,793	,	'	'	8,61,793	3,08,240	83,033	1	'	3,91,273	4,70,520	5,53,553
	23 स्पीकर	15%	14,350	1	1	1	14,350	7,983	955	1		8,938	5,412	6,367
	24 डिजिटल कैमरा	15%	83,050	1	I	1	83,050	41,225	6,274		1	47,499	35,551	41,825
	25 ऑफिस अप्लाइंसिस	15%	83,680	1	1		83,680	32,383	7,695	,	,	40,078	43,602	51,297
	26 ब्ल्युरे डिस्क प्लेयर	15%	000'66	1			000'66	47,321	7,752		'	55,073	43,927	51,679
	27 एलसीडी प्रोजेक्ट	15%	1,62,000	1	85,950	1	2,47,950	77,435	12,685	6,446	'	96,566	1,51,384	84,565
	28 कूलर	15%	77,722	I	1	1	77,722	33,307	6,662	I	'	39,969	37,753	44,415
	29 फ्रोकिंग मशीन	15%	3,44,940	1	1	1	3,44,940	1,48,991	29,392	ı	1	1,78,383	1,66,557	1,95,949
	30 विजिकूलर एंड डीप फ्रीजर	15%	1,07,437	,	1	1	1,07,437	41,457	9,897	,	'	51,354	56,083	65,980
	31 फोन	15%	12,673	567	8,374	1	21,614	6,226	967	713	'	7,906	13,708	6,447
	32 टाटा स्काई	15%	7,622	1	I	ı	7,622	4,844	417		'	5,261	2,361	2,778
	33 एयर कंडीशनर	15%	1,95,488	'	,		1,95,488	41,786	23,055	,	'	64,841	1,30,647	1,53,702
	34 वाइस रिकॉर्डर	15%	,	,	6,490		6,490			487	'	487	6,003	
ß	कम्प्यूटर सहायक उपकरण							1						
	1 कम्प्यूटर	60%	1,06,75,110	38,850	15,61,152	1	1,22,75,112	86,59,997	12,09,068	4,91,656	'	1,03,60,720	19,14,392	20,15,113
	2 यूपीएस एंड बेटरी	15%	8,42,101	1,00,169	1		9,42,270	4,01,901	66,030	15,025	'	4,82,956	4,59,314	4,40,200
	3 प्रिंटर एंड स्कैनर	15%	21,01,523	18,829	2,22,825	•	23,43,177	13,43,184	1,13,751	19,536	•	14,76,471	8,66,706	7,58,339
	4 सिस्को 2821 सेक्योरिटी बंडल	15%	1,71,306	•		•	1,71,306	88,590	12,407	·	•	1,00,997	70,309	82,716
	5 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	10,79,214	83,160	1,00,251	•	12,62,625	10,11,322	40,735	79,971	•	11,32,029	1,30,597	67,892
	6 लाइबेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम	60%	2,28,800	'	1		2,28,800	2,24,700	2,460		'	2,27,160	1,640	4,100
	7 नेटवर्किंग उपकरण	15%	4,64,294	68,629	1,46,980		6,79,903	1,92,756	40,731	21,318	-	2,54,805	4,25,098	2,71,538
	8 वेब कैम	15%	18,900	•		•	18,900	10,267	1,295	·	•	11,562	7,338	8,633
	9 सर्वर	%09	65,28,777	I	I	ı	65,28,777	39,17,266	15,66,907	ı	1	54,84,173	10,44,604	26,11,511
ব	लाइबेरी पुस्तकें	60%	22,97,188	10,88,414	12,74,369	'	46,59,971	21,46,412	90,466	10,35,359	'	32,72,237	13,87,734	1,50,776
	योग (क)		5,05,65,557	42,50,496	61,34,963	9,46,109	6,00,04,907	2,72,72,594	53,16,816	21,21,770	4,08,669	3,43,02,518	2,57,02,389	2,32,92,957
	पिछले वर्ष		3,50,38,995	95,22,995	60,70,244	66,677	5,05,65,557	1,81,66,270	33,19,096	57,98,808	8,700	2,72,72,596	2,32,92,957	1,68,72,725
]		1	-											

C condex Primer         Sign         S, 20		9 Mobile Phones	15%	1.84.662				1.84.662	86.491	14.726			1.01.217	83.445	98.171
1         1         1         2         2         3         1         1         3		10 Cordless Phones	15%		'	'	,	8,476	5,292	478	'	'	5,770	2,706	3,184
12 Optimum         150         16,04          16,04          16,04          16,04          16,04          16,04         1			15%	2,29,930	'	'	'	2,29,930	1,18,816	16,667	'	'	1,35,483	94,447	1,11,114
1 Junic Nome         13         113 <th< td=""><td></td><td>12 Gyser</td><td>15%</td><td>16,042</td><td>1</td><td>'</td><td>1</td><td>16,042</td><td>10,015</td><td>904</td><td>I</td><td>1</td><td>10,919</td><td>5,123</td><td>6,027</td></th<>		12 Gyser	15%	16,042	1	'	1	16,042	10,015	904	I	1	10,919	5,123	6,027
1 40 lickle flauktur         1 58         3.33 k         1.433 k		13 Micro Wave	15%	13,350	'	'		13,350	8,032	798	'	'	8,830	4,520	5,318
15 windly stabilizet         15%         3.59,0         1.53,1         5.53,0         1.53,1         5.53,0         1.53,1         5.53,0         5.53,0           17 windly stabilizet         15%         3.53,0         1.53,1         1.53,10		14 Oil Field Radiator	15%		'			25,365	14,973	1,559	'	1	16,532	8,833	10,392
1 Mode Dependent         1 Sig         0,000         ···         ···         1 Sig         0,001         ···         1 Sig         0,001         ···         1 Sig         0,001         1 Sig         0,001         Sig         0,012         Sig		15 Voltage Stablizer	15%	25,950	1	1		25,950	15,089	1,629	1	1	16,718	9,232	10,861
If value conference System         15%         0.01,813         -         -         -         6.5.0,383         6.00,373         -         6.5.0,373         6.00,373           If cD TV         15%         0.01,813         -         -         0.01,373         -         0.02,113         -         0.02,133		16 Water Dispenser	15%		'			20,500	10,427	1,511	'	1	11,938	8,562	10,073
10         10<			15%		'			10,51,812	6,20,889	64,638	1	1	6,85,527	3,66,285	4,30,923
Dependent         Disk		18 LCD TV	15%		1	1		16,57,109	9,26,623	1,09,573	1	1	10,36,196	6,20,913	7,30,486
O numeter         134          134.1          134.2          134.2          134.2          134.2         134.2         134.2         134.2         134.2         134.2         134.2           125 sement Rehit JUSDegie (158)         138         134.3         134.2		19 Plasma TV	15%	25,68,875	1	1	1	25,68,875	15,34,614	1,55,139	1	1	16,89,753	8,79,122	10,34,261
International consistantial consistantia consistanta consistanta consistantia consistantia consistantia consistant		20 Pumpset	15%	1	13,473		1	13,473	I	I	2,021	I	2,021	11,452	'
2 Simelly leftilizione         6.6.133		21 Tata Sky & EPRS System	15%	29,495	1	1	1	29,495	16,506	1,948	1	1	18,454	11,041	12,989
32 Speaker         138         4,330          4,340          4,340         5,341           25 Objectionene         158         8,300          8,306         -4,125         6,273          6,323         5,413           25 Objectionene         158         8,300          8,300          8,300          6,406          6,406          6,406          6,406          6,407         3,4907           26 Objectionen         158         1,07,30          8,590          8,490          8,590         3,490           26 Objectionen         158         1,07,31          8,590          8,490          8,500         3,730          8,907         3,937           26 Objectionen         158         1,07,31          8,790          8,490          8,907          1,730         1,730          1,730          1,730          1,730          1,730          1,730          1,730           1,4907 <th></th> <th>22 Siemen Hi Path 1150 Digital &amp; Optipoint</th> <th></th> <th>8,61,793</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>8,61,793</th> <th>3,08,240</th> <th>83,033</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>3,91,273</th> <th>4,70,520</th> <th>5,53,553</th>		22 Siemen Hi Path 1150 Digital & Optipoint		8,61,793	1	1	1	8,61,793	3,08,240	83,033	1	1	3,91,273	4,70,520	5,53,553
Q Define fame         Display         S300         ···         ··         S305         ··<		23 Speaker	15%		1	'	•	14,350	7,983	955	1	1	8,938	5,412	6,367
C office Appliances         15%         83,800          83,860          83,660          84,005          40,078         43,602           26         Ble RW Disc Player         15%         99,000          85,900          85,900          85,000         87,000          85,000          85,000          85,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000         87,000		24 Digital Camera	15%	83,050	1		•	83,050	41,225	6,274		1	47,499	35,551	41,825
3         3		25 Office Appliances	15%	83,680	1	1		83,680	32,383	7,695	1	1	40,078	43,602	51,297
Image: Construct one		26 Blue Ray Disc Player	15%	99,000	1	1	1	000'66	47,321	7,752	1	1	55,073	43,927	51,679
38         517/22         517/22         33.307         6.662         5         3.307         6.662         5         3.306         3.7725           29 Fanking Machine         158         3.44.940         51         51         3.47.940         1.48.991         5.333         1.66.557           20 Viscoler & Deep Freezer         158         1.07.437         51         51         51         51.54         56.663           31 Phone         158         1.07.437         57.51         53.43         1.65.57         2.561         2.56		27 LCD Projector	15%	1,62,000	1	85,950	ı	2,47,950	77,435	12,685	6,446	1	96,566	1,51,384	84,565
2 Franking Machine         15%         3.44,300         ···         3.44,300         ···         3.44,300         1.07,337         1.07,337         1.06,557           20 Visicoler & Deep Frezer         15%         1.07,437         55.7         1.07,437         1.07,437         5.0.7         5.1.65         5		28 Cooler	15%		•			77,722	33,307	6,662		1	39,969	37,753	44,415
ON Visicoler & Deep Freazer         15%         0.733         0.7133         0.7133         0.7133         0.7133         0.7334         0.5033           13 Phone         13%         7.053         5.073         5.073         5.073         5.033         5.033           13 Phone         13%         7.053         5.730         5.730         5.730         1.3708         5.334           13 Phone         13%         7.053         5.731         5.730         7.305         1.3708         5.361         1.3708           13 Art conditioner         13%         5.23         5.24         5.24         5.43         5.431         1.3064         1.306		29 Franking Machine	15%		-	ı		3,44,940	1,48,991	29,392	-	-	1,78,383	1,66,557	1,95,949
31 Phone15%126735678,3748,3746,25656577137796733730822 TATA Sive15%7,02310%7,0238,37410%70.570.570.570.570.670.370.670.370.6 <t< td=""><td></td><td>30 Visicooler &amp; Deep Freezer</td><td>15%</td><td>1,07,437</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>1,07,437</td><td>41,457</td><td>9,897</td><td>-</td><td>-</td><td>51,354</td><td>56,083</td><td>65,980</td></t<>		30 Visicooler & Deep Freezer	15%	1,07,437	•	•	•	1,07,437	41,457	9,897	-	-	51,354	56,083	65,980
32         TMX Sky         158         7,622         7,622         4,844         417         ~         ~         5,561         2,361           13<		31 Phone	15%	12,673	567	8,374	•	21,614	6,226	967	713	1	7,906	13,708	6,447
33 Air conditioner15%1,9,4881,9,5,48841,7862,3,0556,4,411,3,0,6471,34 Voice Recorder15%15%6,4,906,4,906,4,904876,4,876,0,03634 Voice Recorder15%6,4,906,4,906,4,906,4,906,4,906,4,906,4,906,0,04876,0,0774 Computer Periphensis15%1.00,190 <td></td> <td></td> <td>15%</td> <td>7,622</td> <td>1</td> <td>•</td> <td></td> <td>7,622</td> <td>4,844</td> <td>417</td> <td>•</td> <td>1</td> <td>5,261</td> <td>2,361</td> <td>2,778</td>			15%	7,622	1	•		7,622	4,844	417	•	1	5,261	2,361	2,778
34 Voice Recorder         158          6,490          6,490          6,490          6,490          487         6,003         6,003           Combuter Peripherals         1          6,490          6,491         8,803         20         20         203 <td></td> <td></td> <td>15%</td> <td>1,95,488</td> <td>'</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,95,488</td> <td>41,786</td> <td>23,055</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>64,841</td> <td>1,30,647</td> <td>1,53,702</td>			15%	1,95,488	'	1		1,95,488	41,786	23,055	1	1	64,841	1,30,647	1,53,702
• Computer Peripherals         i		34 Voice Recorder	15%	1	1	6,490	1	6,490		I	487	1	487	6,003	
1         Computer         60%         106,75,110         38,561         15,61,152         36,50,720         19,14,392         20           2         UPS & Battery         15%         8,42,101         1,00,169         7.2,75,112         86,59,997         15,025         7         48,29,314         4           3         Printer & Scanner         15%         8,42,101         1,00,169         7.2,75,15         13,43,184         1,13,751         19,536         7         48,2956         4,59,314         4           3         Printer & Scanner         15%         1,13,361         19,536         7,1305         17,1306         7,333         7,0309         7,0309         7,0309         7,0309         7,0309         7           4         Cisco 2821 Security Bundle         15%         1,1,306         7,1306         12,47,01         8,85,00         12,4707         8,65,706         7,7309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,0309         1,30,597         7,3109         1,30,597         7,3109         1,50,599         7,3108	Ξ														
2         UPS & Battery         15%         8,42,101         1,00,169         ~~-         9,42,270         4,01,901         6,030         15,025         4,82,956         4,59,314         4,           3         Printer & Scamer         15%         2,101,533         18,829         2,23,825         ~         3,43,177         13,43,184         1,13,751         19,536         7,8,997         8,66,706         7,7           4         Cisco 2821 Security Bundle         15%         1,71,306         7.0         2,23,820         1,71,306         1,01,322         1,01,322         79,971         7,0397         70,397         70,397           5         Computer Software System         60%         10,79,14         83,160         7,1366         1,01,322         10,11,322         79,971         70,997         70,397         70,397           6         Ubary Software System         60%         10,7914         8,6,706         7,136         1,03,597         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,397         70,307         70,307			60%	1,06,75,110		15,61,152	1	l,22,75,112	86,59,997	12,09,068	4,91,656	'	,03,60,720	19,14,392	20,15,113
3 Printer & Scanner         15%         21,01,523         18,829         2,2,2,825         (3,43,1)7         13,43,184         1,13,751         19,536         (-2         14,76,471         8,66,706         7,           4         Cisco 2821 Security Bundle         15%         1,71,306         70,91         70,097         70,092         71,404         70,040         70,166         71,406         70,156         71,406         70,156         71,406         71,406         7			15%	8,42,101	1,00,169	-		9,42,270	4,01,901	66,030	15,025	-	4,82,956	4,59,314	4,40,200
4         Cisco 2821 Security Bundle         15%         1,71,306          1,71,306         88,590         1,4,07          1,00,997         70,309         71,309         70,309         71,309			15%	21,01,523	18,829	2,22,825	'	23,43,177	13,43,184	1,13,751	19,536	'	14,76,471	8,66,706	7,58,339
5         Computer Software         60%         10,79,14         83,160         1,00,251         7,0,11,322         40,735         79,971          11,30,209         1,30,597         1,30,597           6         Library Software System         60%         2,28,800          2,28,800         2,24,700         2,460          2,27,160         1,640         1,640           7         Networking Equipment         15%         4,64,294         68,629         1,46,980          1,92,756         40,731         2,1318          2,54,800         7,338         -          2,54,80         1,60,907          2,54,807         1,60,907          2,54,807         2,57,809         2,57,809         2,54,80         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,807         2,54,817         2,64,640         2,6         2,54,817         2,66,697         2,54,841         2,64,46,64         2,6         2,64,64,64         2,6         2,72,237         2,8,841/3			15%	1,71,306	•	ı		1,71,306	88,590	12,407		1	1,00,997	70,309	82,716
6         Library Software Sysyem         60%         2,28,800         -         2,24,700         2,4,600         -         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         1,640         -         2,73,160         1,640         1,640         -         2,73,160         1,640         1,640         -         2,73,160         1,640         -         2,73,180         1,640         2,73,180         2,73,980         2,73,980         2,73,98         2,73,38         2,73,98         2,73,38         2,73,38         2,73,38         2,73,33         2,33,7,34         2,57,038         2,73,38         2,73,237         2,33,7,324         2,57,038         2,73,237         2,33,7,326         2,32,7,327         2,33,7,326         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,237         2,33,7,329         2,32,7,237         2,33,7,329         2,32,7,329         2,32,7,329         2,32,7,237         2,32,7,237         2,32,7,237         2,32,7,239         2,32,7,2			60%	10,79,214	83,160	1,00,251		12,62,625	10,11,322	40,735	79,971	1	11,32,029	1,30,597	67,892
7         Networking Equipment         15%         4,6,294         6,6,600         1,92,756         4,0,731         2,1,318         -,         2,5,4,805         4,25,093           8         Web Cam         15%         18,900         -,         6,79,903         1,92,756         4,0,731         2,1,318         -,         2,5,4,805         4,25,030           9         Server         60%         5,28,777         -,         -,         6,6,777         39,17,266         1,295         -,         2,4,4,173         10,44,604           10         Server         60%         5,28,777         -,         -,         6,5,87,77         39,17,266         1,295         -,         -,         7,338           10         Server         60%         5,23,777         -,         -,         6,5,87,77         39,17,266         1,2,66,907         -,         2,4,4,173         10,4,4,604           10         Server         60%         6,23,4,736         1,2,64,412         10,7,46,412         10,4,6607         10,2,650         10,2,650         10,2,650         10,2,650         10,2,660         10,2,650         10,4,660           10         8,0         8,0         10,2,660         10,2,66,907         10,2,65         10,2,650<			%09	2,28,800	1		I	2,28,800	2,24,700	2,460		1	2,27,160	1,640	4,100
8 Web Cam         15%         18,900         ···         18,900         10,267         1,295         ···         11,562         7,333           9 Server         60%         65,8,777         39,17,266         15,66,907         ···         7,345         10,44,604           10 Library books         60%         22,97,188         10,88,414         12,74,369         -··         46,59,971         39,17,266         15,66,907         ···         8,44,173         10,44,604           Library books         60%         22,97,188         10,88,414         12,74,369         -··         46,59,971         21,46,412         90,466         10,35,359         ···         32,72,237         13,87,734           TOTAL (A)         7         50,56,557         7,31,7594         53,16,816         21,21,70         4,05,65         2,57,239         2,57,239         2,57,239         2,32,239           PREVIOUS YEAR         7         30,166,17         50,56,5557         1,16,62,20         33,19,096         57,22,596         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,2395         2,32,23,295         2,32,23,2557			15%	4,64,294	68,629	1,46,980	•	6,79,903	1,92,756	40,731	21,318	1	2,54,805	4,25,098	2,71,538
9 Server         60%         55,8,777         -         -         65,28,777         39,17,266         15,66,907         -         -         54,4,173         10,44,604           10 ibrary books         60%         22,97,188         10,88,414         12,74,369         -         46,59,971         39,17,266         15,66,907         -         54,84,173         10,44,604           10 ibrary books         60%         22,97,188         10,84,169         12,74,369         9,46,102         10,94,666         13,77,237         13,87,734           10 Total (A)         -         5,05,65,57         42,50,496         6,134,963         5,12,75,94         53,16,816         2,12,1770         4,08,669         3,43,02,518         2,57,02,391           10 Total (A)         -         5,05,65,557         2,46,102         5,05,65,557         1,81,66,270         3,12,170         4,08,669         3,43,02,518         2,57,02,391           PREVIOUS YEAR         3,50,3895         95,22,395         6,07,02,44         6,05,65,557         1,81,66,270         3,31,9,096         8,700         2,72,75,566         2,32,292,537			15%		1		1	18,900	10,267	1,295	1	I	11,562	7,338	8,633
Ibitary books         60%         22,97,188         10,88,414         12,74,369         -         46,59,971         21,46,412         90,466         10,35,359         -         32,72,337         13,87,734           TOTAL (A)          5,05,65,557         42,50,496         61,34,963         9,46,109         2,72,594         53,16,816         10,35,359         -         3,33,0,364         2,37,2,594         2,37,2,594         2,32,2,597         2,37,0,384         2,57,0,394         2,57,0,384         2,57,0,384         2,57,0,394         2,57,0,384         2,57,0,384         2,57,0,394         2,57,0,384         2,57,0,394         2,57,0,384         2,57,0,394         2,57,0,384         2,57,0,394         2,57,0,384         2,57,0,394         2,57,0,394         2,57,0,394         2,57,0,394         2,57,0,394         2,57,0,394         2,57,0,394			60%		1		•	65,28,777	39,17,266	15,66,907	1	1	54,84,173	10,44,604	26,11,511
Keak         5,05,65,557         42,50,496         61,34,963         9,46,109         6,00,04,907         2,72,72,594         53,16,816         2,12,170         4,08,669         3,43,02,518         2,57)02,339           YEAK         3,50,38,995         95,22,995         60,70,244         66,677         5,05,65,557         1,81,66,270         33,19,096         57,98,808         8,700         2,72,7596         2,32,9557	-	Library books	%09			12,74,369	•	46,59,971	21,46,412	90,466	10,35,359	-	32,72,237	13,87,734	1,50,776
3,50,38,995 95,22,995 60,70,244 66,677 5,05,65,557 1,81,66,270 33,19,096 57,98,808 8,700 2,72,72,596 2,32,92,957		TOTAL (A)		5,05,65,557	42,50,496	61,34,963	9,46,109	6,00,04,907	2,72,72,594	53,16,816	21,21,770		3,43,02,518	2,57,02,389	2,32,92,957
		PREVIDUS YEAR		3,50,38,995	95,22,995	60,70,244	66,677	5,05,65,557	1,81,66,270	33,19,096	57,98,808				1,68,72,725

<u>fssat</u>

(राशि रुपये में)

पिछला वर्ष

अनुसूची 10– अन्य		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	1. सरकार में प्रतिभूतियां	_	_
	2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया	_	—
	3. शेयर	_	—
	4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	_	—
	5. समनुषंगी तथा संयुक्त नवोद्यम	_	—
	6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	_	—
	कुल	_	_

2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	_
3. शेयर	_	_
4. डिबेंचर तथा बॉन्ड	_	_
5. समनुषंगी तथा संयुक्त नवोद्यम	_	_
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	_	_
कुल	_	_

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

वर्तमान वर्ष



अनुसूची 9– उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश

1. सरकार में प्रतिभूतियां



SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-



### <u>Jssai</u>

### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11	वर्तमान परिसंपतियां, ऋण तथा अग्रिम आदि	वर्त्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तग	गन परिसंपतियाँ		
1.	वस्तु सूची		
	क) स्टोर्स तथा स्पेयर्स	_	_
	ख) खुले औज़ार	_	_
	ग) व्यापार में स्टॉक		
	तैयार माल	_	_
	कार्य प्रगति पर	_	_
	कार्य प्रगति पर–उत्तरी क्षेत्र (सी एच ई बी)	45,90,000	
	कार्य प्रगति पर–क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	35,24,614	
	कार्य प्रगति पर–क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	30,55,185	
	कच्चा माल		
2.	विविध देनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	_	—
	ख) अन्य	_	—
3.	हाथ में नगदी शेष (चेक⁄ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	45,884	25,000
4.	बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंक में		
	–चालू खाता में (संलग्नक । के अनुसार)	99,33,766	6,44,95,923
	–जमा खाता में (संलग्नक । के अनुसार)	60,88,80,974	_
	–क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खाते (संलग्नक ।। के अनुसार)	5,13,12,079	2,18,10,106
	–मुख्यालय के बचत खाता में (संलग्नक ।। के अनुसार)	49,66,56,908	81,59,35,345
	–मियादी जमा पर कटौती की गई टी डी एस	11,91,413	
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
	–चालू खाते में	_	_
	–जमा खाते में	_	_
	–बचत खाते में	_	_
	5. डाकघर – बचत खाता	_	_
	कुल	1,17,91,90,823	90,22,66,374



(	Amou	unt	in	Rs.)
۰.	/			

			(Amount in Ks.)
SCHEDULE	11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRE	NT ASSETS:		
1.	Inventories		
	a) Stores and Spares	-	-
	b) Loose Tools	-	-
	c) Stock-in-trade		
	Finished Goods	-	-
	Work-in-progress	-	-
	Work-in-progress - Northern Region (CHEB)	45,90,000	
	Work-in-progress - Regional Office Chennai	35,24,614	
	Work-in-progress - Regional Office Kolkata	30,55,185	
	Raw Materials	-	
2.	Sundry Debtors		
	a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
	b) Others	-	-
3.	Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	45,884	25,000
4.	Bank Balances:		
	a) With Scheduled Banks:		
	-On Current Accounts (As per Annexure II)	99,33,766	6,44,95,923
	-On Deposit Accounts (As per Annexure II)	60,88,80,974	-
	-On Regional Offices Saving Accounts <b>(As per Annexure II)</b> -On Saving Accounts with Headquarter <b>(As per Annexure II)</b>	5,13,12,079 49,66,56,908	2,18,10,106 81,59,35,345
	-TDS Deducted on F.D's	11,91,413	
	b) With non-scheduled Banks:		
	-On Current Accounts	-	-
	-On Deposit Accounts	-	-
	-On Saving Accounts	-	-
5.	Post Office-Savings Accounts	-	-
	TOTAL (A)	1,17,91,90,823	90,22,66,374



### <u>JSSU</u>

### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपतियां, ऋण तथा अग्रिम आदि (जारी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख ऋण, अग्रिम तथा अन्य परि संपत्तियाँ		
1. ऋण		
क) स्टाफ	_	-
ख) इस तरह के क्रिया–कलापों⁄उद्देश्यों में शामिल अन्य लोग	_	-
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	_	-
2. नगद या अन्य प्रकार से वसूली योग्य अग्रिम या अन्य राशियाँ या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य		
क) पूंजी खाता में	_	_
ख) पूर्व भुगतान	_	
ग) अन्य	_	
—स्टाफ को अग्रिम <b>(संलग्नक ।।। के अनुसार)</b>	3,02,625	3,21,375
—संविदाकारों तथा अन्य को अग्रिम <b>(अनुसूची ।। (ख) (1) के अनुसा</b> र	<b>7)</b> 3,58,88,030	5,34,40,904
–प्रतिभूति जमा	1,26,87,070	1,15,00,840
–एल टी सी तथा चिकित्सा अग्रिम (2014–15) <b>(संलग्नक III के अनुस</b>	90,866 ( <b>ज</b>	
—आई ई सी के लिए अग्रिम (2014—15) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	1,74,44,611	_
–प्रशिक्षण के लिए अग्रिम (2014–15) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	60,63,400	
—पुस्तकालय के लिए अग्रिम (2014—15) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	48,550	_
–विदेश दौरा के लिए अग्रिम (2014–15) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	5,94,227	
—अन्य के लिए अग्रिम (2014—15) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	45,67,696	_
—आई ई सी के लिए अग्रिम (2013—14) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	5,50,55,664	5,50,55,664
—प्रशिक्षण के लिए अग्रिम (2013—14) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	5,18,234	9,65,698
–पुस्तकालय के लिए अग्रिम (2013–14) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	46,000	64,660
–विदेश दौरा अग्रिम (2013–14) <b>(संलग्नक ।।। के अनुसार)</b>		6,77,721
—अन्य के लिए अग्रिम (2013—14) <b>(संलग्नक III के अनुसार)</b>	9900	29,02,152
3. प्रोद्दभूत आय		
क) उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	-	
ख) निवेश–अन्य से	_	–
ग) ऋण तथा अग्रिम से	-	–
घ) अन्य		
4. प्राप्ति योग्य दावे		
कुल (ख)	13,33,16,873	12,49,29,019
कुल (क+ख)	1,31,25,07,696	1,02,71,95,393



HEDULI	E 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year	Previous Yea
LOANS	, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1.	Loans		
	a) Staff	-	
	b) Other Entities engaged in activities/objectives similar	-	
	to that of the Entity	-	
	c) Other(specify)	-	
2.	Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
	a) On Capital Account	-	
	b) Prepayments	-	
	c) Others	-	
	- Advance to Staff (as per Annexure III)	3,02,625	3,21,37
	- Advance to Contractors and others (as per Schedule-11(B)(1))	3,58,88,030	5,34,40,90
	- Security Deposits	1,26,87,070	1,15,00,84
	- LTC & Medical Advance (2014-2015) (as per Annexure III)	90,866	
	Advance for IEC (2014- 2015) (as per Annexure III)	1,74,44,611	
	- Advance for Training (2014-2015) (as per Annexure III)	60,63,400	
	- Advance for Library (2014-2015) (as per Annexure III)	48,550	
	- Foreign Tour Advance (2014-2015) (as per Annexure III)	5,94,227	
	- Advance for Others (2014-2015) (as per Annexure III)	45,67,696	
	- Advance For IEC (2013-14) (as per Annexure III)	5,50,55,664	5,50,55,66
	- Advance for Training (2013-14) (as per Annexure III)	5,18,234	9,65,69
	- Advance for Library (2013-14) (as per Annexure III)	46,000	64,66
	- Foreign Tour Advance (2013-14) (as per Annexure III)	-	6,77,72
	- Advance for Others (2013-2014) (as per Annexure III)	9,900	29,02,15
3.	Income Accrued		
	a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	-	
	b) On Investments - Others	-	
	c) On Loans & Advances	-	
	d) Others	-	
4.	Claims Receivable	-	
то	TAL(B)	13,33,16,873	12,49,29,01
то	TAL(A+B)	1,31,25,07,696	1,02,71,95,39



### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

5.	प्राधिकृत अधिकारी सी. पोर्ट, चेन्नई	10,000	10,000
3. 4.	प्राधिकृत अधिकारी, चेन्नई प्राधिकृत अधिकारी जे. एन. पी. टी. नावाशेवा	10,000	10,000 10,000
5.	प्राधिकृत अधिकारी सी. पोर्ट, चेन्नई	10,000	10,000
6.	बी. ए. जी. फूल	1,200	1,200
7.	खाद्य संरक्षा कमीशन इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई		17,13,500
8.	खाद्य सुरंक्षा आयुक्त, जम्मू और कश्मीर	2,45,073	2,45,073
9.	भारतीय उद्योग संघ	18,50,000	18,50,000
10.	भारतीय उपभोक्ता संघ, चेन्नई	58,148	58,148
11.	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन	2,19,78,385	3,73,32,359
12.	डी. जी. प्रशासन अकादमी भोपाल	90,000	90,000
13.	दक्ष शिक्षा एवं कल्याण सोसाइटी	2,64,900	4,14,900
14.	डी. डी. यू. ग्रामीण विकास राज्य संस्थान लखनऊ	2,34,008	2,34,008
15.	खाद्य सुरक्षा उपायुक्त	_	2,49,000
16.	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी. ए. वी. पी.)	44,56,977	44,56,977
17.	उप निदेशक एस. पी. आई. पी. ए., अहमदाबाद	1,002	1,002
18.	फिक्की	79,750	79,750
19.	महासचिव, दिल्ली टेलीग्राफ अकादमी	50,000	50,000
20.	एच.एस. सी. सी. इंडिया लिमिटेड	16,414	16,414
21.	भारतीय व्यापार उन्नयन संगठन	2,00,000	2,00,000
22.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु	4,37,698	4,37,698
23.	भारतीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	47,43,444	47,43,444
24.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एस. एस. बिल्डकोन गाजियाबाद)	2,00,000	2,00,000
25.	राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, जयपुर	4,56,400	4,56,400
26.	यू. ए. एच. एफ. डब्लु. एस. खाद्य संरक्षा एवं मानक, देहारादून	1,61,600	1,61,600
27.	पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार	_	86,400
28.	उप निदेशक, चेन्नई	1,10,000	1,10,000
29.	उप निदेशक (एफ. एंड वी. पी.), एन. बी. सी. सी.	44,394	44,394
30.	उप निदेशक, गुवाहाटी	10,000	10,000
31.	उप निदेशक, कोलकाता	62,336	62,336
32.	उप निदेशक, मुंबई	90,000	90,000
	योग	3,58,88,030	5,34,40,904



			(Amount in Rs.)
Sl.No.	SCHEDULE 11(B)(1)ADVANCE TO CONTRACTOR AND OTHERS	Current Year	Previous Year
1	ABP Pvt. Ltd.	14,134	14,134
2	All India Food Processing Association	2,167	2,167
3	Authorised Officer Chennai	10,000	10,000
4	Authorised Officer JNPT Nhava Sheva	10,000	10,000
5	Authorised Officer Sea Port Chennai	10,000	10,000
6	BAG Full	1,200	1,200
7	Commission of Food Safety Indian Overseas Bank, Chennai	-	17,13,500
8	Commissioner of Food Safety, J&K	2,45,073	2,45,073
9	Confederation of Indian Industries	18,50,000	18,50,000
10	Consumer Association of India Chennai	58,148	58,148
11	Central Drugs Standards Control Organisation	2,19,78,385	3,73,32,359
12	D.G. Academy of Administration Bhopal	90,000	90,000
13	Daksh Education & Welfare Society	2,64,900	4,14,900
14	DDU State Institute of Rural Development, Lucknow	2,34,008	2,34,008
15	Deputy Food Safety Commissioner	-	2,49,000
16	Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP)	44,56,977	44,56,977
17	Dy Director SPIPA, Ahmedabad	1,002	1,002
18	FICCI	79,750	79,750
19	General Secretary, Delhi Telegraph Academy	50,000	50,000
20	H.S.C.C. India Ltd	16,414	16,414
21	India Trade Promotion Organisation	2,00,000	2,00,000
22	Indian Institute of Management, Bangalore	4,37,698	4,37,698
23	National Institute of Nutrition, Hyderabad	47,43,444	47,43,444
24	Ministry of Health & Family Welfare (S.S. Buildcon, GZB)	2,00,000	2,00,000
25	State Health Society , Jaipur	4,56,400	4,56,400
26	UAHFWS Food Safety& Standards, Dehradun	1,61,600	1,61,600
27	West Bengal State Health & Family	-	86,400
28	Deputy Director Chennai	1,10,000	1,10,000
29	Deputy Director (F&VP) NBCC	44,394	44,394
30	Deputy Director, Guwahati	10,000	10,000
31	Deputy Director, Kolkata	62,336	62,336
32	Deputy Director, Mumbai	90,000	90,000
	TOTAL	3,58,88,030	5,34,40,904

	<u>Jssai</u>	
31.0	भारत )3.2015 को समाप्त वष्	ीय खाद्य संरक्षा एवं र्व के लिए आय और
अनुमूची 12-	तिकग / सेताओं से आ	זו

मानक प्राधिकरण र व्यय का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

Γ	1	
	वर्त्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12– विक्रय/सेवाओं से आय		
1) विक्रय से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	_
ख) कच्चे माल की बिक्री	_	_
ग) रददी की बिक्री	_	_
2) सेवाओं से आय		
क) लाइसेंस शुल्क	18,80,11,968	17,62,59,167
ख) नमूना परीक्षण शुल्क	69,42,795	61,43,928
ग) उत्पाद अनुमोदन शुल्क	3,54,00,056	8,38,26,060
योग	23,03,54,819	26,62,29,155

	वर्त्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 13– अनुदान ⁄ सब्सिडी		
1. केंद्र सरकार	41,11,00,000	66,09,00,000
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)		
2. राज्य सरकार	-	_
3. सरकारी एजेंसियां	_	_
4. संस्थान/कल्याण संस्थाएं	_	_
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	_	_
6. अन्यः		
जोड़ें: वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष	27,02,64,441	3,07,02,159
घटाएँः वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेष	(23,48,59,841)	(23,02,64,441)
घटाएँः वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	_	_
योग	44,65,04,600	42,13,37,718



### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

		Current Year	Previous Year
SCHEDULE	E 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES		
1)	Income from Sales		
	a) Sale of Finished Goods		
	b) Sale of Raw Material	-	-
	c) Sale of Scraps	-	-
2)	Income from Services		
	a) Licence Fee	18,80,11,968	17,62,59,167
	b) Sample Testing Fee	69,42,795	61,43,928
	c) Product Approval Fee	3,54,00,056	8,38,26,060
	TOTAL	23,03,54,819	26,62,29,155

		Current Year	Previous Year
SCHEDULE	13 - GRANTS/SUBSIDIES		
1)	Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	41,11,00,000	66,09,00,000
2)	State Government	-	-
3)	Government Agencies	-	-
4)	Institutions/Welfare Bodies	-	-
5)	International Organisations	-	-
6)	Others :		
	Add: Unspent balance at the beginging of the year	27,02,64,441	3,07,02,159
	Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(23,48,59,841)	(27,02,64,441)
	Less: Grants Capitalised during the year	-	-
	TOTAL	44,65,04,600	42,13,37,718



### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय का भाग बनानेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 16— रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	_
2. प्रकाशन से आय	-	_
3. अन्य (निर्दिष्ट करे)	-	_
योग	_	_

अनुसूची 17– अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. मियादी जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	_	_
बैंक ऑफ बड़ौदा	37,95,410	_
आई सी आई सी आई बैंक	39,74,194	_
ओरिं,टल बैंक ऑफ कॉमर्स	41,44,516	_
ख) गैर अनुसूचित बैकों में	_	_
ग) संस्थानों में		_
घ) अन्य		_
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैकों में (संलग्नक IV के अनुसार)	3,43,45,639	1,70,08,038
ख) गैर अनुसूचित बैकों में	_	_
ग) डाकघर बचत खाते	_	_
घ) अन्यः	_	_
3. ऋणों परः	_	_
क) कर्मचारी ⁄ स्टाफ	-	_
ख) अन्य	-	_
योग	4,62,59,759	1,70,08,038



### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

SCHEDULE	16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Income from Royalty	-	-
2	Income from Publication	-	-
3	Others (Specify)	-	-
	TOTAL	-	-

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE	E 17 - INTEREST EARNED		
1	On Term Deposits		
	a) With Scheduled Banks	-	-
	Bank of Baroda ICICI Bank	37,95,410 39,74,194	
	Oriental Bank of Commerce	41,44,516	
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
2	On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks (as per Annexure IV)	3,43,45,639	1,70,08,038
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) Post Office Saving Accounts	-	-
	d) Others:	-	-
3	On Loans:	-	-
	a) Employees/Staff	-	-
	b) Others	-	-
	TOTAL	4,62,59,759	1,70,08,038





### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय का भाग बनानेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 18– अन्य आय	वर्त्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क. मालिकाना परिसंपत्तियां	_	2,878
ख. अनुदान से अर्जित या निशुल्क प्राप्त परिसपत्तियां	_	_
2. विविध आय		
–अतिथि गृह से आय	1,19,711	1,57,565
–पुराने अखबारों की बिक्री	21,946	35,671
–निविदा फार्मों की बिक्री	1,000	40,500
–आरटीआई शुल्क	21,516	5,387
–अन्य		
दण्डात्मक ब्याज और वसूलियां	9,594	1,36,520
–परीक्षा शुल्क	_	8,500
योग	1,73,767	3,87,021

अनुसूची 19— तैयार माल के स्टाक और कार्य प्रगति में वृद्धि / (कमी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
–तैयार माल	_	_
–कार्य प्रगति	_	_
ख) –घटांवः आरम्भिक स्टॉक	_	_
–तैयार माल	_	_
–कार्य प्रगति	_	_
निवल वृद्धि / (कमी) (क—ख)	_	_

अनुसूची 20– स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	9,05,34,629	9,52,93,483
ख) भत्ते एवं बोनस	31,086	31,086
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	_
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति,वं अंतिम लाभों पर व्यय	_	_
ङ) अन्य		
–चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	5,17,622	23,77,695
योग	9,10,83,337	9,77,02,264



### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

SCHEDUL	E 18 - OTHER INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	2,878
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2	Miscellaneous Income		
	-Guest House Earnings	1,19,711	1,57,565
	-Sale of old Newspapers	21,946	35,671
	-Sale of Tender Form	1,000	40,500
	-RTI Fees	21,516	5,387
	-Others:		
	Penal Interest & Recoveries	9,594	1,36,520
	-Examination Fees	-	8,500
	TOTAL	1,73,767	3,87,021

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS		
a) Closing Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	-	-

SCHEDULE	20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) b)	Salaries and Wages Allowances and Bonus	9,05,34,629 31,086	9,52,93,483 31,086
c) d)	Staff Welfare Expenses Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits	-	-
e)	Others: -Reimbursement of Medical Claims	5,17,622	23,77,695
	TOTAL	9,10,83,337	9,77,02,264



### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय का भाग बनानेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 21– स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	-	_
ख) विद्युत एवं ऊर्जा	51,37,138.00	49,58,263.00
ग) जल प्रभार	7,52,919.00	3,51,188.00
घ) किराया, दरें और कर	2,98,40,308.00	2,73,55,785.00
ङ) डाक और संचार व्यय	7,04,563.00	6,60,777.00
च) प्रिटिंग और स्टेशनरी	4,10,714.00	2,80,416.00
छ) यात्रा और वाहन व्यय	2,41,28,804.00	2,50,23,804.00
ज) सेमिनारों ⁄ कार्यशालाओं पर व्यय	14,06,164.00	24,085.00
झ) सदस्यता शुल्क व्यय(कोडेक्स न्यास फंड को अंशदान)	9,12,513.00	_
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक		_
ट) कानूनी और प्रोफेशनल व्यय	17,91,32,176.00	9,73,31,352.00
ठ) खाद्य आयात क्लीयरेंस प्रक्रिया के संचालन पर व्यय		_
ड) आईईसी और प्रचार व्यय	1,05,21,481.00	1,61,49,497.00
ढ) कार्यालय व्यय	71,13,121.00	48,53,246.00
ण) प्रशिक्षण प्रभार	48,65,184.00	18,55,483.00
त) प्रकाशन व्यय		_
थ) टेलीफोन और मोबाइल व्यय	8,54,687.00	8,75,233.00
द) मनोरंजन व्यय	1,42,059.00	21,274.00
ध) अतिथि गृह		_
न) नमूना प्रभार	_	_
प) सुरक्षा प्रभार	_	_
फ) अन्य प्रशासनिक व्यय		
–बैंक प्रभार	32,436.00	76,815.00
–इंटरनेट व्यय	75,478.00	69,635.00
–कम्प्यूटर व्यय	_	_
–सदस्यता शुल्क		_
–डिजीटलीकरण व्यय		_
–जनरेटर व्यय		_
–अन्य	1,73,67,226.00	1,68,90,690.00
ब. अवधि पूर्व व्यय	42,68,660.00	1,33,55,149.00
योग	28,76,65,631	21,01,32,692
अनसची २२ —मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष

अनुसूची 22 —मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
मरम्मत एवं रखरखाव		
(i) कार्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव	75,51,054	1,00,61,930
(ii) एसी प्लांट, कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	_	2,49,392
(iii) वहनों की मरम्मत, प्रचालन एवं रखरखाव	_	_
(iii) अन्य	_	_
योग	75,51,054	1,03,11,322



### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

SCHEDULE	21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	Labour and processing expenses	-	-
b)	Electricity and Power	51,37,138.00	49,58,263.00
c)	Water charges	7,52,919.00	3,51,188.00
d)	Rent, Rates and Taxes	2,98,40,308.00	2,73,55,785.00
e)	Postage and Communication Charges	7,04,563.00	6,60,777.00
f)	Printing & Stationery	4,10,714.00	2,80,416.00
g)	Travelling and Conveyance Expenses	2,41,28,804.00	2,50,23,804.00
h)	Expenses on Seminar/Workshops	14,06,164.00	24,085.00
i)	Subscription Expenses (Contribution to Codex Trust Fund)	9,12,513.00	-
j)	Auditors Remuneration	-	-
k)	Legal & Professional Charges	17,91,32,176.00	9,73,31,352.00
l)	Expenses on operationalisation of food		
	Import Clearance Process	-	-
m)	IEC & Publicity Expenses	1,05,21,481.00	1,61,49,497.00
n)	Office Expenses	71,13,121.00	48,53,246.00
o)	Training Charges	48,65,184.00	18,55,483.00
p)	Publication expenses	-	-
q)	Telephone & Mobile Expenses	8,54,687.00	8,75,233.00
r)	Entertainment Exp	1,42,059.00	21,274.00
s)	Guest House.	-	-
t)	Sample Charges	-	-
u)	Security Charges	-	-
v)	Other Administrative Expenses		
,	-Bank Charges	32,436.00	76,815.00
	-Internet Charges	75,478.00	69,635.00
	-Computer Expenses	-	-
	-Membership Fees	-	-
	-Digitisation charges	-	-
	-Generator Expenses	-	-
	-Others	1,73,67,226.00	1,68,90,690.00
w)	Prior Period Expenditure	42,68,660.00	1,33,55,149.00
	TOTAL	28,76,65,631	21,01,32,692
	22 -Repair & Maintenance Expenses	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
•	Maintenance		1 00 01 000
i)	Repair and Maintenance of Office	75,51,054	1,00,61,930
ii)	Repair and Maintenance of AC Plant, Computers &		2 40 202
	Other Equipments	-	2,49,392
iii)	Repair, Running and Maintenance of Vehicles	-	-
iv)	Others	-	-
	TOTAL 75,51,054	1,03,11,322	
L			



### भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय का भाग बनानेवाली अनुसूचियाँ

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 23– अनुदानो, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय		
क. संस्थानों/संगठनों (सी एफ टी आर आई, मैसूर) को दिए गए अनुदान	30,00,000	30,00,000
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	_	_
योग	30,00,000	30,00,000

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 24– मूल्यह्नास		
स्थायी परिसम्पतियों पर	70,29,917	91,09,203
योग	70,29,917	91,09,203
घटाएं : स्थायी परिसंपति निधि में अन्तरित		
योग	70,29,917	91,09,203
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 25— चुकाए गए ब्याज		
क. स्थायी ऋणों पर	_	_
ख. अन्य ऋणों पर	_	-
ग. अन्य–सीपीएफ पर ब्याज	_	-
योग	_	_



### FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

		Current Year	Previous Year
SCHEDULE	23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
a)	Grants Given to Institutions/Organisation (CFTRI, Mysore)	30,00,000	30,00,000
b)	Subsidies given to Institutions/Organisations	_	_
	TOTAL	30,00,000	30,00,000

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 24 - DEPRECIATION		
On Fixed Assets	70,29,917	91,09,203
TOTAL	70,29,917	91,09,203
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	_	_
TOTAL	70,29,917	91,09,203
	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 25 - INTEREST PAID		
a) On Fixed Loans	_	—
b) On Other Loans	—	—
c) Others- Interest on CPF	_	
TOTAL		_



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को तुलन पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूचियाँ

नकदी आधार पर अव्ययित अनुदानों का निरूपण	2014–15	2013-14
अंतिम दिन नकदी और बैंक शेष	53,34,34,203.00	88,04,56,268.00
क्षेत्रीय कार्यालयों में शेष	2,45,14,434.00	2,18,10,106.00
जोड़ेंः मियादी जमा में निवेश	60,88,80,974.00	
जोड़ेंः मियादी जमा पर प्रतिदेय टीडीएस	11,91,413.00	
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	30,11,59,250.00	
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	33,18,78,910.00.00	33,18,78,910.00
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	25,53,25,389.00	25,53,25,389.00
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	3,12,84,900.00	3,12,84,900.00
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	71,96,249.00	71,96,249.00
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	49,83,589.00	49,83,589.00
घटाएँः वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए एफ एस एस ए आई का आंतरिक अर्जन	13,32,896.00	13,32,896.00
वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान (वर्तमान देयता)	23,48,59,841.00	27,02,64,441.00
वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त अनुदान	41,11,00,000.00	66,09,00,000.00
जोड़ें: वर्ष के प्रारम्भ में अव्ययित शेष	27,02,64,441.00	3,07,02,159.00
घटाएँः वर्ष के अंत में अव्ययित शेष	(23,48,59,841.00)	(27,02,159.00)
घटाएँः वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान		
आय के रूप में दर्शाया गया अनुदान	44,65,04,600.00	42,13,37,718.00
वित्तीय वर्ष के लिए एफ एस एस ए आई को अनुदान छोड़कर प्राप्त निधियाँ	2014—15	2013—14
लाइसेंस शुल्क	18,80,11,968.00	17,62,59,167.00
उत्पाद अनुमोदन	3,54,00,056.00	8,38,26,060.00
नमूना परीक्षण	55,84,370.00	5,44,14,022.00
A1		
बैंक ब्याज	4,62,59,759.00	1,70,08,038.00
जुर्माना ब्याज	4,62,59,759.00 9,594.00	1,70,08,038.00 1,36,520.00
जुर्माना ब्याज अतिथि गृह शुल्क		
जुर्माना ब्याज अतिथि गृह शुल्क आर टी आई शुल्क	9,594.00	1,36,520.00
जुर्माना ब्याज अतिथि गृह शुल्क आर टी आई शुल्क निविदा⁄समाचार पत्रों की बिक्री	9,594.00 1,19,711.00	1,36,520.00 2,01,736.00
जुर्माना ब्याज अतिथि गृह शुल्क आर टी आई शुल्क निविदा ⁄ समाचार पत्रों की बिक्री निविदा की लागत	9,594.00 1,19,711.00 21,516.00	1,36,520.00 2,01,736.00 5,387.00
जुर्माना ब्याज अतिथि गृह शुल्क आर टी आई शुल्क निविदा⁄समाचार पत्रों की बिक्री	9,594.00 1,19,711.00 21,516.00 21,946.00	1,36,520.00 2,01,736.00 5,387.00
जुर्माना ब्याज अतिथि गृह शुल्क आर टी आई शुल्क निविदा⁄समाचार पत्रों की बिक्री निविदा की लागत	9,594.00 1,19,711.00 21,516.00 21,946.00 1,000.00	1,36,520.00 2,01,736.00 5,387.00

33,18,78,910.00

\_

—

6,792.00

1,37,319.00

30,11,59,250.00

68,251.00

वेतन से सांविधिक कटौती

विभिन्न प्राप्तियाँ

पुराने चेक



Treatr	ment of Unspent Grants on CASH BASIS	2014-15	2013-14
	Cash & Bank Balance as on last day	53,34,34,203.00	88,04,56,268.00
	Balance with Regional Offices	2,45,14,434.00	2,18,10,106.00
ADD:	Investments in FD	60,88,80,974.00	
ADD:	TDS Refundable on FD	11,91,413.00	
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2014-15	30,11,59,250.00	-
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2013-14	33,18,78,910.00	33,18,78,910.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2012-13	25,53,25,389.00	25,53,25,389.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2011-12	3,12,84,900.00	3,12,84,900.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2010-11	71,96,249.00	71,96,249.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2009-10	49,83,589.00	49,83,589.00
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2008-09	13,32,896.00	13,32,896.00
	Unspent Grant for the year (Current Liability)	23,48,59,841.00	27,02,64,441.00
	Grant received during the year	41,11,00,000.00	66,09,00,000.00
Add:	Unspent balance at the beginging of the year	27,02,64,441.00	3,07,02,159.00
Less:	Unpent balance of grant at the end of the year	(23,48,59,841.00)	(27,02,64,441.00)
Less:	Grants Capitalised during the year	-	-
	Grants to be shown as Income	44,65,04,600.00	42,13,37,718.00

2014-15	2013-14
18,80,11,968.00	17,62,59,167.00
3,54,00,056.00	8,38,26,060.00
55,84,370.00	5,44,14,002.00
4,62,59,759.00	1,70,08,038.00
9,594.00	1,36,520.00
1,19,711.00	2,01,736.00
21,516.00	5,387.00
21,946.00	28,000.00
1,000.00	-
2,50,00,000.00	-
5,16,968.00	-
6,792.00	-
1,37,319.00	-
68,251.00	-
30,11,59,250.00	33,18,78,910.00
	18,80,11,968.00 $3,54,00,056.00$ $55,84,370.00$ $4,62,59,759.00$ $9,594.00$ $1,19,711.00$ $21,516.00$ $21,946.00$ $1,000.00$ $2,50,00,000.00$ $5,16,968.00$ $6,792.00$ $1,37,319.00$ $68,251.00$





					)		(राशि रुपये में)
क्रम सं.	. प्रास्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्रम सं.	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
-	आरंभिक शेष			_	व्यय		
	क) नकदी शेष	25,000	I		क) स्थापना व्यय	8,33,50,785	8,90,81,264
	ख) बेंक में शेष				(अनुसूची 20 के अनुसार)		
	–बचत बैक खाते	90,22,41,374	33,08,25,182		ख) प्रशासनिक च्यय	28,69,43,702	21,53,50,930
	–चालू जमा				(अनुसूची 21 के अनुसार)		
	–जमा खाते				ग) मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	73,46,784	88,63,147
					(अनुसूची 22 के अनुसार)		
=	प्राप्त अनुदान				अन्य व्यय	48,667	83,851
	क. भारत सरकार से			=	दिए गए अनुदान		
	—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मणन्नालय	41,11,00,000	66,09,00,000		सहायता अनुदान	30,00,000	30,00,000
	–स्वास्थ्य विभाग (पूंजीगत अनुदान)	I	I				
				Ξ	किए गए निवेश एवं जमाएं		
≡	निवेशों से आय	I	I		क. चिन्हित⁄रथाई कोष से		
	क. चिंहित⁄स्थाई कोष				ख. अपने कोष से (निवेश–अन्य)	60,00,00,000	
	ख. निजी कोष (अन्य निवेश)						
				≥	स्थिर परिसंपत्तियों और कार्यश्रील पूंजी पर व्यय		
2	प्राप्त ब्याज				क. स्थिर परिसम्पतियों की खरीद	1,03,85,459	89,97,785
	बैंक जमाओं पर (बचत)	3,43,45,639	1,70,08,038		ख. कार्यशील पूंजी पर व्यय	45,65,040	40,54,759
	बैंक जमाओं पर (एफडीआर)	18,41,733					
	ऋणों, अग्रिमों इत्यादि पर			>	कर्मचारियों को अग्रिम	42,27,543	25,89,283
>	लइसेंसिसियों से प्राप्त आय						
	—लाइसेंस शुल्क	18,80,11,968	17,62,59,167	⋝	सप्लायर्स∕अन्य को अग्रिम	4,23,69,890	9,09,50,370
	—नमूना परीक्षण शुल्क	69,42,795	5,44,14,002				
	—उत्पाद स्वीकृति	3,54,00,056	8,38,26,060				

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि हेतु प्राप्तियां और भुगतान

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2014 TO 31.03.2015

S.No.	. RECEIPTS	CURRENT YEAR	<b>PREVIOUS YEAR</b>	S.No.	S.No. PAYMENTS	<b>CURRENT YEAR</b>	PREVIOUS YEAR
_	Opening Balance			_	Expenses		
	a) Cash in hand	25,000	ı		a) Establishment Expenses	8,33,50,785	8,90,81,264
	b) Bank Balances				(Corresponding to Schedule 20)		
	i) Saving Bank Accounts	90,22,41,374	33,08,25,182		b) Administrative Expenses	28,69,43,702	21,53,50,930
	ii) Current Deposits		I		(Corresponding to Schedule 21)		
	iii) Deposit Account		I		c) Repair & Maintenance Expenses	73,46,784	88,63,147
					(Corresponding to Schedule 22)		
					d) Other Expenses	48,667	83,851
=	Grants Received						
	a) From Government of India			=	Grants Given		
	- Ministry of Health & Family Welfare	41,11,00,000	66,09,00,000		Grant in Aid	30,00,000	30,00,000
	- Department of Health (Capital Grant)	1	1				
				=	Investments and deposits made		
≡	Income on Investments from				a) Out of Earmarked/Endowment funds		I
	a) Earmarked/Endow. Funds	I	ı		b) Out of Own Funds (Investments -Others)	60,00,00,000	ı
	b) Own funds (Oth. Investments)	I	ı				
				≥	Expenditure on Fixed Assets &		
≥	Interest Received				Capital Work in Progress		
	On Bank Deposits (Saving)	3,43,45,639	1,70,08,038		a) Purchase of Fixed Assets	1,03,85,459	89,97,785
	On Bank Deposits (FDR)	18,41,733	1		b) Expenditure on Capital Work in Progress	45,65,040	40,54,759
	Loans, Advances etc.	I	1				
				>	Advance to Employees	42,27,543	25,89,283
>	Income received from Licencee's						
	- Licence Fees	18,80,11,968	17,62,59,167	5	Advances to Suppliers/Others	4,23,69,890	9,09,50,370
	- Sample Testing Fees	69,42,795	5,44,14,002				
	-Product Approval	3,54,00,056	8,38,26,060				









5	निवेश का नकदीकर.।			⋝	टीडीएस जमाः		
					–ठेकेदारों पर	3,94,009	4,04,665
١١	–प्राप्त टीडी,स		Ι		–किराए पर	3,31,096	13,76,616
	—अनुबधों पर	Ι	I		–प्रोफेशनल्स पर	40,86,813	49,47,684
	–किराये पर	I	I		–वेतन पर	42,35,546	45,89,056
	–प्रोफेशनल पर	1	I				
	—वेतन पर	I	5,56,081	IIN N	ढेकेदार की ईएमडी∕प्रतिभूति जमा	10,91,965	30,09,000
Ţ	ll समायोजित अग्रिम						
	—कर्मचारी	35,61,200	27,67,140	×	वेतन से कटौती	63,82,752	55,37,057
	−सप्लायर्स∕अन्य	3,25,88,991	1,51,32,001				
×	अन्य कोई प्राप्ति			×	पुराने चेक	65,376	I
	आरटीआई शुल्क	21,516	5,387	×	प्रत्यायित प्रयोगशालाएं	23,23,38,794	I
	समाचारपत्रों की बिक्री	21,946	35,671				
	निविदा फार्म की बिक्री	1,000	28,000	X	अंतिम श्रेष		
	विविध आय	1,29,305	3,02,585		क– नकदी शेष	45,884	25,000
	अवधि पूर्व आय	20,087	6,59,259		खन बैंक में शेष		
	टीडीएस रिफंड	Ι	I		–बचत बैंक खाते	55,79,02,753	90,22,41,374
					<u>–चालू</u> जमा		
×	ठेकेदार की ईएमडी/प्रतिमूति जमा	16,08,933	17,12,737		–जमा खाते		
X	वेतन से कटौती	68,251	3,51,713				
ШX	पुराने चेक	2,02,695	3,18,818				
XIII	l प्रत्यायित प्रयोगशालाएं	23,09,80,369	Ι				
	योग	1,84,91,12,858	1,34,51,01,841		योग	1,84,91,12,858	1,34,51,01,841
मुख्य स्थान दिनांव	मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्थान नई दिल्ली दिनांक 27.07.201	खप	उप निदेशक (वित्त)		सहायक ले	लेखा अधिकारी	

<u>Jssai</u>

5	Encashment of Investment	1	1	⋝	TDS Deposit:		
					-on Contractors	3,94,009	4,04,665
I	TDS Received:				-on Rent	3,31,096	13,76,616
	-on Contractors		1		-on Professional	40,86,813	49,47,684
	-on Rent	•	1		-on Salary	42,35,546	45,89,056
	-on Professional	•	1				
	-on Salary		5,56,081				I
				II,	Contractor's EMD/ Security Deposits	10,91,965	30,09,000
IIIN	Advances Adjusted						I
	-Employees	35,61,200	27,67,140	×	Deductions from salary	63,82,752	55,37,057
	-Suppliers/Others	3,25,88,991	1,51,32,001				I
							I
×	Any other receipts :			×	Stale Cheques	65,376	I
	RTI fees	21,516	5,387				
	Sale of Newspaper	21,946	35,671	×	Accredited Laboratories	23,23,38,794	I
	Sale of Tender Form	1,000	28,000				
	Misc. Income	1,29,305	3,02,585				
	Prior Period Income	20,087	6,59,259	IX	<b>Closing Balances</b>		
	TDS Refund		1		a) Cash in hand	45,884	25,000
					b) Bank Balances		
×	Contractor's EMD/ Security Deposits	16,08,933	17,12,737		i) Saving Bank Accounts	55,79,02,753	90,22,41,374
					ii) Current Deposits		I
X	Deduction from salary	68,251	3,51,713		iii) Deposit Account		I
XII	Stale Cheques	2,02,695	3,18,818				
XIII	Accredited Laboratories	23,09,80,369	I				
	TOTAL	1,84,91,12,858	1,34,51,01,841			1,84,91,12,858	1,34,51,01,841
CHI PLA	chief executive oficer Place : New Delhi Date: 27.07.201		dy. Director (finance)	ANCE)	ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER	UNTS OFFICER	





### प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के दावे

संलग्नक ।

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	मुख्यालय	99,37,011.00
2	क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	46,51,596.00
3	क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चीन	8,94,163.00
4	क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	2,55,90,528.00
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	10,39,805.00
6	क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र	47,98,546.00
	योग	4,69,11,649.00



Annexure I

### ACCREDITED LABORATORIES CLAIM

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Head Quarter	99,37,011.00
2	Regional office Chennai	46,51,596.00
3	Regional office Cochin	8,94,163.00
4	Regional office Mumbai	2,55,90,528.00
5	Regional office Kolkata	10,39,805.00
6	Regional office Northern Region	47,98,546.00
	TOTAL	4,69,11,649.00




# संलग्नक II

		चालू खाते		
क्रम सं.	विवरण	खाता सं.	बैंक	राशि
1	क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	00000032302220325	एसबीआई	43,93,540 / -
2	क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	32589757745	एसबीआई	32,01,467 / -
3	मुख्यालय, नई दिल्ली	32107255077	एसबीआई	10,54,448 / -
4	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	32438212886	एसबीआई	3,21,025 / -
5	क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र	32431522645	एसबीआई	9,63,286 / -
			योग	99,33,766

# मुख्यालय में बचत खाते

कम सं.	प्रयोजन	खाता सं.	खाता प्रकार	राशि
1	सहायता अनुदान	26030100006313	बैंक ऑफ बड़ौदा	18,31,57,046 /
2	प्राप्ति खाता	26030100008653	बैंक ऑफ बड़ौदा	21,80,03,110 / -
3	कैन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य अनुदान	26030100005654	बैंक ऑफ बड़ौदा	9,54,96,752 / -
			योग	49,66,56,908 /



#### Annexure II

# CURRENT ACCOUNTS

Sr. No.	Particulars	Account No.	Bank	Amount
1	Regional Office, Mumbai	00000032302220325	SBI	43,93,540/-
2	Regional Office, Mumbai	32589757745	SBI	32,01,467/-
3	Headquarter, New Delhi	32107255077	SBI	10,54,448/-
4	Regional Office, Chennai	32438212886	SBI	3,21,025/-
5	Regional Office, NR	32431522645	SBI	9,63,286/-
			TOTAL	99,33,766/-

## SAVINGS ACCOUNTS WITH HEADQUARTER

Sr. No.	Purpose	Account No.	Account Type	Amount
1	Grant in Aid	26030100006313	BOB	18,31,57,046/-
2	Receipt Account	26030100008653	BOB	21,80,03,110/-
3	Centrally Sponsored Scheme -			
	State Grants	26030100005654	BOB	9,54,96,752/-
			TOTAL	49,66,56,908/-





# क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खाते

क्रम सं.	विवरण	खाता सं.	बैंक	राशि
1	सी एफ एल, कोलकाता	09020100004758	बैंक ऑफ बड़ौदा	74,75,792 / -
2	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	168701000006201	आई. ओ. बी.	58,22,738 / -
3	नमूना परीक्षण, चेन्नई	05290100019364	बैंक ऑफ बड़ौदा	45,03,243 / -
4	क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	08020100003247	बैंक ऑफ बड़ौदा	13,35,653 / -
5	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	27670100007292	बैंक ऑफ बड़ौदा	5,23,733 / -
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	19700100011468	बैंक ऑफ बड़ौदा	40,12,001 / -
7	क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	1517101058298	केनरा बैंक	49,73,196 / -
8	नमूना परीक्षण, मुम्बई	29040100007549	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,84,04,199 /
9	एफ आर एस एल, गाजियाबााद	30750100002259	बैंक ऑफ बड़ौदा	3,71,321 / -
10	नमूना परीक्षण, उत्तरी क्षेत्र	26030100008954	बैंक ऑफ बड़ौदा	38,90,203 / -
			योग	5,13,12,079/-

## जमा खाते

क्रम सं.	बैंक	राशि
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	20,15,74,136 /
2	आई सी आई सी आई बैंक	20,35,76,774 / -
3	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	20,37,30,064 / -
	योग	60,88,80,974 /-



#### SAVING ACCOUNTS WITH REGIONAL OFFICES

Sr. No.	Particulars	Account No.	Bank	Amount
1	CFL, Kolkata	09020100004758	BOB	74,75,792/-
2	Regional Office, Chennai	168701000006201	IOB	58,22,738/-
3	Sample Testing, Chennai	05290100019364	BOB	45,03,243/-
4	Regional Office, Cochin	08020100003247	BOB	13,35,653/-
5	Regional Office, Guwahati	27670100007292	BOB	5,23,733/-
6	Regional Office, Kolkata	19700100011468	BOB	40,12,001/-
7	Regional Office, Mumbai	1517101058298	Canara Bank	49,73,196/-
8	Sample Testing, Mumbai	29040100007549	BOB	1,84,04,199/-
9	FRSL, Ghaziabad	30750100002259	BOB	3,71,321/-
10	Sample Testing, NR	26030100008954	BOB	38,90,203/-
			TOTAL	5,13,12,079/-

# DEPOSIT ACCOUNTS

Sr. No.	Bank	Amount
1	Bank of Baroda	20,15,74,136/-
2	ICICI Bank	20,35,76,774/-
3	Oriental Bank of Commerce	20,37,30,064/-
	TOTAL	60,88,80,974/-





# संलग्नक III

# स्टॉफ को अग्रिम

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	एल टी सी अग्रिम	1,96,363.00
2	पीताम्बर सिंह	5,625.00
3	आर बी खोलकर	4,237.00
4	एस. के. हलदार	10,000.00
5	एस. एस. तोमर	86,400.00
	योग	3,02,625.00

# एल टी सी तथा चिकित्सा अग्रिम

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	बी. एस. आचार्य	26,966.00
2	कमल कुमार	63,900.00
	योग	90,866.00

# आई ई सी के लिए अग्रिम 2014–15

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	4,647.00
2	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1,91,406.00
3	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	54,79,312.00
4	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	18,22,782.00
5	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	98,41,464.00
6	नेशलन एशोसियेशन ऑफ स्ट्रीट वेन्डर्स ऑफ इंडिया	1,05,000.00
	योग	1,74,44,611.00

# प्रशिक्षण के लिए अग्रिम 2014–15

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	निदेशक स्वास्थ्य सेवा(लक्षद्वीप)	62,750.00
2	दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ	57,25,000.00
3	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान	39,326.00
4	ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान, आणंद	35,955.00
5	टी डी प्रशान्त राव	70,000.00
6	नमोदृष्ट कार्यालय, मुम्बई	27,164.00
7	ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान, आणंद	35,955.00
8	एफ डी ए, छत्तीसगढ़	67,250.00
	योग	60,63,400.00



#### Annexure III

#### Advance to Staff

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	LTC Advance	1,96,363.00
2	Pitamber Singh	5,625.00
3	R. B. Khotkar	4,237.00
4	S.K Haldar	10,000.00
5	S.S. Tomar	86,400.00
	TOTAL	3,02,625.00

# LTC & Medical Advance

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	B.S Acharya	26,966.00
1	Kamal Kumar	63,900.00
	TOTAL	90,866.00

# Advance for IEC 2014-2015

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	Directorate of Advertising and Visual Publicity	4,647.00
2	Directorate of Advertising and Visual Publicity	1,91,406.00
3	Directorate of Advertising and Visual Publicity	54,79,312.00
4	Directorate of Advertising and Visual Publicity	18,22,782.00
5	Directorate of Advertising and Visual Publicity	98,41,464.00
6	National Association of Street Vendors of India	1,05,000.00
	TOTAL	1,74,44,611.00

# Advance for Training 2014-2015

S No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	Director of Health Services (Lakshadweep)	62,750.00
2	Deendyal Upadhaya State Institute of	
	Rural Development, Lucknow	57,25,000.00
3	National Institute of Financial Management	39,326.00
4	Institute of Rural Management Anand	35,955.00
5	T.D Prashanth Rao	70,000.00
6	Designated office Mumbai	27,164.00
7	Institute of Rural Management, Anand	35,955.00
8	FDA Chhattisgarh	67,250.00
	TOTAL	60,63,400.00





# पुस्तकालय के लिए अग्रिम 2014–15

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	मनुपात्र इनफॉरमेशन सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	46,000.00
2	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2,550.00
	योग	48,550.00

# विदेश दौरा अग्रिम 2014–15

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	एफ टी ए बर्लिन, (के. के. जित्था) पाठ्यक्रम (कोर्स) शुल्क	1,74,451.00
2	एफ टी ए बर्लिन, (विजय बहादुर यादव) पाठ्यक्रम(कोर्स) शुल्क	1,73,905.00
3	श्रीमती के. के. जित्था, बर्लिन	76,523.00
4	श्री विजय बहादुर यादव, बर्लिन	80,431.00
5	श्री अनिल मेहता और श्रीमती साक्षी गंभीर, चीन	88,917.00
	योग	5,94,227.00

# अन्य को अग्रिम 2014–15

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	क्राम्पटन ग्रीव्स	11,573.00
2	कैरियर एयर कंडीशनिंग	14,045.00
3	टाटा स्काई	11,990.00
4	सी एफ टी आर आई	4,16,000.00
5	लेखा अधिकारी, एन आई सी, दिल्ली	200.00
6	प्रगति इंडियन ऑयल	21,840.00
7	केन्द्रीय मत्स्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान	1,50,000.00
8	द ललित, नई दिल्ली	22,75,618.00
9	द ललित, नई दिल्ली	11,37,809.00
10	द ललित,	1,42,317.00
11	द ललित,	34,262.00
12	द ललित,	2,41,842.00
13	पर्पल यू एम टी सी ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड	1,00,000.00
14	टाटा स्काई	10,200.00
	योग	45,67,696.00



#### Advance for Library 2014-2015

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	Manupatra Information Solutions Pvt. Ltd.	46,000.00
2	Senior Accounts Officer	2,550.00
	TOTAL	48,550.00

# Foreign Tour Advance 2014-2015

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	FTA - Berlin (K.K Jitha) - Course Fee	1,74,451.00
2	FTA - Berlin (Vijay Bahadur Yadav) - Course Fee	1,73,905.00
3	Ms. K.K Jitha, Berlin	76,523.00
4	Mr. Vijay Bahadur Yadav, Berlin	80,431.00
5	Mr. Anil Mehta & Ms. Sakshi Gambhir, China	88,917.00
	TOTAL	5,94,227.00

## Advance to Others 2014-2015

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	Crompton Greeves	11,573.00
2	Carrier Airconditioning	14,045.00
3	Tata Sky	11,990.00
4	CFTRI	4,16,000.00
5	Accounts Officer NIC Delhi	200.00
6	Pragati Indian Oil	21,840.00
7	Central Institute of Fisheries Technology, Cochin	1,50,000.00
7	The Lalit, New Delhi	22,75,618.00
5	The Lalit, New Delhi	11,37,809.00
8	The Lalit	1,42,317.00
9	The Lalit	34,262.00
10	The Lalit	2,41,842.00
11	Purple UMTC Transit Pvt. Ltd.	1,00,000.00
12	Tata Sky	10,200.00
	TOTAL	45,67,696.00





# आई ई सी के लिए अग्रिम 2013–14

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	47,575.00
2	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	2,19,102.00
3	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	3,98,09,396.00
4	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1,49,79,591.00
	योग	5,50,55,664.00

# प्रशिक्षण के लिए अग्रिम 2013–14

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	1,000.00
2	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	1,07,500.00
3	खाद्य और औषध प्रशासन नियंत्रक	1,70,500.00
4	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ	1,28,500.00
5	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान	2,000.00
6	पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति	85,250.00
7	अल्पकॉर्ड नेटवर्क ट्रेव्लस	17,484.00
8	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	6,000.00
	योग	5,18,234.00

# पुस्तकालय के लिए अग्रिम 2013–14

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	मनुपात्र इनफॉरमेशन सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	46,000.00
	योग	46,000.00

# अन्य हेतु अग्रिम 2013–14

क्रम सं.	पक्षकार का नाम	राशि
1	टाटा स्काई	9,900.00
	योग	9,900.00



#### Advance for IEC 2013-2014

SNo.	PARTY NAME	AMOUNT
1	Directorate of Advertising and visual publicity	47,575.00
2	Directorate of Advertising and visual publicity	2,19,102.00
3	Directorate of Advertising and visual publicity	3,98,09,396.00
4	Directorate of Advertising and visual publicity	1,49,79,591.00
	TOTAL	5,50,55,664.00

## Advance for Training 2013-2014

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	National Productivity Council	1,000.00
2	State Institute of Rural Development	1,07,500.00
3	Controller of Food and Drugs Administration	1,70,500.00
4	Deendyal Upadhaya State Institute of Rural Development, Lucknow	1,28,500.00
5	Institute of Secretariat Training and Management	2,000.00
6	West Bengal State Health & family welfare samiti	85,250.00
7	Alpcord Net Work Travels	17,484.00
8	National Productivity Council	6,000.00
	TOTAL	5,18,234.00

## Advance for Library 2013-2014

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	Manupatra Information Solutions Pvt. Ltd.	46,000.00
	TOTAL	46,000.00

# Advance for Others 2013-2014

Sr. No.	PARTY NAME	AMOUNT
1	TATA Sky	9,900.00
	TOTAL	9,900.00





संलग्नक IV

बचत खातों पर अर्जित ब्याज				
क्रम सं.	विवरण	खाता सं.	बैंक	राशि
1	मुख्यालय	26030100006313	बैंक ऑफ बड़ौदा	72,34,167 /
2	मुख्यालय	26030100008653	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,14,87,818 / -
3	मुख्यालय	26030100008654	बैंक ऑफ बड़ौदा	37,26,100 / -
4	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	168701000006201	आई. ओ. बी.	2,18,111 /
5	नमूना परीक्षण, चेन्नई	05290100019364	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,86,289 /
6	क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	1517101058298	केनरा बैंक	2,53,794 /
7	नमूना परीक्षण, मुम्बई	29040100007549	बैंक ऑफ बड़ौदा	4,09,374 /
8	क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	08020100003247	बैंक ऑफ बड़ौदा	56,319/-
9	सी एफ एल, कोलकाता	09020100004758	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,12,515/-
10	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	19700100011468	बैंक ऑफ बड़ौदा	3,91,822 /
11	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	27670100007292	बैंक ऑफ बड़ौदा	17,679 /
12	क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र	26030100008954	बैंक ऑफ बड़ौदा	54,943 /
13	एफ आर एस एल, गाजियाबााद	30750100002259	बैंक ऑफ बड़ौदा	96,708 /
			योग	3,43,45,639/-



#### Annexure IV

Sr. No.	Particulars	Account No.	Bank	Amount
1	Headquarter	26030100006313	BOB	72,34,167/-
2	Headquarter	26030100008653	BOB	2,14,87,818/-
3	Headquarter	26030100008654	вов	37,26,100/-
4	Regional Office, Chennai	168701000006201	IOB	2,18,111/-
5	Sample Testing, Chennai	05290100019364	BOB	1,86,289/-
6	Regional Office, Mumbai	1517101058298	Canara Bank	2,53,794/-
7 8		29040100007549	вов	4,09,374/-
		08020100003247	BOB	56,319/-
9	CFL, Kolkata	09020100004758	BOB	2,12,515/-
10	Regional Office, Kolkata	19700100011468	BOB	3,91,822/-
11	Regional Office, Guwahati	27670100007292	вов	17,679/-
12	Regional Office, NR	26030100008954	BOB	54,943/-
13	FRSL, Ghaziabad	30750100002259	BOB	96,708/-
			TOTAL	3,43,45,639/-



# भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2015 को समाप्त वर्श हेतु वित्तीय लेखाओं का भाग बनानेवाली अनुसूचियां अनुसूची

# 26– महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

## 1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा, यदि अन्यथा वर्णित न किया हो, और लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

# 2. राजस्व मान्यता

लाइसेंस शुल्क, उत्पाद अनुमोदन शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है। अन्य आय को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी जाती है। बचत बैंक खातों पर ब्याज को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

# 3. निवेश

दीर्घ कालीन निवेशों के तौर पर वर्गीकष्त निवेश लागत आधार पर वहन किए जाते हैं। अस्थाई के अतिरिक्त न्यूनता के लिए प्रावधान,ऐसे निवेशों का वहन लागत पर किए जाते हैं। "चालू" के तौर पर वर्गीकष्त निवेश न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है, न कि वैश्विक आधार पर। लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते हैं।

## 4. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पतियां अर्जन की लागत में संचित मूल्यह्नास घटाकर आवक भाड़ा, शुल्क और करों और अर्जन से संबंधित आकस्मिक और खर्च शामिल करके दर्शाई जाती है। निर्माण निहित परियोजनाओं के संबंध में, परिसम्पत्तियों के मूल्य के भाग रूप में,संबंधित पूर्व– प्रचालन खर्च ( समापन से पूर्व विशिष्ट परियोजना हेतु ऋण पर ब्याज सहित) को पूंजीबद्ध किया जाता हैं।

संचित कोष के अतिरिक्त गैर मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त स्थायी परिसम्पत्तियां पूंजी आरक्षित में जमा दर्शाते हुए उल्लिखित मूल्य पर पूंजीबद्ध की जाती हैं।

# 5. मूल्यह्नास

मूल्यह्नास का प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधानों एवं लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर और उनमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता हैं। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वर्षद्ध / कमी के संबंध में, मूल्यह्नास पर तदनुसार विचार किया जाता है।

## 6. सामान की सूची का मूल्य निर्धारण

स्टेशनरी प्रयोज्य वस्तुओं, प्रकाशन, और अन्य स्टोर सामान की खरीद पर खर्च का लेखांकन राजस्व व्यय में किया जाता है।

# 7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व को खर्च इसकी तिथि से 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद बट्टे खाते डाला जाता है।

## 8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली आधार पर किया जाता है। हालांकि, जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी होने की स्वीकर्षते 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष मे प्राप्त होता है तो अनुदान का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है और सामान राशि को वसूली योग्य के तौर पर दर्शाया जाता है।



# SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2015

## SCHEDULE 26 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## 1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statement are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

#### 2. **REVENUE RECOGNITION**

License Fees, Product Approval Fees and Sample Testing Fees are recognized as and when received. Other Income is recognized on accrual basis. Interest on saving bank accounts is accounted on accrual basis.

#### 3. **INVESTMENTS**

Investment classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

#### 4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

#### 5. **DEPRECIATION**

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

#### 6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

# 7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

#### 8. GOVERNMENT GRANTS

8.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31<sup>st</sup> March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.





- 8.2 पूंजीगत प्रकर्षते के सरकारी अनुदानों को प्रोद्भूत आधार पर माना जाता है और निधि आधारित लेखांकन के अनुसार उद्दिष्ट/अक्षय निधि के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।
- 8.3 राजस्व खर्च को पूरा करने हेतु सरकारी अनुदानों को उपयोग किए जाने की सीमा तक, उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त होते हैं।
- 8.4 नकद आधार पर संगणित अप्रयुक्त अनुदानों को आगे ले जाया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

# 9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 9.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन का लेखांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनियम दर पर किया जाता है।
- 9.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः लाभ/हानि को, विदेशी मुद्रा देयता स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित होने पर स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व में माना जाता है।

# अनुसूची 27–आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियॉ

# क. आकस्मिक देयताएं

# 1. आकस्मिक देयताए

1.1	उधार के तौर पर न माने गए प्राधिकरण के लिए दावे	—	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य )
1.2	निम्न के संबंध में:		
	– प्राधिकरण द्वारा / की ओर से दी गई बैंक गांरटी	_	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– एन्टीटी की ओर से बैंक द्वारा किए गए बिल	_	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– बैंकों द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल	_	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
1.3	निम्न के संबंध में विवादित मांगे		
	– आयकर	—	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– बिक्री कर	_	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– निगम कर	_	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
1.4	ओदशों के गैर– निष्पादन, किंतु प्रविष्टि द्वारा विवादित हेतु पार्टियों		
	द्वारा दावे पिछले वर्ष	—	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

## 2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न किए गए अनुबंधों को अनुमानित मूल्य रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

## ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। अतएव इसकी लेखांकन नीतियाँ अधिकांशतः जीएफआर और आर एंड पी नियमों पर आधारित हैं। प्राधिकरण के लेखा सिद्धान्त और नीतियाँ संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:



8.2 Government Grants of capital nature are recognised on accrual basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.

8.3 Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

8.4 Unutilized grants computed on Cash Basis are carried forward and exhibited as a liability in the balance sheet.

#### 9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

9.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

9.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

#### SCHEDULE 27 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

#### A. CONTINGENT LIABILITIES

## 1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.2 In respect of:

1.3

- Bank guarantees given by /on behalf of the Authority – Rs. NIL	(Previous year Rs. NIL)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity– Rs. NIL	(Previous year Rs. NIL)
-Bills discounted with banks– Rs. NIL	(Previous year Rs. NIL)
Disputed demands in respect of:	
-Income-tax – Rs. NIL	(Previous year Rs. NIL)
- Sales-Tax – Rs. NIL	(Previous year Rs. NIL)
- Municipal Tax – Rs. NIL	(Previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entry Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

#### 2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

#### B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety and Standards Authority of India is a Statutory Authority established under Food Safety & Standards Act, 2006 under the Administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:





# 1. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियॉ, ऋण एवं अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्य व्यवहार में प्राप्तियों में, पत्र में दर्शाई गई कुल राशि से कमोबेश बराबर होता है। वर्ष के दौरान अग्रिमों में वर्षद्ध मुख्य तौर पर कर्मचारियों/बाहरी पार्टियों को दिए गए अग्रिमों के कारण है।

#### कराधान

वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्राधिकरण ने पैन नंबर अर्थात् एएएजीएफ0023K प्राप्त किया है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण न्यास के रूप में पंजीकष्त है और प्राधिकरण ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा क के अंतर्गत आयकर की अदायगी से छूट प्राप्त की है।

शून्य

शून्य शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

31,07,796 / -

# 2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1	सीआः	ईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य	
	तैयार	माल की खरीद –	
	कच्चा	माल और घटक (पारगमन सहित)—	
	पूंजीग	त वस्तुऍ—	
स्टोर्स, स्पेयर्स एवं प्रयोज्य सामान—			
2.2	विदेशी	मुद्रा में खर्च	
	क.	यात्रा	
	ख.	वित्तीय संस्थानों⁄बैंकों को विदेशी मुद्रा में	
		धन प्रेषण और ब्याज का भुगतान–	
	ग.	अन्य खर्चः—	

बिक्री पर कमीशन—	शून्य
कानूनी और प्रोफेशनल खर्च–	शून्य
विविध खर्च–	शून्य

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य– शून्य सेवाओं का मूल्य– शून्य

 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लिए लागू निर्धारित प्रारूप के आधार पर की गई है।

# 4. कोष का स्रोत

2.3 आयः

प्राधिकरण के बजट में कोष की प्राप्तियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है:

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से निवल अनुदान

(ii) विविध प्राप्तियां जैसे लाइसेंस शुल्क, नमूना परीक्षण शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियॉ इत्यादि।



#### 1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

#### TAXATION

In the F.Y 2014-15 the Authority has obtained the PAN number i.e **AAAGF0023K** The Food Safety and Standards Authority of India is registered as Trust, and the Authority has obtained exemption from Income Tax under Section 12A of Income Tax Act, 1961.

#### 2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:

	Purchase of finished goods	NIL
	Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
	Capital Goods	NIL
	Stores, Spares and Consumables	NIL
2.2	Expenditure in foreign Currency:	
	a) Travel	31,07,796/-
	<ul> <li>b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Bank in Foreign Currency</li> </ul>	NIL
	c) Other expenditure:	
	Commission on sales	NIL
	Legal and Professional Expenses	NIL
	Miscellaneous Expenses	NIL
2.3	Earnings:	
	Value of exports on FOB basis	NIL
	Value of Services	NIL

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to our Authority.

#### 4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as under:-

- i) Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
- ii) Misc. Receipts like Licence Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, Interest on Fixed Deposits and other miscellaneous receipts, etc.





# 5. स्थायी परिसंपत्ति निधि और भवन निधि

सहायता अनुदानों से अर्जित पूंजीगत परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण वर्ष हेतु प्राप्त अनुदान को घटाकर संचित कोष के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत के माध्यम से स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत किया गया है और तदनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास को निधि आधारित लेखांकन और मिलान धारणा के अनुरूप संबंधित निधि में प्रभारित किया गया है।

- 6. आंकड़ों को निकटतम रुपये तक पूर्णाकित किया गया है।
- 7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत एजीसीआर द्वारा अंगीकष्त प्रारूप के अनुरूप आवश्यक होने पर, पुनः समूहीकृत / पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।
- 1 से 27 तक अनुसूचियां संलग्न की गई हैं और ये 31–03–2015 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग हैं।



#### 5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

#### 6. Figures are rounded off to the nearest rupees.

7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed by AGCR adopted by the Authority.

8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2015 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.







# कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय) Office of the Director General of Audit (Central Expenditure) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002 Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2015-16/ दिनांकः सेवा में,

सचिय, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतियेदन।

महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के प्रभाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उराके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अरयीकरण (disclaimer) अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अग्रेंजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(कुमार अभय) उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

Ph. : 91-11-23454100 Fax : 91-11-23702271 A.G.C.H. Building, I.P. Estato, New Delhi-110002 e-mail : dgacr@cag.gov.in





पत्र संख्यः ए.एम.जी. ॥/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2015-16/768 दिनांकः 17-12-15

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति श्री आशीष बहुगुणा,अध्यक्ष,भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002.को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

(कुमार अभय

उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)

## पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2015-16/ विनांकः

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (रिपोर्ट स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है । अनुलग्नकः यथोपरि

-sd-

(कुमार अभय) उप-निदेशक (ए.एम.जी - II)



# 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवंमहालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की 31 मार्च, 2015 की तिथि के अनुसार संलग्न तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखाओं की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

- 2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतरीन लेखा करण पद्धतियों से अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन सिद्धांतों इत्यादि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन और दक्षता—सह—निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के संबंध में वित्तीय लेन—देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग—अलग सूचित किए गए हैं।
- 3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत के सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त कर लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में राशियों को समर्थन करने वाले साक्ष्यों और विवत्तीय विवरणों में प्रकटनों की परीक्षण आधारित जांच वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन लेखाकरण सिद्वांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को एक उपयुक्त आधार प्रदान करती हैं।
- 4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः
  - i. हमने सभी जान कारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए जरूरी थे।
  - ii. इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रारूप के अनुसार बनाए गए हैं।
  - iii. हमारी राय में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपयुक्त लेखा बहियां और अन्य संगत रिकार्ड रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।
  - iv. साथ ही, हम सूचित करते हैं किः



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31<sup>st</sup> March 2015

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) as at 31 March 2015, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- Based on our audit, we report that:
  - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
  - ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India.
  - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Food Safety & Standards Authority of India, in so far as it appears from our examination of such books.
  - iv. We further report that :





- क. तुलनपत्र
- क.१ देयता

## क 1.1. उद्दिष्ट निधि (अनुसूची 3) 2.34 करोड़ रुपये

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एकरूप फॉर्मेट के अनुसार अनुदान या सहायता रूप में प्राप्त या निकाय द्वारा विशिष्ट या उद्दिष्ट प्रयोजनो के लिए उपयोग हेतु रखी गई राशि और शेष राशियां जो उन विषेश प्रयोजनो के लिए खर्च/उपयोग की जानी है जिनके लिए वे निर्दिष्ट हैं, को उद्दिष्ट निधि के अधीन प्रकट करना अपेक्षित है। परन्तु अनुदानों/निधियों जिनमें संप्रवर्तक के अंशदान की विशेषताएं हैं, को इस शीर्ष के भाग के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उद्दिष्ट निधि के रूप में 2.34 करोड़ रु. दर्शाया था जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूपमें प्राप्त राशि थी जिसका व्यय स्थायी परि संपति के प्रापण पर किया गया। इसे "पूंजीगत निधि" के अधीन दर्शाया जाना चाहिए न कि "उद्दिष्ट निधि" के अंतर्गत। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि को कम कर के बताया गया और उद्दिष्ट/अक्षय निधि को 2.34 करोड़ रु. अधिक बताया गया।

#### (ख) सामान्य

- ख.1 ए एस 15 तथा लेखा के एकरूप फॉर्मेट के अनुसार सेवा निवृत्ति लाभ बाध्यताओं को बीमांकीय मूल्यन विधि से किया जाना है। सेवानिवृत्ति लाभों को बीमांकीय आधार पर तैयार करने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है।
- ख.2. 12.73 लाख रुपये के समय वर्जित चेकों की निकासी नहीं हुईं। इसमें से 8.17 लाख रुपये मूल्य के चेक 2012–13 अवधि के थे। इन को समाशोधित करने की आवश्यकता है।

#### ग. सहायता अनुदान

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2014–15 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 41.11 करोड़ रुपये (योजना) का सहायता अनुदान प्राप्त किया, जिनमें से 14.74 करोड़ रुपये मार्च, 2015 में प्राप्त किए गए। इस के पास पिछले वर्ष का 27.03 करोड़ रुपये की व्यय नहीं की गई राशि थी। प्राधिकरण ने 44.65 करोड़ का उपयोग किया और 31 मार्च 2015 को 23.49 करोड़ शेष बचगए।

#### घ. प्रबन्धन के नामपत्र

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों की ओर भारतीय खाद्य संरक्षा एवंमानक प्राधिकरण का ध्यान अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से आकृष्ट किया गया है ताकि उपचारी/सूधारात्मक कार्रवाई हो सके।

 v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिर्पार्ट से सम्बन्धित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।





A. Balance Sheet

#### A.1 Liabilities

#### A.1.1 Earmarked Fund (Schedule 3) ₹ 2.34 crore

As per the Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies, amounts received as grants or assistance, or retained by the entity to be utilized for specific or earmarked purposes and remaining to be expended/utilized for the specific purpose for which these are intended, are required to be disclosed under Earmarked Fund. However, grants/funds, which have the characteristics of promoters' contribution, which are of the nature of additions/accretion to the Corpus Fund should not be reckoned as part of this head. FSSAI had shown ₹ 2.34 crore as Earmarked Fund which was the amount of grant-in-aid received from the Ministry of Health and Family Welfare that was spent on procurement of fixed assets for the FSSAI. The same should be reflected under 'Capital Fund' and not under 'Earmarked Fund'. This has resulted in understatement of Capital Fund and overstatement of Earmarked/Endowment Fund by ₹ 2.34 crore

#### B. General

**B.1.** As per AS 15 and Uniform Format of Accounts, the retirement benefits obligations are to be done on actuarial valuation method. No provision has been made for retirement benefits on actuarial basis.

B.2. Time barred cheques worth ₹ 12.73 lakh were not cleared. Out of this cheques valued
 ₹ 8.17 lakh related to the period 2012-13. The same needs to be reconciled.

#### C. Grants-in-Aid

The Food Safety & Standards Authority of India received grants-in-aid of ₹ 41.11 crore (Plan) from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2014-15, out of which ₹ 14.74 crore was received in March, 2015. It had unspent balance of ₹ 27.03 crore of previous year. The Authority utilized ₹ 44.65 crore leaving an unspent balance of ₹ 23.49 crore as on 31<sup>st</sup> March 2015.

#### D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the FSSAI through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.





vi. हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचनाओं तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकंन नीतियों और लेखा टिप्पणियों और ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखापरीक्षा के अनुलग्नक में वर्णित अन्य मामलोंके साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष दिखाई देते हैं।

(क) जहां तक कि यह भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र से सम्बन्धित हैं और

(ख) जहां तक कि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय लेखे से सम्बन्धित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

> लेखा परीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय)

स्थान–नई दिल्ली दिनांक 17.12.2015





vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), as at 31 March 2015; and
- b.

In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Place: New Delhi Date: 17.12.2015 Director General of Audit (Central Expenditure)

For and on behalf of C&AG of India,





संलग्नक

# 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है और इस ने वर्ष 2013–14 तक की लेखा परीक्षा की है।

# 2. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तताः-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लेखे में वर्ष 2009–10 से समान रूप से आय और व्यय में पूर्व अवधि समायोजन पाये गये जिससे इसके कमजोर आंतरिक नियंत्रण का पता लगता है।

# 3. स्थायी परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली:-

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मुख्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2014–15 के लिए पूरा हो गया है। इस प्राधिकरण के शाखा कार्यालयों की स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है।

# 4. सामग्री सूची के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन प्रणाली:-

वर्ष 2014—15 के लिए सामग्री सूची जैसे—पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा अन्य प्रयोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया। शाखा कार्यालयों के मामले में सामग्री सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

# 5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता:-

31.03.2015 तक कोई भी सांविधिक देयता शेष नहीं थी।





#### Annexure

## 1. Adequacy to Internal Audit System:-

The internal audit is conducted by Ministry of Health and Family Welfare, who had conducted audit up to 2013-14.

#### 2. Adequacy of Internal Control:-

Consistent prior period adjustments of income and expenditure were observed in the

accounts of FSSAI since 2009-10 which is indicative of weak internal control.

#### 3. System of Physical verification of fixed assets:-

Physical verification of fixed assets of FSSAI Headquarter was conducted for the year 2014-15. Physical verification of fixed assets in respect of Branch offices was not conducted.

# 4. System of Physical verification of inventory:-

The Physical verification of inventory like books, stationery and other consumables was conducted for the year 2014-15. Physical verification of inventory in respect of Branch offices was not conducted.

## 5. Regularity in payment of statutory dues:-

No statutory liability was outstanding as on 31.03.2015.





(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) (Ministry of Health and Family Welfare) एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002 पोर्टल : fssai.gov.in हेल्पलाईन : 1800-11-2100 Portal : fssai.gov.in FSSAI HELPLINE : 1800-11-2100

# सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार